लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवा सत्र / Seventh Session]

Preservation Unit
Parliament Library
Fumigated
On

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक है / Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English / Hindi.]

516 (Ai) LS—1

विषय-सूची

अंक ४४---मंगलवार, ७ अप्रैल, १९६४/१८ चैत्र, १८८६(शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३३५१--७४
*तारांकित प्रश्न संख्या		
९२३	पंचायतो राज वित्त संबंधी अध्ययन दल	३३५१--५३
९२४	दिल्ली-सिलोगुड़ी राजपथ	३३५३--५५
९२७	डाकखाना बचत बैंक	३३५५--५७
९२८	अन्तर्राज्यिक नौपरिवहन समस्याओं का अध्ययन	३३५७--६०
९२९	चीनी और गुड़ के लाने ले जाने पर प्रतिबंध	३३६०--६३
९३०	रेलवे स्कूल और कालिज	३३६४--६७
९३२	श्री वाल्काट का भाग निकलना	३३६७--७१
९३३	अलाभप्रद ढोर	३३७१--७३
९३५	गेहूं का आयात	३३७३--७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३३७४--३४१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
९२५	पंचायतों का भंग किया जाना	३३७४
९२६	गन्ने की सघन खेती	३३७५
९३१	खाद्यान्नों पर उर्वरक का प्रभाव	३३७५
९३४	छोटे पत्तनों में जहाजों के लिए घाट सुविधाएं	३३७५--७६
९३६	राजस्थान में नलकूप	३३७६
९३७	रेलवे के माल डिब्बों का निर्माण	३३७६--७७
९३८	नई दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश	३३७७
९३९	भेड़ों का आयात	३३७८
९४०	पशु पालन	३३७८
९४१	चीनी का मूल्य	३३७९
९४२	खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता	३३७९
९४३	विश्व खाद्य कार्यक्रम	३३७९--८०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No 44—*Tuesday, April* 7, 1964/ *Chaitra* 18, 1886 (*Saka*)

	Subject	Pages
	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	3351—74
*Starred Questions Nos.		
923	Study Team on Panchayati Raj Finances	3351—53
924	Delhi-Siliguri Highway	3353—55
927	Postal Savings Banks	3355—57
928	Study of Inter-State Navigational Problems	3357—60
929	Ban on Movement of Sugar and Gur	3360—63
930	Railway Schools and Colleges	3364—67
932	Escape of Mr. Walcott	3367—71
933	Uneconomic Cattle	3371—73
935	Import of Wheat	3373—74
	WRITTEN ANSWERS TO QUESTION	3374—3410
Starred Questions Nos.		
925	Dissolution of Panchayats	3374
926	Intensive Cultivation of Sugarcane	3375
931	Effect of Fertilizers on Foodgrains	3375
934	Berthing Facilities for Vessels at Minor Ports	3375–76
936	Tube Wells in Rajasthan	3376
937	Manufacture of Railway Wagons	3376–77
938	New Delhi Foodgrains Dealers Licensing Order	3377
939	Import of Sheep	3378
940	Animal Husbandry	3378
941	Price of Sugar	3379
942	Assistance from F.A.O.	3379
943	World Food Programme	3379–80

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the house by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१८९०	पश्चिम तट सड़क	३३८०
१८९१	रेलवे मंत्रालय में निबन्ध प्रतियोगिता . . .	३३८०–८१
१८९२	पटसन की खेती	३३८१
१८९३	उड़ीसा में गन्ने का उत्पादन	३३८१
१८९४	कृषि अनुसंधान परियोजनायें . . .	३३८२
१८९५	'अधिक अन्न उपजाओ, आन्दोलन . .	३३८२
१८९६	पश्चिमी बंगाल में 'पैकेज प्रोग्राम' . .	३३८२–८३
१८९७	दिल्ली दुग्ध योजना	३३८३
१८९८	कृषि से भिन्न कार्यों के लिए ऋण के लिए सहकारी समितियां	३३८३–८४
१८९९	रेडियो सेट के लाइसेंस . . .	३३८४
१९००	कृषि औजारों का संभरण . . .	३३८४–८५
१९०१	गेहू अनुसंधान केन्द्र . .	३३८५
१९०२	घाघरा नदी पर पुल	३३८५
१९०३	चारा	३३८५–८६
१९०४	गुड़ की बिक्री से मुनाफा	३३८६
१९०५	कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में महिला पर्यवेक्षक . .	३३८६–८७
१९०६	भाप के इंजनों का निर्यात	३३८७
१९०७	किसानों को ऋण	३३८७–८८
१९०८	उड़ीसा को गेहूं और चीनी का संभरण .	३३८८
१९०९	दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेल्टर	३३८८
१९१०	मक्का की खेती	३३८९
१९११	दिल्ली का घी कारखाना	३३८९
१९१२	बड़ौदा हाउस नई दिल्ली .	३३८९–९०
१९१३	सहकारी खेती समितियां . .	३३९०
१९१४	चांदी की सिल्लियों का पकड़ा जाना	३३९०–९१
१९१५	हैदराबाद कुरनूल सेक्शन का विद्युतीकरण . .	३३९१
१९१६	रेलवे कर्मचारी	३३९१–९२
१९१७	रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी	३३९२
१९१८	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी .	३३९२–९३
१९१९	रेलवे स्टोर से सामान की चोरी . .	३३९३
१९२०	खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण केन्द्र . .	३३९३–९४
१९२१	राष्ट्रीय विस्तार खंड . . .	३३९४
१९२२	दिल्ली जंक्शन का पार्सल आफिस . . .	३३९५
१९२३	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर .	३३९५
१९२४	किऊल और बर्दवान के बीच रेल गाड़ियां .	३३९५–९६
१९२५	दिल्ली दुग्ध योजना के घी की बिक्री . .	३३९६

Unstarred Questions Nos.	Subject	Pages
1890	West Coast Road	3380
1891	Essay Competition in the Ministry of Railways	2380–81
1892	Jute Cultivation	3381
1893	Production of Sugarcane in Orissa	3281
1894	Agricultural Research Projects	3382
1895	Grow More Food Campaign	0382
1896	Package Programme in West Bengal	3382–83
1897	Delhi Milk Scheme	3383
1898	Co-operatives for Non-Agricultural Credit	3383–84
1899	Licences for Radio Sets	3384
1900	Supply of Farm Tools	3384–85
1901	Wheat Research Centre	3385
1902	Bridge on River Ghagra	3385
1903	Cattle Feed.	3385–86
1904	Profit from Sale of Gur	3386
1905	Female Supervisors in Calcutta Telephone District	3386–87
1906	Export of Steam-Locomotives	3387
1907	Credit to Farmers	3387–88
1908	Supply of Wheat and Sugar to Orissa	3388
1909	Platform Shelters on S.E. Railway Stations	3388
1910	Cultivation of Maize	3389
1911	Delhi Ghee Factory	3389
1912	Baroda House, New Delhi	3389–90
1913	Co-operative Farming Societies	3390
1914	Recovery of Silver Bars	3390–91
1915	Electrification of Hyderabad-Kurnool Section	3391
1916	Railway Employees	3391–92
1917	S.C. and S.T. Employees in Railway Board	3392
1918	S.C. and S.T. Employees	3392–93
1919	Theft of Goods from Railway Store	3393
1920	Training Centre in Food Technology	3393–94
1921	National Extension Blocks	3394
1922	Parcel Office, Delhi Junction	3395
1923	Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar	3395
1924	Trains between Kiul and Burdwan	3395–96
1925	Sale of Delhi Milk Supply Scheme Ghee	3396

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१९२६	कृषि उत्पादकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज	३३९६–९७
१९२७	रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी	३३९७
१९२८	सघन खेती कार्यक्रम	३३९७
१९२९	मन्डमर्री से रामकृष्णपुर कोयला खानों तक रेलवे साइडिंग	३३९८
१९३०	ग्रैण्ड ट्रंक रोड	३३९८
१९३१	मण्डी-गोबिन्दगढ़ रेलवे स्टेशन	३३९८–९९
१९३२	पंजाब को सहायता	३३९९
१९३३	पंचायत समितियों में टेलीफोन	३३९९
१९३४	गंगा नदी में रेलवे स्टीमर सर्विस	३४००
१९३५	पाल वाले जलयानों का यंत्रीकरण	३४०१
१९३६	बरौनी और डिब्रूगढ़ के बीच जनता गाड़ियां	३४०१
१९३७	पश्चिम रेलवे पर रेल-पथ (ट्रैक)	३४०१–०२
१९३८	"सूयादार" कपास	३४०२
१९३९	धोबियों की सहकारी संस्थाएं	३४०२–०३
१९४०	गन्ने को पेरना	३४०३–०४
१९४१	रायपुर विजयानगरम सैक्शन	३४०४–०५
१९४२	वन साधनों का पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण	३४०५
१९४३	नेपाल को बाल रेलगाड़ी का उपहार	३४०५–०६
१९४४	गेहूं के क्षेत्रों में गोदाम	३४०६
१९४५	चीनी की 'रिकवरी'	३४०६–०७
१९४६	कोचीन और दिल्ली के बीच विशेष यात्री डिब्बा	३४०७
१९४७	बम्बई और कोचीन के बीच रेलगाड़ियां	३४०७–०८
१९४८	माल उतारना	३४०८
१९४९	ट्रकों में माल लादने की क्षमता	३४०८–०९
१९५०	भांडागार	३४०९–१०
१९५१	उड़ीसा में डाकिए	३४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३४१०–११

मदुराई क्विलोन यात्री गाड़ी की एक ट्राली के साथ हुई टक्कर के कारण

ट्राली चलाने वाले की मत्यु ३४१०–११

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ३४१०

श्री से० वें० रामस्वामी ३४१०–११

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४११

अनुदानों की मांगें ३४११––३३

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ३४११––३३

श्री कपूर सिंह ३४११–१३

	Subject	Pages
1926	Interest on Credits granted to Growers	3396–97
1927	R.M.S. Employees	3397
1928	Intensive Farming Programme	3397
1929	Railway siding from Mandamarri to Ramakrishnapur Collireies	3398
1930	G.T. Road	3398
1931	Mandi-Gobindgarh Railway Station	3398–99
1932	Assistance to Punjab	3399
1933	Telephones in Panchayat Samithis	3399
1934	Railway Steamer Service in the Ganges	3399–3400
1935	Mechanistion of Sailing Craft	3401
1936	Janta Trains between Barauni and Dibrugarh	3401
1937	Tracks on Western Railway	3401–02
1938	Suyadar' Cotton	3402
1939	Co-operatives for Washermen	3402–03
1940	Crushing of Sugarcane	3403–04
1941	Raipur-Vizianagram Section	3404–05
1942	Pre-Investment Survey of Forest Resources	3405
1943	Gift of Children's Train to Nepal	3405–06
1944	Warehouses in Wheat Zones	3406
1945	Recovery of Sugar	3406–07
1946	Special Coach between Cochin and Delhi	3407
1947	Trains between Bombay and Cochin	3407–08
1948	Unloading of Goods	3408
1949	Loading Capacity of Trucks	3408–09
1950	Warehouses	3409–10
1951	Postmen in Orissa	2410

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 3410–11

Death of trolleyman due to collision of Madurai-Quilon passenger with trolley. 3410–11

Shri P. R. Chakravartty 3410

Shri S. N. Ramaswamy 3410–11

Papers laid on the Table 3411

Demands for Grants 3411—33

Ministry of Community Development and Co-operation 3411—33

Shri Kapur Singh 3411—13

	विषय	पृष्ठ
श्री वासुदेवन नायर	. . . . .	३४१३–१५
श्री दि० सिं० चौधरी	. . . . .	३४१५–१६
श्री ब्रह्म प्रकाश	. . . . .	३४१६–१७
श्री द० ब० राजू	. . . .	३४१७–१८
श्री यु० सिं० चौधरी	. . . .	३४१८–१९
श्री फिरोडिया	. . . . .	३४१९–२१
श्रीमती अकम्मा देवी	. . . . .	३४२१–२२
श्री जेना	. . . . .	३४२२–२३
श्री जसवन्त मेहता	. . . . .	३४२३–२४
श्री दे० शि० पाटिल	. . . . .	३४२४–२५
श्री पें० वेंकटासुब्बया	. . . . .	३४२५
श्री गौरी शंकर कक्कड़	. . . . .	३४२६–२७
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	. . . . .	३४२७–२८
श्री दे० जी० नायक	. . . . .	३४२८
श्री गजराज सिंह राव	. . . . .	३४२९
श्री उटिया	. . . . .	३४३०
श्री श्रीनारायण दास	. . . . .	३४३०–३१
श्री ओझा	. . . . .	३४३१–३२
श्री मा० ला० जाधव	. . . . .	३४३२
श्री उइके	. . . . .	३४३२–३३
श्री सु० कु० डे	. . . . .	३४३३

Subject	Pages
Shri Vasudevan Nair	3413—15
Shri D. S. Chaudhuri	3415–16
Shri Brahm Prakash	3416–17
Shri D. B. Raju	3417–18
Shri Y.S. Chaudhary	3418–19
Shri Firodia	3419—21
Shrimati Akkamma Devi	3421–22
Shri Jena	3422–23
Shri Jashvant Mehta	3423–24
Shri D. S. Patil	3424–25
Shri P. Venkatasubbaiah	3425
Shri Gauri Shankar Kakkar	3426–27
Shri Harish Chander Mathur	3427–28
Shri D. J. Naik	3428
Shri Gajraj Singh Rao	3429
Shri Utiya	3430
Shri Shree Narayan Das	3430–31
Shri Oza	3431–32
Shri M. L. Jadhav	3432
Shri Uukey	3432–33
Shri S. K. Dey	3433

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, ७ अप्रैल, १९६४ / १८ चैत्र, १८८६ (शक)
Tuesday, April 7, 1964 / Chaitra 18, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पंचायती राज वित्त सम्बन्धी अध्ययन दल

\+

*९२३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज वित्त सम्बंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर समस्त राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की टीका-टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और उस पर निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश ने अपने विचार भेज दिये हैं। शेष सिफारिशों पर वे विचार कर रहे है। ये राज्य महत्वपूर्ण सिफारिशों से सामान्यतया सहमत हैं।

(ग) और (घ). वे सिफारिशें, जिनके बारे में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है, विचाराधीन हैं।

श्री श्रीनारायण दास : यद्यपि यह प्रतिवेदन लगभग ९ महीने पहले प्रस्तुत कर दिया गया था, तथापि केन्द्रीय सरकार अपने से सम्बंधित सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय करने में इतना अधिक समय लगा रही है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य भी उस समिति के सदस्य हैं। समिति ने ३१ जुलाई, १९६३ को प्रतिवेदन दिया था। अगस्त के अन्त तक हमने वह प्रतिवेदन राज्य सरकारों के पास भेज दिया था। जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं, अभी तक केवल ६ राज्यों ने ही अपने विचार भेजे हैं। यह भी याद रखना चाहिये कि चूंकि इन सिफारिशों के अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों को वित्तीय दायित्व उठाना पड़ेगा अतः राज्य अपने विचार भेजने में सावधानी बरत रहे हैं।

श्री श्रीनारायण दास : यह बताया गया है कि प्रतिवेदन अगस्त के महीने में भेज दिया गया था। क्या सरकार ने राज्यों को इस विषय के महत्व के बारे में बताया याद दिलाया है और कोई तिथि निश्चित की है जिस तक उनको अपने विचार अवश्य भेजने पड़ेंगे ?

श्री ब० सू० मूर्ति: अनेक अनुस्मारक भेजे गये हैं। नवीनतम अनुस्मारक कल ही भेजा गया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने पर इस प्रतिवेदन पर पूरी तरह विचार करने के बाद, क्या कोई ऐसा एक समान तरीका खोज निकालने का विचार है कि जहां तक इन पंचायतों के लिये वित्त की व्यवस्था का सम्बंध है, संसाधनों में वृद्धि की जा सके तथा कमियों को दूर किया जा सके ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यही ध्येय है।

श्री रामचन्द्र उलाका : इस निगम में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार तथा सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं का क्रमशः क्या अंश होगा।

श्री ब० सू० मूर्ति : इन सब बातों पर इस समय विचार किया जा रहा है। इन बातों के बारे में निर्णय कर लेने के बाद ही, हम स्थिति बता सकेंगे।

श्री फिरोदिया : निगम बनाने का भी क्या कोई प्रस्ताव है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी, हां।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि ये सिफारिशें राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषदों, समितियों तथा पंचायतों आदि के मार्गदर्शन के लिये की गई है और सारी बात स्थानीय पंचायतों के संसाधनों तथा उनकी स्थानीय स्थिति पर निर्भर करती है कि क्या वे उन व्यक्तियों पर कर लगा सकती है जो कि अधिक कर दे सकते हैं तथा किस सीमा तक इत्यादि ।

श्री ब० सू० मूर्ति : ध्येय यह है कि स्थानीय पंचायतें अधिक धन इक्ट्ठा कर सकें, चाहे यह धन स्थानीय करों के द्वारा प्राप्त हो अथवा राज्य या केन्द्रीय सरकार से । संथानम् समिति के प्रतिवेदन में की गई इन समस्त सिफारिशों का ध्येय यह है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत की जाये ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is it also proposed to give the amount of land revenue to Village Panchayats in order to improve their financial position ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस प्रश्न पर भी अनेक स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली-सिलीगुड़ी राजपथ

+

*६२४. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री कृ० चं० पंत :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग के निकट सिलीगुड़ी और दिल्ली को मिलाने वाले एक नये राष्ट्रीय राजपथ को उच्च प्राथमिकता देकर बनाने का विचार है ;

(ख) इस योजना से संगत मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना रुपया व्यय होगा ; और

(ग) सड़क के कब तक पूरी तरह से चालू हो जाने की आशा है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). स्थिति की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). दिल्ली और सिलीगुड़ी को मिलाने वाला एक राष्ट्रीय राजपथ पहिले ही मौजूद है । संभवतया, माननीय सदस्य उस पार्श्विक सड़क के बारे में पूछ रहे हैं जिसका कि बरेली

(उत्तर प्रदेश) को सिलीगुडी (पश्चिम बगाल) के जरिये अमीनगांव (आसाम) से मिलाने के लिये पहाडियों के साथ साथ बनाने का विचार है। बन जाने पर यह मार्ग दिल्ली बरेली-सिलीगुडी-अमीनगांव मार्ग के साथ साथ दिल्ली को सिलीगुडी से भी मिला देगा। प्रस्तावित पार्श्विक सड़क के बनाने में २९२ मील लम्बे उस सड़क के टुकड़े को छोड़कर जिस पर कार्य पहिले ही चालू है, कुछ साथ मिलाने वाली सड़कों सहित १०१६ मील लम्बी सड़क का विकास करना होगा। विभिन्न मार्गों में लगभग २६० मील लम्बी सड़क वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ का एक अंग होगी और इसी प्रकार ७५६ मील लम्बी सड़क राज्य सड़क होगी। यह अनुमान किया जाता है कि इस कार्य में लगभग १०० करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा यह काम ३ वर्ष में पूरा होगा? इस समूचे पथ पर आने जाने के लिये दो मार्ग होंगे जिन पर ऐसे पुल होंगे जिनकी भार क्षमता ७० श्रेणी की होगी। सम्बंधित राज्य लोक निर्माण विभाग अपने अपने राज्य क्षेत्रों में सड़क तैयार करने का काम करेंगे और इसका पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस कार्य के हेतु राज्यों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो राज्यों पर समूची निगरानी करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : परियोजना को पूरा करने के लिये तीन वर्ष की अवधि लक्ष्य के रूप में निर्धारित की गई है और सम्बंधित राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इसके अनुसार कार्य चलायें।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विचाराधीन योजनायें कौन सी हैं ?

श्री राज बहादुर : इस परियोजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रोड विंग को मजबूत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ को इस राजपथ के साथ मिलाया जायेगा और यदि हां, तो किस स्थान पर ?

श्री राज बहादुर : मैं निश्चित स्थान नहीं बता सकता। राजपथ संख्या ३१ के २९२ मील लम्बे टुकड़े पर काम पहिले ही चालू हो चुका है। उनमें बरेली-सिलीगुडी-अमीनगांव मार्ग का एक भाग भी शामिल है। मैं राजपथ संख्या २८ के बारे में नहीं अपितु राजपथ संख्या ३१ के बारे में बता रहा हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या राज्यों को यह परामर्श दिया गया है कि वे इन सड़कों को नयी तकनीक से बनाये जिसके अनुसार बहुत कम खर्च बैठता है और सड़कें भी बहुत मजबूत बनती हैं ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्या द्वारा निर्दिष्ट तकनीक के बारे में मुझे पता नहीं है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि वित्त तथा उपकरण की उपलब्धता के अधीन रहते हुए जितनी भी अच्छी तरह से हम सड़क के निर्माण के कार्य को चला सकते हैं, हम चलायेंगे।

श्री त्यागी : क्या इस राजपथ पर कुछ नयी औद्योगिक बस्तियां बसाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : सड़कों से विकास के कार्य में सहायता मिलती है। किसी बड़े राजपथ के बन जाने से आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलता है।

श्री विश्राम प्रसाद : विवरण में दिया गया है कि १०१६ मील लम्बी सड़क बनाने में १०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस राशि में से कितनी राशि पुलों के निर्माण पर और कितनी सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा तथा वे नगर कौन से होंगे जिनमें से होकर यह सड़क जायेगी ?

श्री राज बहादुर : मैं यह नहीं बता सकता कि पुलों तथा सड़कों पर कितना-कितना व्यय होगा। परन्तु मैं इतना बता सकता हूं कि इस राजपथ पर २३ बड़ी नदियों पर पुल बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त इससे भी अधिक संख्या में छोटे पुल भी बनाये जायेंगे।

श्री विश्राम प्रसाद : यह सड़क किन नगरों में से हो कर जायेगी ?

श्री राज बहादुर : यह विवरण में दे दिया गया है।

Shri Kachhavaiya : What amount would be spent by the Central Government and the State Government respectively on the construction of this road ?

Shri Raj Bahadur : The entire expenditure will be borne by the Central Government.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the States through whom this proposed road will pass and how much portion of the roads of these States would be concerned by it?

Shri Raj Bahadur :This road will pass through Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. But the separate figures of mileage cannot be indicated. This road will pass through Pilibhit, Lakhimpur and Gorakhpur in Uttar Pradesh, Muzaffarpur and Purnea in Bihar, Siliguri and Rajbhatakhnea in West Bengal and Bijni and Nalwari in Assam. Besides it, four link roads will also be constructed, one from Kasia to Padrauna, another from Saigoli to Betia third from Muzaffarpur to Darbhanga and the fourth from Araryad to Maricha *via* Phashbisganj.

श्री बसुमतारी : क्या आसाम की राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव आया है कि इसके सामरिक महत्व को देखते हुए सिलीगुड़ी को मिलाते हुए हिमालय की पहाड़ियों के साथ-साथ एक दूसरा राजपथ भी बनाया जाए ?

श्री राज बहादुर : यह वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ के उत्तर में होगा और चूंकि यह हिमालय की पहाड़ियों के समानान्तर होगा, अतः इसको पार्श्विक सड़क के नाम से पुकारा जायेगा ?

डाकखाना बचत बैंक

*९२७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकखाना बचत बैंक के निरक्षर और अर्ध-साक्षर खातेदारों के जब रुपये निकालते समय हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं तो अपने हस्ताक्षरों की तसदीक कराने में उन्हें जिन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ;

(ख) क्या गांवों के मुखियाओं और प्रमुखों, जैसे कि पंचों, द्वारा की गई तसदीक डाक और तार विभाग द्वारा स्वीकार कर ली जाती है ;

(ग) क्या रुपया निकालते समय पास बुक के साथ संलग्न खातेदारों के फोटो, जिनकी डाकखानों द्वारा तसदीक की गई हो, के उपयोग का उचित समझा जाता है ; और

(घ) डाकखाना बचत बैंक खाते में अर्ध-साक्षर व्यक्तियों की खातेदारों के रूप में बने रहने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अन्य क्या उपाय खोजे गये हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा की गई तसदीक को माना जाता है ।

(ग) प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु उसको स्वीकार नहीं किया गया ।

(घ) खातेदार की शनाख्त जनता के किसी ऐसे सदस्य के द्वारा जिसको कि डाकखाने का कर्मचारी जानता हो या पोस्टल पहिचान पत्र, पासपोर्ट अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये फोटो वाले पहिचान पत्र की सहायता से की जा सकती है। हस्ताक्षर की तसदीक राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा अपने पद की सील लगाकर कालिज के प्रिंसिपलों तथा शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों संसद् तथा विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा भी की जा सकती है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या हिदायतें पहिले ही जारी की जा चुकी हैं ?

श्री भगवती : जी, हां ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सरकार ने किन कारणवश प्रश्न के भाग (ग) में दिये गये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ?

श्री भगवती : क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में फोटो नहीं लिये जा सकते । इससे खातेदारों को लाभ नहीं पहुंचेगा । कभी-कभी धोखे से भी पैसा निकाल लिये जाने का डर रहता है ।

श्री स्वैल : माननीय उपमंत्री जी ने बताया कि जालसाजी होने की संभावना के कारण पासबुकों के साथ फोटो लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है । इस बात को देखते हुए कि हस्ताक्षरों की तसदीक करने से भी जालसाजी की जा सकती है तथा फोटो एक अच्छा प्रमाण रहेगा, क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके और अधिक विस्तृत रूप से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि फोटो के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकृत कर दिया गया है ?

श्री भगवती : फोटो के प्रस्ताव को त्यागा नहीं गया है । जहां तक पहिचान पत्रों का सम्बंध है, खातेदारों को इस बात की छूट है कि वे फोटो देकर हैड पोस्ट आफिस से पहिचान पत्रों की मांग कर सकते हैं । वे हैड पोस्ट आफिस के द्वारा पहिचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है । प्रश्न यह था कि बचत बैंक खातों की पासबुकों के साथ फोटो लगाने का नियम होना चाहिये परन्तु इसको ठीक नहीं समझा जाता क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खातेदारों के लिये तसदीक के लिये फोटो खिचाना आसान नहीं होगा ।

श्री काशीराम गुप्त : सामान्यतया, गांव बैंक खातेदार एक गरीब आदमी होता है और यदि उसके फोटों पर खर्च करना पड़े, तो उसकी बचत का अधिकांश भाग उस पर खर्च हो जायेगा । क्या सरकार का यह विचार है कि वह इन खातेदारों के फोटों का खर्चा स्वयं वहन करे ?

श्री भगवती : जो कुछ मैंने कहा है उसको माननीय सदस्य ने पूरी तरह नहीं समझा है । मेरा कहना तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खातेदार फोटो नहीं दे सकते । अतः इस प्रकार का नियम नहीं बनाया गया है ।

Shri Yashpal Singh : What steps have been taken against those employees in post offices who have harassed the people by saying "Signatures do not tally"?

श्री भगवती : हमें कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। १९६३ में पैसा निकालने के लगभग १ करोड़ मामलों में ३०३ मामले इस प्रकार के सामने आये। अतः इस प्रकार के मामलों की संख्या बहुत अधिक नहीं है और हम ऐसे मामलों में जांच पड़ताल करके उचित कार्यवाही करते हैं। हमने बचत बैंक खातों से पैसा निकालने सम्बंधी नियमों को उदार कर दिया है। अब खातेदार अनेक प्रकार से शनाख्त करा सकते हैं। अतः कोई खास कठिनाई नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता है कि अंगूठे का निशान किसी व्यक्ति की शनाख्त का सबसे अधिक वैज्ञानिक तथा अपरिवर्तनीय तरीका है और यदि हां, तो क्या सरकार इन समस्त बातों के स्थान पर अंगूठे के निशान को लगाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अंगूठे के निशान की शनाख्त करना भी उतना ही कठिन होगा।

श्री कपूर सिंह : थोड़े प्रशिक्षण के बाद कोई भी व्यक्ति अंगूठे के निशान की शनाख्त कर सकता है।

Shri Ram Sewak Yadav : It is very difficult for the villagers to get their signatures attested by Gazetted Officers because they are not acquainted with them. Therefore, they have to engage lawyers etc. for the purpose which means an increase in their expenditure. Are Government, therefore, issuing necessary orders authorizing the members of the District Councils and the Block Development Officers to attest their signatures?

श्री भगवती : ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसको कि पोस्ट मास्टर जानता हो, खातेदार की शनाख्त कर सकता है और उसकी शनाख्त को माना जाता है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या यह सच है कि पोस्ट आफिसों में ऐसे बहुत से बचत बैंक खाते पड़े हुए हैं जिनमें अनेक वर्षों से ब्याज नहीं जोड़ा गया है ?

श्री भगवती : ब्याज समय-समय पर जुड़ता रहता है। यदि कोई विशिष्ट शिकायत है, तो मैं उसकी जांच करूंगा।

अन्तर्राज्यिक नौपरिवहन समस्याओं का अध्ययन

\+

*९२८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यिक नौ परिवहन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कुछ फ्रांसीसी विशेषज्ञ भारत आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे जिन समस्याओं की जांच करेंगे उनके ब्योरे क्या हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). नदियों को नौ-परिवहन के लिये और अधिक योग्य बनाने के लिये नये तरीकों के बारे में परामर्श देने के लिये १० से

२३ फरवरी, १९६४ के दौरान एक फ्रांसीसी मिशन ने जिसमें मेसर्स मोरिस रेमिलियक्स तथा मिचल राउसेलाट[1] थे भारत का दौरा किया था। उन्होंने नर्मदा नदी (गुरुदेश्वर--बडौच सैक्शन) तथा ब्रह्मपुत्र नदी (जोरहाट से नीचे का बहाव) का निरीक्षण किया।

श्री सुबोध हंसदा : क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

श्री राज बहादुर : उन्होंने वस्तुतः कोई प्रतिवेदन अभी नहीं दिया है परन्तु हमारे तकनीकी अधिकारियों ने, जो उनके साथ रहे हैं, कुछ टिप्पण लिये हैं जो कि हमारे पास हैं। हमें उनसे एक प्रतिवेदन भी प्राप्त होने की आशा है।

श्री सुबोध हंसदा : हमारे देश में अन्तर्राज्यिक नौपरिवहन प्रणाली में जो दोष आ गया है, क्या उसके बारे में उन्होंने कोई विचार व्यक्त किये हैं ?

श्री राज बहादुर : उन्होंने नर्मदा तथा ब्रह्मपुत्र के दो विशेष भागों का निरीक्षण किया। उनके बारे में उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किये हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : किन विशिष्ट सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार करने के योग्य समझा है ?

श्री राज बहादुर : इनकी अभी जांच की जानी है। इन सिफारिशों का सम्बंध नौपरिवहन के लिये नदी धाराओं को स्थिर अथवा गहरा करने के तरीकों से है—एक तरीका तो सरफ़ेस पैनल तकनीक का है तथा दूसरा बांटम पैनल तकनीक का। इनका सम्बंध इस से भी है कि इनको कैसे अमल में लाया जाए। ये बहुत ही उच्च कोटि के तकनीकी मामले हैं। यदि वह इसमें दिलचस्पी रखते हैं और मुझे लिखें तो मैं एक विवरण प्रदान कर सकता हूं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिये कावेरी को गंगा से मिलाने के बारे में श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को भी सामने रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे भी एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ थे ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार समस्त देश में तटीय मार्गों की एक 'ट्रंक' प्रणाली तैयार करने के हेतु भारत की बड़ी नदियों को मिलाने की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : सिंचाई सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा नदियों पर बांध बनाने के बाद नदियों में पानी की उपलब्धता तथा वित्त की प्राप्ति के अनुसार हम यह करना चाहेंगे। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इसका जबाब एकदम नहीं दे सकता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि राज्यों की नदियों को एक दूसरे से मिलाने के डा० सिंघवी के सुझाव के बारे में एक 'ब्लू प्रिंट' मंत्रालय द्वारा तैयार कर लिया गया है ? इसके बारे में स्थिति क्या है तथा योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे पता है, गाडगिल समिति ने इस प्रश्न के बारे में विचार किया था और उसने कुछ सिफारिशें की थीं। अन्य रिपोर्टस भी हो सकती हैं परन्तु मुझे पता नहीं है। लेकिन

[1]M/s Maurice Remillieux and Michel Rousselot.

जैसा मैंने कहा, इस मामले में प्रगति जल तथा वित्त की उपलब्धता के अनुसार ही हो सकती है ।

श्री अ० प्र० जैन : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक नदी नौ परिवहन के कौन से मुख्य मार्गों के निर्माण कार्य को चालू किया गया है तथा कितने मार्गों के निर्माण को छोड़ दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे पता है, हमने कलकत्ता-आसाम मार्ग को तैयार किया है जो कि एक मुख्य मार्ग है ।

श्री अ० प्र० जैन : वह तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहिले भी था ।

श्री राज बहादुर : आपने मार्गों के बारे में ही तो पूछा है ।

श्री अ० प्र० जैन : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ।

श्री राज बहादुर : उनके निर्माण का कार्य चलता आ रहा है तथा राजमहल बंगाल-बिहार मार्ग भी बनाया गया है । बकिंघम नहर तथा दक्षिण की एक नहर में भी सीमित रूप से नौपरिवहन का काम किया जाता है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या कलक्ता से आसाम तक नौपरिवहन की अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के बारे में उन्होंने कोई सिफारिश की है ?

श्री राज बहादुर : जी, नहीं । उन्होंने केवल नदी नौपरिवहन के तरीकों के बारे में विचार किया है ।

श्री रंगा : दस वर्ष से भी पहिले बकिंघम नहर में सुधार तथा उसका विकास करने के लिये १ करोड़ से भी अधिक रुपया दिया गया था । क्या कारण है कि काम अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है ? उसके कब तक पूरा होने की आशा है ? उसके लिये फ्रांसीसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री राज बहादुर : मेरा विचार है कि मैं बकिंघम नहर की मुख्य बातें तथा उसके स्वरूप के बारे में कई बार बता चुका हूं । इस नहर की विशेषता यह है कि हम इसके तल की मिट्टी को साफ करते हैं और यह पुनः जमा हो जाती है । हम धन का आवंटन करते आ रहे हैं और इस विशेष कार्य के लिये हम ने पुनः मद्रास तथा आन्ध्र की सरकारों को धन का आवंटन किया है ।

श्री रंगा : मैंने उनसे यह पूछा था कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री राज बहादुर : बकिंघम नहर तो पहिले ही मौजूद है ।

श्री रंगा : भगवान का शुक्र है कि आप ने इसको नहीं बनाया । मैं तो इस में सुधार किये जाने के बारे में पूछ रहा हूं । धन १० वर्ष से भी पहिले दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह तो मौजूद है ।

श्री राज बहादुर : मैं इस धारणा को नहीं बनी रहने दूंगा कि हम ने कुछ भी नहीं किया है ।

श्री विश्राम प्रसाद : सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में यमुना नदी को नर्मदा नदी से मिलाने का प्रस्ताव है । क्या इस मिशन ने इस संभावना पर भी विचार किया है ?

श्री राज बहादुर : मेरे लिये तत्काल यह बताना संभव नहीं है कि यमुना तथा नर्मदा को मिलाया जा सकता है या नहीं ।

श्री लोलाधर कटकी : क्या मंत्री जी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नीमाटी घाट से डिब्रूगढ़ तक का भाग बन्द हो गया है और क्या विशेषज्ञों ने इस प्रश्न की जांच की है और यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं तथा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री राज बहादुर : मैं ने अपने उत्तर में बताया है कि विशेषज्ञों ने ब्रह्मपुत्र के उस भाग का निरीक्षण किया था जो कि जोरहाट के नीचे की ओर तथा दक्षिण में है । नीमाटी घाट तथा डिब्रूगढ़ जोरहाट के उत्तर में हैं तथा कुछ समय पहिले हुए भूकम्पन के विपरीत प्रभाव के कारण उनकी नौगम्यता पर प्रभाव पड़ गया था ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या नर्मदा–ब्रह्मपुत्र नदी नौपरिवहन योजनाओं की वित्तीय उपलक्षणाओं की जांच की गई है और यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च होगी ?

श्री राज बहादुर : उन्होंने वर्तमान नदियों के बारे में कुछ विशेष बातों की जानकारी दी है जैसे कि नौगम्यता, जल-बालू का होना तथा नदी तल की विशेषता । इन बातों की पूरी तरह से छानबीन की जानी है और उपकरण प्राप्त किया जाना है । हम इसके बारे में इस समय कुछ भी नहीं कह सकते ।

प्रश्न संख्या ९४१ के बारे में

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : प्रश्न संख्या ९२९ के साथ ९४१ को भी ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सुविधाजनक हो तो उसका भी साथ ही उत्तर दे दिया जाये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : यह तो अलग प्रश्न है परन्तु यदि ऐसी इच्छा हो तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह अलग है तो इसे अलग ही रखा जाये ।

चीनी और गुड़ के लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध

\+

*९२९. **श्री गुलशन :**
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९६४ में किसी समय संवाददाता सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने यह कहा था कि चीनी और गुड़ के लाने-ले जाने पर जो प्रतिबन्ध लगा है वह हटाया नहीं जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी और गुड़ के सम्भरण की लोगों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्धता तथा आवश्यकताओं का हिसाब लगाने के बाद नियमित वितरण के लिए विभिन्न राज्यों को हर महीने चीनी तथा गुड़ का अभ्यंश दिया जाता है ।

Shri Gulshan : Is it a fact that before control people have been getting sugar and gur in abundance and at less than the control rate? Is it also a fact that the sugar and gur crisis has been created by the Govt.?

Mr. Speaker : How can the hon. Minister agree to the second part?

Shri Gulshan : We assert that this crisis is the creation of the Govt.

श्री शिन्दे : यह ठीक नहीं है । सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष उत्पादन कम हुआ था और कुछ निर्यात का भी हम ने वचन दे रखा है । इसीलिए चीनी के संभरण में कुछ तंगी थी ।

Shri Gulshan : Sir, it may be explained in Hindi.

Mr. Speaker : The hon. Minister does not accept what the hon. Member has said.

Shri Gulshan : It is also a fact that Govt. does not want to withdraw control on sugar and gur and the requirements of the people are not met; if so, has Govt. failed in meeting the requirements?

श्री शिन्दे : जब तक उत्पादन स्थिति नहीं सुधरती, सरकार का वर्तमान नियंत्रण में ढील देने का विचार नहीं है ।

Shri Gulshan : There is no sugar available in rural areas.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को ज्ञात है कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के बीच गुड़ को निर्बाध रूप से न लाने-ले जाने के कारण पंजाब के देहाती इलाकों में बड़ी कठिनाई हुई है और यदि हां, तो क्या सरकार कम से कम पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच गुड़ लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : कई बार बताया जा चुका है कि प्रतिबन्ध हटाना संभव नहीं है । उत्तर प्रदेश में गुड़ का भाव २६ या २७ रुपये के लगभग रहा है; यह नहीं कहा जा सकता कि भाव इतने कम हो गये हैं कि प्रतिबन्ध हटाना उचित होगा . . . (**अन्तर्बाधायें**) पंजाब में भी काफी गुड़ पैदा होता है और वह उत्तर प्रदेश के गुड़ पर ज्यादा निर्भर नहीं करता ।

Shri Onkar Lal Berwa : When would we be self-sufficient in sugar and gur?

श्री शिन्दे : कोई निश्चित समय बताना कठिन है ।

Mr Speaker : The hon. Parliamentary Secretary says that he cannot suggest any time.

Shri Onkar Lal Berwa : Does he not know when we shall be self-sufficient in this regard?

Mr. Speaker : He says he cannot tell. Would the hon. Member force the information out of him.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या चीनी और गुड़ लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने से इन दोनों वस्तुओं के समान वितरण और मूल्य कम करने में सहायता मिली है और यदि नहीं तो यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ?

श्री अ० म० थामस : सभी जानते हैं कि गुड़ पर प्रतिबन्ध इसलिये लगाया गया है ताकि गन्ने के प्रतियोगात्मक उपभोक्ताओं को अर्थात् खंडसारी और सफेद दानेदार चीनी के निर्माताओं को गन्ना मिल सके। सच तो यह है कि यदि यह प्रतिबन्ध न लगाया जाता तो गन्ना कम मिलने के कारण कई कारखानों को नुक्सान होता। यह प्रतिबन्ध के ही कारण था कि सफेद दानेदार चीनी के निर्माता खंडसारी और गुड़ निर्माताओं का मुकाबला कर सके और बावजूद इस बात के कि गन्ने का मूल्य २ रुपये मन कर दिया गया था।

Shri Kachhavaiya : I want to know how much sugar and gur has been seized in the process of smuggling ever since the imposition of ban on their movement and how many persons have been punished.

श्री शिन्दे : सभी राज्यों में थोड़े से मामले ध्यान में आये हैं। परन्तु सभा में पहले ही बताया जा चुका है कि इनकी मात्रा बहुत थोड़ी है।

Shri Prakash Vir Shastri : The ban on inter-State movement of gur was imposed because Government wanted the production of sugar to be 33 lakh tons and wanted that the sugar mills should get more sugarcane. May I know what is the necessity of this ban now when the sugar mills have closed down?

श्री अ० म० थामस : प्रतिबन्ध के बावजूद बहुत सा गन्ना गुड़ तथा खंडसारी के उत्पादन में चला जाता था। यदि ऐसा न होता तो शायद ३३ लाख टन का लक्ष्य पूरा करना संभव हो जाता। सच तो यह है कि ३३ लाख टन का यह लक्ष्य हमारी अपनी आवश्यकताओं, निर्यात वायदों तथा आगे के लिये कुछ जमा रखने को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था। लगभग २६ लाख टन की आन्तरिक खपत, ५ लाख टन निर्यात तथा २ लाख टन आगे के लिये रखने का अनुमान था। इस आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यदि गन्ने का बड़े पैमाने पर गुड़ तथा खंडसारी के लिये इस्तेमाल न होता तो यह लक्ष्य लगभग पूरा हो सकता था। इन सारी रुकावटों के बावजूद भी बड़े पैमाने पर विकर्षण हुआ है और गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रति मन करना पड़ा था। सभा को ये सारी बातें मालूम हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, my question was different. It seems that I have not been able to bring home my question to the hon. Minister.

Mr. Speaker : The hon. Member is arguing. Decisions are not taken in the Question Hour. It is only imformation that can be elicited now. He is arguing.

Shri Prakash Vir Shastri : I am not arguing. My question was not this.

Mr. Speaker : He gives an argument and wants the reply also in the form of an argument.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was : when sugar mills have closed down and there is no question of supplying sugarcane to them, why ban has been imposed on gur. It is a very simple question.

श्री शिन्दे : प्रतिबन्ध का उद्देश्य यह नहीं था कि चीनी निर्माताओं को अधिक गन्ना उपलब्ध किया जाये बल्कि यह भी था कि सारे देश में उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर देशी खांड भी दी जाये।

श्री रंगा : कौन से उपभोक्ता ? उत्तर प्रदेश में ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

Shri P. L. Barupal : Is it a fact that farmers manufacture gur from their sugarcane because they do not get as much sugar as is given in cities and now Govt. was clamped a ban even on that ?

श्री शिन्दे : राज्यों के अन्दर वितरण का काम राज्यों को ही सौंप दिया गया है और ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में वितरण कैसे होना है यह निर्णय भी राज्य सरकारों ने करना है।

श्री दे० जो० नायक : गुड़ का निर्माण क्योंकि एक महत्वपूर्ण ग्रामोद्योग है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रतिबन्ध का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

श्री अ० म० थामस : इसका उद्योग पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता था क्योंकि, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, गुड़ का भाव अब भी लगभग २६ या २७ रुपये है और इस तरह जो किसान अपना गन्ना गुड़ निर्माता को देता है वह २ रुपये प्रति मन से अधिक प्राप्त कर सकता है जब कि सफेद दानेदार चीनी का निर्माता केवल दो रुपये तक दे सकता है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने लगान काल के लिये, अर्थात् अक्तूबर से जुलाई तक, अधिक चीनी के बारे में नियम बनाये हैं ?

श्री शिन्दे : मैं समझता हूं कि अधिक चीनी देना सम्भव नहीं होगा।

Shri Tyagi : Is it a fact that the price of gur has increased not because of the increased number of gur consumers but because there has been a spurt in its illicit distillation and sale there of in the western provinces?

Mr. Speaker : Particularly in Dehra Dun district.

श्री त्यागी : जी नहीं, पंजाब में।

Mr. Speaker : The complaint is not about Punjab.

श्री अ० म० थामस : सूचना मिली है कि बहुत से राज्यों में गुड़ का अवैध इस्तेमाल बहुत होता है और गुड़ के भाव बढ़ने का एक कारण अवैध रूप से शराब बनना है।

श्री अ० प्र० जैन : क्या यह सच है कि जब प्रतिबन्ध लगाया गया था उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने आग्रह किया था कि एक बार प्रतिबन्ध लगा कर उसे मौसम के अन्त तक नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि गुड़ बिचौलियों के हाथ में पहुंच चुका होगा जो प्रतिबन्ध के हटाये जाने पर लाभ कमायेंगे ?

श्री अ० म० थामस : केन्द्रीय सरकार का भी यही मत है। अन्यथा यह बहुत बुरा होगा तथा इससे बिचौलियों को स्टाक करने का प्रोत्साहन मिलेगा। यही नहीं। यद्यपि मौसम समाप्त होने वाला है फिर भी हमारा विचार प्रतिबन्ध हटाने का नहीं है क्योंकि इससे लाभ उत्पादक को नहीं होगा, लाभ होगा केवल बिचौलियों को।

Railway Schools and Colleges

*930. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to open some more schools and colleges in various Railway zones in addition to the existing schools and colleges;

(b) whether it is fact that no education expert has been appointed for the supervision of the present schools and colleges run by the various Railways; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) to (c). A statement is laid on the table of the Sabha.

STATEMENT

Under the Constitution provision of educational facilities is the responsibility of the State Governments and Railway employees share this facility with other citizens. For the convenience of their employees, as a measure of staff welfare, the Railways are running and maintaining schools of primary, middle and high/higher secondary standard at a number of places where there are no schools or where schools of the requisite standard do not exist or where such schools are situated far away from Railway colonies.

Under the existing policy provision of educational facilities for the children of Railway employees is restricted upto Higher Secondary School stage. The Railways have thus not entered the field of college education so far. However, in compliance with the Uttar Pradesh Government's re-organisation scheme of education policy two Railway High Schools; one at Tundla and the other at Moghalsarai had to be raised to Intermediate standard by opening classes XI and XII in these schools.

Railways run schools in the same way as private managements do and in a number of cases receive grants-in-aid from State Governments. Education Officers of the State Governments inspect the Railway schools once in a year. Chief Personnel Officers on Railways look after matters pertaining to Railway schools. The day-to-day administration of the schools is carried out through the Headmaster/Headmistress by Railway Officers nominated as Controlling Officers.

As an experimental measure two temporary posts of Education Officers have been sanctioned, one each for the Western and South Eastern Railways. These two posts have been filled up by an Officer on deputation from the State Government on the Western Railway and by utilising the services of a Railway Personnel Officer on the South Eastern Railway.

The present policy in regard to opening of new schools is that State Governments should be approached to open schools and where State Governments are not willing to do so Railway employees should be encouraged to run schools for the education of their children, Railway Administrations affording facilities like land or building on nominal rent as well as grants-in-aid from Railway Revenues. Although there is no specific proposals to open more schools in different Railway Zones in accordance with this policy, proposals regarding opening of new schools are considered on merit of each case, and suitable action is taken thereon.

Shri Prakash Vir Shastri : How many schools and Colleges are at present being run by the Railways and how many students are there on the rolls? What is the annual expenditure thereon ?

Shri Shahnawaz Khan : There are 715 Railway Schools at present in which 1 lakh and 475 students are studying.

Mr. Speaker : What is the expenditure incurred ?

Shri Shahnawaz Khan : I do not have any exact estimate of expenditure at this movement.

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Minister has first stated that over one lakh students are studying in Railway Schools. The statement points out that no expert has been appointed for their supervision ; the supervision is done only by the departmental officers. There is only one such supervision on the Western Railway. If the Railways do not have any such person, why do they not ask for a sepecialist from the Education Ministry of the Centre who could supervise the whole system ?

Shri Tyagi : Is this work done by ticket collectors ?

Shri Shahnawaz Khan : The Hon. Member must be knowing that education is the State responsibility. We want that all the Railway Schools should be run through the State Educational Authorities. The Railway Schools, wherever they are, functioning like the schools under private management. Their syllabus is what is prescribed by the State Government. The Inspectors of Schools of the State Governments come for inspection there. We proceed in the light of their advice.

Shri Prakash Vir Shastri : It is a matter of surprise that there should be no educational expert when there are 750 schools and more than one lakh students. If you have no expert of your own, why do you not take one on deputation from the Education Ministry ?

Shri Shahnawaz Khan : The teachers in these schools are all trained B.A.B.Ts. and M.A.B.Ts. These Schools function under the supervision of the State Educational Authorities.

श्री हरि विष्णु कामत: विवरण से पता चलता है कि यद्यपि इस नीति के अनुसार विभिन्न रेलवे जोनों में और स्कूल खोलने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है लेकिन फिर भी प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर नये स्कूलों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक मामले के गुण दोषों को परखने की कसौटी क्या है तथा क्या ये नये स्कूल सभी जोनों में बराबर बराबर बांटे जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : कसौटी यह है कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये उचित शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जायें । राज्य सरकारें सुविधायें देती हैं या नहीं, यह सुविधा और वास्तविक स्थिति की बात है। यदि किसी रेलवे स्टेशन या रेलवे कालोनी के पास राज्य द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थायें होती हैं तो हम इस बात को वरीयता देते हैं कि वे इन्हीं में शिक्षा पायें। परन्तु जब रेलवे कालोनियां दूर दूर होती हैं जहां कोई प्राइवेट स्कूल और कालेज नहीं होते, रेलवे प्रशासन उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करने के अपने उत्तरदायित्व से कतराता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया है। क्या नये स्कूल जोनों में बराबर बराबर बांटे जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : जहां जरूरत होती है वहां ये स्कूल खोले जाते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : The statement says that the Western Railway has asked the State Govt. to send an education officer on deputaion. What is the reason and if it is essential for improvement in the field of education why is it that his arrangement has not been made in other zones ?

Shri Shahnawaz Khan : This has been done on an experimental basis. If it yields good results, we may expand it. I may add that six hundred students are studying in Oak Govt. School, Mussoorie and a railway officer is its principal. I urge upon the Members to visit that school and I can claim that this is one of the best schools in India.

श्री दी० चं० शर्मा : कालेज न खोलना रेलवे की नीति है। विवरण में यही लिखा है। क्या रेलवे मन्त्रालय रेलवे कर्मचारियों के कालेज जाने वाले बच्चों को कोई शिक्षावृत्ति देता है ?

श्री शाहनवाज खां: रेलवे द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को १००० छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और कालेज जाने वाले बच्चे भी इन छात्रवृत्तियों के पात्र हैं।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : विवरण में रेलवे प्रशासन ने केवल हाई स्कूल शिक्षा तक का उल्लेख किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे रेलवे कर्मचारियों के ऐसे बच्चों को, जिन्हें कालेज की शिक्षा की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, तकनीकी तथा कालेज की शिक्षा देने की वांछनीयता पर विचार कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : कर्मचारी लाभ निधि में से हम उनकी सहायता करते हैं।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that courses vary from school to school because there is no education officers and when a railway official is transferred to another place, his children have to start then studies anew ?

Shri Shahnawaz Khan : This is the problem not only of the Railway employees but all the Central Govt. employees. Each State has a different syllabus and it is a matter which concerns the Education Ministry.

Shri Bade : The Hon. Minister has stated that only one school runs on the best possible lines. Does it mean that the rest of the 750 Schools are not running efficiently ? Have you received any complaints that the appointment of teachers is not regular ?

Shri Shahnawaz Khan : When there are so many schools, it is quite possible that in some arrangements may not be upto the mark. If the Hon. Member gives any names, I shall look into the matter.

Shri Tulshi Das Jadhav : Is the fee charge from the children of the railway employees uniform or in accordance with the pay of their parents ? Have you made any provision to give them free education ?

Shri Shahnawaz Khan : Education upto primary stage is free.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि खड़गपुर हायर सैकेंडरी स्कूल में प्रति वर्ष विद्यार्थियों की भरमार रहने के कारण वहां के कर्मचारियों ने एक दूसरा स्कूल खोल लिया है; यदि हां, तो क्या विवरण में उल्लिखित सुविधायें उस स्कूल को भी दी जा रही हैं ?

श्री शाहनवाज खां : तथ्य यह है कि हम स्वयं कर्मचारियों द्वारा अपने प्रबन्ध में स्कूल खोलने और चलाने का स्वागत करते हैं और जमीन, इमारतें तथा कुछ धनराशि देकर उनकी सहायता करते हैं।

श्री दलजीत सिंह : इन स्कूलों तथा कालेजों में विद्यार्थियों को क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं?

श्री शाहनवाज खां : प्राथमिक स्तर तक शिक्षा मुफ्त है। हम तकनीकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां देते हैं। कर्मचारी लाभ निधि में भी एक समिति है जो सुपात्र मामलों में सहायता देती है।

श्री वाल्काट का भाग निकलना

***९३२. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मन्त्री ११ फरवरी, १९६४ और ३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः ६ और ३९४ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ सितम्बर, १९६३ को सफदरजंग हवाई अड्डे से श्री वाल्काट के भाग निकलने के बारे में जांच पूरी हो चुकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपलब्धियां तथा निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो जांच इस समय किस स्थिति में है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). श्री वाल्काट के भाग निकलने की अग्रेतर जांच के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा अभी जांच की जा रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार जानती है कि इस जांच में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण जनता यह समझती है कि सरकार सुरक्षा के प्रति यदि अंधी नहीं तो असावधान अवश्य है तथा इस मामले में बड़े बड़े अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं जिनमें से मैंने पिछली बार उस समय के दिल्ली में एयर इंडिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम लिया था और यदि उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच अब किस स्थिति में हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : सुरक्षा का प्रश्न उठाया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इस जांच का सुरक्षा से भी सम्बन्ध है। परन्तु सुरक्षा के लिये इस बीच जो उपाय किये जाने हैं वे किये जा रहे हैं। जहां तक एयर इण्डिया का....

अध्यक्ष महोदय : विलम्ब के क्या कारण हैं ? प्रश्न केवल यह है।

श्री मुहीउद्दीन : इस प्रयोजन के लिये जो अधिकारी रखा गया है वह पूरे समय के लिए नहीं है। उन्हें और भी काम करने होते हैं। अनेक कागज-पत्र देखने होते हैं। फिर भी उन्होंने तेजी से जांच करने और प्रतिवेदन देने का वचन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जब इस बारे में इतनी चिन्ता व्यक्त की गई है, सरकार को यह कहना शोभा नहीं देता कि वह जांच के लिये पूर्वकालिक अधिकारी नहीं है। उन्हें अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये था ताकि जांच यथासम्भव शीघ्र समाप्त हो जाती।

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): जब इस मामले की जांच के लिये हमने अधिकारी को नियुक्त किया था, इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वह ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें असैनिक उड्डयन विभाग के नियमों का पूरा ज्ञान हो... (**अन्तर्बाधायें**) मुझे आगे कहने दिया जाए...और जो अधिकारी हमने रखा है वह असैनिक उड्डयन का भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल है। इस समय वह डाक और तार विभाग के महा-निदेशक हैं। वह जांच कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि मई के मध्य तक वह अपनी रिपोर्ट दे देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को सूचना मिली है कि श्री वाल्काट अभी तक पैरिस पुलिस या फ्रांसीसी पुलिस की नजरबन्दी में हैं और क्या उनके प्रत्यर्पण के लिये कुछ कार्यवाही की गई है तथा क्या यह कार्यवाही बड़ी नरमी से की जा रही है क्योंकि सरकार को डर है कि श्री वाल्काट कहीं प्रशासन और उच्च पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ न कर दें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह सवाल पिछली बार भी पूछा गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : जी नहीं, यह नहीं पूछा गया था।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। वह इसका उत्तर दे दें।

श्री मुहीउद्दीन : मैं सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि पैरिस में हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी भेजी है कि वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कारणों का हमें पता हीं है। न ही मामले में हुई प्रगति का हमें ज्ञान है। उनके प्रत्यर्पण के बारे में मैं पहले ही सभा को बता चुका हूं कि प्रत्यर्पण के बारे में भारत तथा फ्रांस में सन्धि १८७१ या १८७२ में हुई थी और उसमें कौन से अपराध आते हैं यह जटिल प्रश्न है। जहां तक फ्रांस से प्रत्यर्पण का सम्बन्ध है, यह सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि वह फ्रांस के नागरिक नहीं हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, शायद मुझे फिर आप से अपील करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अवसर दूंगा। वह धैर्य रखें।

श्री जोकीम आल्वा : माननीय असैनिक उड्डयन मंत्री जो सक्रिय अपराधी रहे हैं ... (**अन्तर्बाधा**) मुझे खेद है, मैं क्षमा चाहता हूं...जो आपराधिक मामलों की सक्रिय वकालत करते रहे हैं, जानते हैं कि जब कोई कैदी पुलिस की हवालात से भाग जाता है, पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाता है; यदि वह जेल से भाग निकलता है तो जेल अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाता है या दण्ड दिया जाता है तथा जांच होती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह जांच शुरू हुई थी तो किसी को पकड़ा या दंडित क्यों नहीं किया गया। क्या यह जांच अनन्तकाल तक चलेगी?

श्री राज बहादुर : क्या मैं इतना कह सकता हूं कि जहां तक भाग निकलने का यह विशेष मामला सम्बन्धित है, जब श्री वाल्काट भागे थे तो वह किसी हिरासत में नहीं थे ? वह जेल भुगत चुके थे, जुर्माना भी दे चुके थे। हमें खेद है कि वह भाग गए। हमने यह कभी नहीं कहा कि हमें इस पर दुःख नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मैं क्या करूं ?

श्री बड़े : एक ओर वह कहते हैं कि वह भाग गये थे और दूसरी ओर कहते हैं कि हिरासत में नहीं थे।

श्री रंगा : जब वह भागे तो हवाई अड्डे पर कोई भार-साधक अधिकारी नहीं था।

श्री राज बहादुर : जिस समय वह भागे, वह हिरासत में नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इन दोनों शब्दों पर आपत्ति है एक 'हिरासत'[1] और दूसरा 'भाग निकलना'[2]।

श्री राज बहादुर : मझे खेद है कि मैं 'हिरासत' तथा 'भाग निकलना' शब्दों के सूक्ष्म भेद को नहीं समझ पाया। जब मैं 'भाग निकलना' कहता हूं तो मेरा मतलब उनकी अनधिकृत उड़ान से है और 'हिरासत' से मेरा तात्पर्य यह है कि वह हवालात में नहीं थे क्योंकि उस समय वह स्वतन्त्र थे क्योंकि वह जेल भुगत चुके थे और जुर्माना आदि दे चुके थे। दूसरा प्रश्न फ्रांस से उनके प्रत्यर्पण के बारे में है। यह हमारी सन्धि पर तथा अपराधों के स्वरूप और गम्भीरता पर निर्भर करता है कि वे इस सन्धि के अधीन आते हैं या नहीं। इसके आगे हम नहीं जा सकते। इस बात की जांच हो चुकी है।

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी : प्रत्यर्पण का प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है, इसकी कानूनी स्थिति को तय करने में इतना समय क्यों लगा है तथा और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि पिछली बार भी सभा को बताया गया था। इस बात की जांच कर ली गई है, उस में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। क्योंकि इस में अन्तर्ग्रस्त अपराधों का सम्बन्ध भारतीय वैमानिक नियमों तथा विनियमों से है, उन्हें प्रत्यर्पण के योग्य नहीं समझा गया है।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की है कि मई के मध्य तक रिपोर्ट आ जायेगी। मई के मध्य का क्या विशेष महत्व है ? क्या इसलिये कि तब तक संसद् का अधिवेशन समाप्त हो चुका होगा ?

श्री राज बहादुर : मैं इस आक्षेप का खंडन करता हूं। तथ्यों को संसद् से गुप्त रखने के लिये जांच को धीरे धीरे चलाना या उस में विलम्ब करने का हमारा इरादा नहीं है। परन्तु अधिकारी उन परिस्थितियों का पता लगाने में समय तो लेंगे ही जिन में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। जब तक तथ्यों का पता न चल जाए हम किसी को दंड नहीं दे सकते।

---

[1]Custody.

[2]scape.

श्री बड़े : मंत्री महोदय ने कहा है कि श्री वाल्काट स्वतन्त्र थे और उस के बाद वह कहते हैं कि उन्होंने वैमानिक नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन किया था जो उनकी राय में प्रत्यर्पण योग्य अपराध नहीं है। क्या उन्होंने पक्का निष्कर्ष निकाल लिया है कि ये अपराध प्रत्यर्पण योग्य नहीं हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं ने यह कहा है कि भारतीय वैमानिक नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने के अपराध प्रत्यर्पण योग्य नहीं हैं और वे फ्रांस के साथ सन्धि के अधीन नहीं आते।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके मस्तिष्क में काफी भ्रान्ति है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारा कानूनी सवाल विधि अधिकारियों को सौंपा गया है .....

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों में बहुत प्रतिवाद है। मैं बीच में बातचीत करने को सहन नहीं कर सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री वाल्काट के भाग जाने के इस मामले के कानूनी पहलू को विधि अधिकारियों या विधि मंत्री को सौंपा गया है और यदि हां, तो उन की क्या राय है ?

श्री राज बहादुर : ऐसे मामलों में हम अकेले ही कार्यवाही नहीं करते। नियमों, विनियमों, अधिनियमों आदि के विवाचन के ऐसे मामले सदा विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट किए जाते हैं। यह मामला भी विधि मंत्रालय के पास भेजा गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : उनकी क्या राय है ?

श्री राज बहादुर : यही राय है जो मैं ने अभी बताई। अतः इस ओर किसी के मस्तिष्क में कोई भ्रान्ति नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदय के उत्तर पारस्परिक खंडनों के भरे हुए हैं। श्रीमान्, मैं आप से अपील करता हूं कि आप सभा की रक्षा करें। मंत्री महोदय कहते हैं कि श्री वाल्काट हिरासत में नहीं थे। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं उन के विरुद्ध एक आदेश लम्बित था, इस के अतिरिक्त उन का वायुयान भी निरुद्ध था। फिर भी मंत्री महोदय कहते हैं कि वह स्वतन्त्र थे और केवल किसी वैमानिक नियम का थोड़ा सा उल्लंघन हुआ था।

श्री त्यागी : वायुयान मुक्त नहीं था ।

श्री हरि विष्णु कामत : दूसरी बात यह है कि कनिष्ठ मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रत्यर्पण कार्यवाही चल रही है। परन्तु वरिष्ठ मंत्री महोदय से यही पता चलता है कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम क्या समझें ? श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि आप भी उन की बात समझे हैं या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझा हूं, मंत्री महोदय ने यह तो नहीं कहा कि प्रत्यर्पण कार्यवाही हो रही है ।

श्री राज बहादुर : क्या मैं एक बात और कह सकता हूं ? मेरे माननीय सहयोगी ने जिस हिरासत का उल्लेख किया था वह श्री वाल्काट के इस समय फ्रांस में नजरबन्द होने से सम्बन्धित था जब कि श्री जोकीम आल्वा ने जिस हिरासत का उल्लेख किया है उस का सम्बन्ध उस हिरासत से है, यदि ऐसी कोई हिरासत थी, जब यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। इसलिये इसमें कोई खंडन नहीं है।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, श्रीमान्, आप ने स्वयं की स्थिति स्पष्ट कर ी है।

अलाभप्रद ढोर

*९३३. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में ढोर अलाभप्रद तथा बकार हैं और वे देश के संसाधनों पर भार स्वरूप हैं; और

(ख) यदि हां, तो अलाभप्रद ढोरों की संख्या को न बढ़ने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अलाभप्रद ढारों की संख्या को न बढ़ने देने के लिये भारत सरकार ने गोसदन और बड़े पैमाने पर बैलों को बधिया करने की योजनायें चालू की हैं। नर ढोरों को, गोसदनों में आने के तुरन्त पश्चात्, बधिया कर दिया जाता है और गायों को आगे प्रजनन नहीं करने दिया जाता। बड़े पैमाने पर बधिया करने की योजना के अन्तर्गत निकम्मे सांडों को व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर बधिया किया जाता है। राज्य पशुपालन / पशु चिकित्सा विभाग भी अपने क्षेत्र कर्मचारियों के द्वारा बधिया करने का काम कर रहे हैं। बन्ध्यीकरण गायों के लिये बिना दर्द के और सरल तरीके पता लगाने के लिये अनुसन्धान भी हो रहा है।

श्री दे० जी० नायक : क्या अलाभप्रद ढोरों का कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो वे कौनसे राज्य हैं, जिन में अलाभप्रद ढोर बड़ी संख्या में हैं ?

श्री शिन्दे : हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, इस सम्बन्ध में १९४८ की ढोर परिरक्षण और विकास समिति का प्रतिवेदन है। उस समिति के प्रतिवेदन से पता लगा है कि कम से कम २ प्रतिशत बेकार ढोर हैं और ८ प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें अलाभप्रद कहा जा सकता है और इन में से अधिकांश उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हैं। परन्तु जहां तक बेकार और अलाभप्रद ढोरों का संबंध है, हम उन्हें समस्त भारत में पाते हैं।

श्री दे० जी० नायक : खली पौष्टिक चारा है। इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है और क्या इस के निर्यात का हमारे देश में चारे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): भारत में चारे के निर्यात का कुछ विरोध किया गया है। हम स्थिति का पुनर्विलोकन कर रहे हैं। हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता इतनी अधिक है कि हमें जो भीवस्तु संभव्यतया निर्यात की जा सकती है उसे निर्यात करना पड़ता है।

श्री मान सिंह प्र० पटेल : क्या सरकार ने गोसंवर्धन परिषद्, जिस की बैठक आरे बस्ती में जनवरी, १९६४ में हुई, के अन्तिम प्रतिवेदन पर कार्यवाही कर ली है, और यदि हां, तो इन अलाभप्रद ढोरों के उन्मूलन के लिये क्या नये प्रस्ताव बनाये गये हैं।

श्री अ० म० थामस : इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। मैं नहीं समझता कि अलाभप्रद अथवा बेकार ढोरों की संख्या घटाने के लिये आरे में हुई

गोष्ठी ने कोई क्रान्तिकारी सुझाव दिये हैं। वास्तव में यह एक बड़ी भारी समस्या है। यह सुझाव है कि ढोरों की संख्या बहुत बड़ी है। १९६१ की पशु गणना के अनुसार यह संख्या १७५६.७ लाख है। अतः यह एक बड़ी समस्या है। गोवध अथवा ढोर वध के प्रति सुझाव भावात्मक आपत्ति भी है।

श्री तिरूमल राव : वे कौन से राज्य हैं जिन्हों ने किसी किस्म के ढोर का वध कानूनी रूप से निषिद्ध किया हुआ है ?

श्री अ० म० थामस : मैं बिना जानकारी के नहीं कह सकता, परन्तु यह उत्तर भारतीय राज्यों में ऐसा कानून विद्यमान है ।

श्री पं० शा० देशमुख : वास्तव में कितने गोसदन काम कर रहे हैं, उन में कितने ढोर हैं और वास्तव में देश में बेकार ढोरों की संख्या की तुलना में उनका क्या अनुपात है ?

श्री शिन्दे : इस समय कुल ६० गोसदन काम कर रहे हैं, और जहां तक इन गोसदनों में ढोरों की सही संख्या का संबंध है, मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। हां, यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न की सूचना दें तो मैं सहर्ष उसका उत्तर दूंगा।

श्री राधेलाल व्यास : इन गोसदनों या पिंजरापोलों को इन बेकार और अलाभप्रद ढोरों के परिरक्षण और उन्हें पृथक रखने में कहां तक सफलता मिली है, और क्या सरकार इन गोसदनों को स्थापित करने के लिये अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ?

श्री अ० म० थामस : सरकार अधिक गोसदनों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहती है परन्तु मेरे सहयोगी द्वारा बताई गई संख्या, अर्थात् ६० गोसदन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं ।

जैसा कि मैंने बताया, कुल १७५६.७ लाख ढोरों में से १० प्रतिशत ढोर बेकार अथवा अलाभ-प्रद हैं। अतः सदस्यगण समझ सकते हैं कि समस्या कितनी जटिल है। इस लिये यदि गोसदनों की संख्या इस हद तक बढ़ा दी जाये तो अवश्य कुछ राहत मिलेगी ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : No. Member is ignorant of the fact that one generaion of cow provides ghee, milk, butter and butter-milk etc. to lacs of people and they also provide us with young ones of cows. Should the cow be treated as uneconomic cattle ? If so, would, this type of thinking not encourage cow slaughter ?

श्री अ० म० थामस : यहां पर गोवध के लिये वकालत नहीं की गई। मैंने केवल इतना कहा था कि बेकार ढोरों से पीछा छुड़ाने का सामान्य तरीका वध करने का है जिस के प्रति देश में भावनात्मक आपत्ति है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हम गोकल्याण के महत्व को मानते हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : माननीय मंत्री ने प्रश्न के मूल उत्तर में सांडों को बधिया करने और गायों के बन्धीयकरण की चर्चा अधिक की। ढोरों की नस्ल को सुधारने और अलाभप्रद ढोरों को लाभप्रद ढोर बनाने के लिये सरकार के पास क्या योजनायें हैं ?

श्री शिन्दे : अनेक पशु सुधार, बुनियादी ग्राम योजनायें आदि हैं। जहां तक सांडों को बधिया करने की योजनाओं का संबंध है, उन पर केरल, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मैसूर, उत्तर प्रदेश, और संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा, में अमल किया जा रहा है। इन राज्यों में अब तक १२४,०००

ढोरों को बधिया कर दिया गया है। हां, ढोरों के सुधार की सामान्य समस्या कृषि, डेरी आदि के विकास पर निर्भर करेगी और विभिन्न पशु सुधार योजनाओं के संबंध में हमारे कृषकों के विचारों पर भी निर्भर करेगी।

श्री त्यागी : क्या ढोरों पर भी परिवार नियोजन लागू होता है ?

Shri Yashpal Singh : What steps do Government propose to take to get rid of uneconomic mankind ?

श्री रंगा : अलाभप्रद मंत्री ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अमरीका के एक फार्म विशेषज्ञ ने यह सुझाव दिया है कि यदि गाय के गुप्त अंग में एक छोटे से लोहे का स्प्रिंग लगा दिया जाये तो गाय आगे प्रजनन नहीं कर सकती। अतः क्या सरकार ढोरों की अवैध और अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिये इस सरल तरीके को इस्तेमाल में लाना चाहती है ?

श्री शिन्दे : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, गायों को देशी दवाइयां देकर और कई प्रकार के 'क्लिप, स्टील के स्प्रिंग, 'पैसरीज़' आदि इस्तेमाल करके पहले से ही बेकार गायों के बन्ध्यीकरण के उपयुक्त तरीकों का पता लगाने की सम्भावयता की जांच कर रही है।

Shri Yashpal Singh : My question has not been answered.

Mr. Speaker He started talking about human beings while the subject matter of the question was cattle.

Shri Yashpal Singh : Cattle are sterilized, and this is against the spirit of our secular State.

Mr. Speaker : His question was quite separate. Let him take his seat.

श्री शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इसकी जांच करनी पड़ेगी। परन्तु मुझे पता नहीं है कि अमरीकी सरकार को इस प्रयोग में सफलता मिली है अथवा नहीं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख: ब्राजील में सफलता मिली है।

Import of Wheat

*935. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Brij Raj Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a loss of Rupees 24 crores in the imported wheat has been incurred during 1963-64 ; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) The trading loss is expected to be around rupees 11 crores.

(b) The loss arises out of the deliberate decision of Government to sell wheat at a subsidised price of Rs. 37.51 per quintal (Rs. 14/- per maund) as part of policy to stabilise prices and to afford relief to the vulnerable sections of the population.

Shri Kachhavaiya : In what account shall the Govt. write off the loss incurred due to the selling of foodgrains ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh) : Hon. Member has been told. He can understand as to in what account can it be put. The policy is that people should get food grains at cheaper rates. This is, therefore, intentionally done for the benefit of the people. I hope the hon. Member will approve of it. If in his opinion the price of food-grains should be raised, we can consider that point also.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पंचायतों का भंग किया जाना

*६२५. **श्री रा० बरुआ :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में २१ पंचायतों के कर्मचारियों के विरुद्ध धन और भूमि के गबन और दुर्विनियोग के अभियोगों के लगाये जाने के परिणामस्वरूप हाल ही मे उन पंचायतों को भंग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पंचायतों के कार्य को उचित रूप से चलाने के लिये कदम उठाने के स्थान पर उन पंचायतों को भंग क्यों किया गया है ; और

(ग) इन अनियमितताओं के लिए जो अधिकारी उत्तरदायी थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, ३ वर्ष में अर्थात् १९६१—६३ में २० मामलों में आरोप प्रधानों के विरुद्ध थे। शेष एक मामले में आरोप पंचायत के सचिव और गांव सभा के विरुद्ध थे।

(ख) जांच पूरी करने और कानूनी कार्यवाही करने के लिये पंचायतों को भंग कर दिया गया था। तथापि, हाल के आम चुनावों के पश्चात्, दो पंचायतों को छोड़ कर जिन्हें शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है, इन सभी पंचायतों में १-१-६४ से गांव पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। निर्वाचित पंचायतें १९ पंचायतों में काम कर रही हैं और उन्हें भूमि प्रबन्ध को छोड़ कर सभी शक्तियां प्राप्त हैं। जहां तक ग़लती से दी गयी भूमि की वसूली का प्रश्न है, भूमि प्रबन्ध की शक्तियां पंचायतों से ले ली गई हैं और उन्हें दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया है।

(ग) पंचायतों के भंग किये जाने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित प्रधानों को अपने पद छोड़ने पड़े थे। पांच मामलों को जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिये पुलिस को सौंपा गया था। पंचायत सचिव को भी मुअत्तिल कर दिया गया है।

Intensive Cultivation of Sugarcane

*926. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a scheme for the intensive sugarcane cultivation near each sugar mill has been implemented; and

(*b*) if so, the amount to be contributed by the Central Government and the mills separately for this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes Sir, a scheme for intensive sugarcane cultivation around sugar factory area has recently been taken up for implementation in the States of U.P., Bihar and the Punjab.

(*b*) The scheme would cost about Rs. 1.44 lac. per sugar factory annually and the expenditure would be shared equally by the Central Government, State Government and beneficiaries *viz.* cane growers and sugar factory.

Effect of Fertilizers on Foodgrains

*931. **Shri B. P. Sinha :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether the foodgrains produced by use of fertilizers are harmful for health ;

(*b*) whether it has been got examined by experts ; and

(*c*) If so, the result thereof and if not, whether it would be got examined by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) *to* (*c*). The harmfull or beneficial effects of foodgrains produced with the use of fertilizers can be ascertained properly through feeding trials using test organisms such as mice etc. Such work has not been done so far. However, the Indian Agricultural Research Institute is conducting some experiments to find out the effect of different manures and fertilizers on the nutritive value and quality of foodgrains. These experiments have shown that there is no harmful effect on the quality of foodgrains produced by the use of fertilizers. On the contrary it has been observed that the protein content in wheat and maize grains increases with the increasing doses of nitrogen application.

छोटे पत्तनों में जहाजों के लिए घाट सुविधायें

*९३४. **श्री अ० व० राघवन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए छोटे पत्तनों में आठ से दस फुट डुबाव के जहाजों के लिये सीधी घाट सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड ने योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ग) इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये किन पत्तनों को चुना गया है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । छोटे पत्तनों का अध्ययन करने के लिये, जहां कि आठ से दस फुट डुबाव के जहाजों के लिये सुविधायें की जा सकती हैं, राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने ११ और १२ नवम्बर, १९६३ को कांडला में हुई अपनी बैठक में भारत सरकार के नौवहन सलाहकार की अध्यक्षता में एक उपसमिति नियुक्त की । इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में नलकूप

*९३६. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कछवाय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नलकूप "रिग्स" को राजस्थान से किसी अन्य राज्य में ले जाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही से रेगिस्तान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए राज्य में नलकूप खोदने के काम मे विलम्ब नहीं होगा ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार चालू योजनावधि में सभी प्रस्तावित नलकूपों को खोदने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) कमी वाले क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण के लिये पहले किये गये वायदे को पूरा करने के लिये ३ 'रिग्स' कच्छ ले जाये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं । राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में अर्जित किये गये ४ नये 'रिग्स' विशेष रूप से पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये, समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में २५० नलकूपों के निर्माण के लिये उपलब्ध हैं। यदि आवश्यक हुआ तो बाद में १ या २ 'रिग्स' और दे दिये जायेंगे ।

(ग) समन्वेषी नलकूप संगठन को विशेषरूप से काम सौंपने का निर्णय कुछ दिन पहले लिया गया था । शीघ्र ही खुदाई का काम आरम्भ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

रेलवे के माल डिब्बों का निर्माण

*९३७. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेलवे के माल डिब्बों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में एक स्थान की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी ;

(ख) क्या सरकार को प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिये हैं ; और

(घ) इनको किस सीमा तक क्रियान्वित कर दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रेलवे मंत्रालय के अन्तर्गत विभागीय उत्पादन यूनिट के रूप में एक माल डिब्बा निर्माण कर्मशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस विषय की विस्तृत जांच करने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है । यह अधिकारी इस योजना की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करेगा, इसके अन्तर्गत कर्मशाला की स्थापना की जगह का प्रश्न भी सम्मिलित है ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नई दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश

*९३८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री कजरोलकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश का घोर विरोध किया जा रहा है और खाद्यान्नों के थोक तथा खुदरा व्यापारियों ने हड़ताल करने के लिए कहा है ;

(ख) उपरोक्त लाइसेंस आदेश के विरोध में दिये गये अभ्यावेदन में क्या मुख्य कारण बताये गये हैं ;

(ग) क्या देश के अन्य किसी भाग में भी ऐसा लाइसेंस आदेश लागू किया गया है ; और

(घ) क्या लाइसेंस आदेश में संशोधन करने का विचार है जिससे अधिकारी नाजायज़ उत्पीड़न न कर सकें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) व्यापारियों द्वारा आदेश का स्वागत नहीं किया गया है और हड़ताल की धमकी की खबर मिली है ।

(ख) इस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन का मुख्य आधार यह है कि इसके कई उपबन्धों से व्यापारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

(ग) जी, हां । कई अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे ही आदेश जारी किये गये हैं ।

(घ) व्यापारियों की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित नहीं थी, किन्तु सरकार सम्पूर्ण समाज के प्रति उत्तरदायी है । व्यापारी वर्ग के रवैये के कारण ही इस प्रकार के विनियमन बनाना आवश्यक हो गया था और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है । इसमें किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है किन्तु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साधारण परिवर्तन करने का अधिकार शासन को प्राप्त है ।

भेड़ों का आयात

*६३६. श्री महेश्वर नायक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेड़ तथा ऊन सुधार कार्यक्रम में लगे हुए राज्यों में वितरण के लिये भारत में शीघ्र ही उत्तम मेढ़ों तथा भेड़ों का एक दल आने वाला है ;

(ख) योजना पर कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ४१३ भेड़ों का एक झुन्ड (४७ नर और ३६६ मादा) न्यूजीलैंड से जनवरी १९६४ में यहां आ गया।

(ख) ये भेड़ें उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६५१/६४]

पशु पालन

*६४०. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पशु-पालन के लिये "पैकेज प्रोग्राम" लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) कार्यक्रम की कुल लागत क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां। सरकार चौथी योजना के दौरान चुने हुए क्षेत्रों में 'पैकेज प्रोग्राम' (खाद्य उत्पादन का समन्वित कार्यक्रम) की तरह का पशु विकास कार्यक्रम की योजना बना रही है। कुक्कुट पालन विकास के मामले में तीसरी पंचवर्षीय योजना में गहन कुक्कुट पालन विकास खण्ड की स्थापना की योजना बनाई गई है।

(ख) और (ग). कुक्कुट पालन योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये की लागत वाले ५० खण्ड स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अब तक १८ खंड स्थापित भी हो गये हैं। आपात स्थिति में ५० में से १६ खण्ड बड़े एककों में परिवर्तित कर दिये गये हैं जिनमें से प्रत्येक की लागत ६.४७ लाख रुपये है।

चीनी का मूल्य

*६४१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई व्यावहारिक योजना बनाई है जिसके द्वारा गन्ने के अपर्याप्त संभरण और उसके गुड़ निर्माताओं में वितरण की वजह से चीनी के मूल्यों के बढ़ जाने के कारण उत्पन्न कुचक्र को समाप्त किया जा सके ;

(ख) क्या किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिये गन्ने के उत्पादक मूल्यों में समानता स्थापित करके गुड़ के मूल्य और उत्पादन से सम्बन्धित नियामक नीति में कुछ समानता लाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार गुड़, खण्डसारी तथा चीनी का एक जैसा उत्पादन करने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग). ३० मार्च, १९६४ को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के उत्तर में जैसा बताया गया था, सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है। चालू वर्ष में इस समस्या को हल करने के लिये कुछ नियंत्रणकारी कार्यवाही की गई थी और सरकार उन समस्याओं को हल करने के लिये दीर्घकालीन हल पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता

*६४२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आने वाले असहाय शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ कोई पत्र-व्यवहार करने का सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सहायता नहीं देता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

*६४३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दो नये करार किए हैं ;

(ख) भारत में इन करारों से कौन उपक्रम चालू किए जायेंगे ; और

(ग) परियोजना के लिए यदि कोई स्थान चुना गया है तो कौनसा तथा कितना धन व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इन समझौतों के अन्तर्गत आनन्द (गुजरात राज्य) में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी परियोजना के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम १,१६७,४०० डालर मूल्य की ११,३३४ टन मक्का और ५,३५४ टन ज्वार (सोरगम) संभरित करेगा और (उत्तर प्रदेश) में बाबूगढ़ स्थित भारत में गहन अण्डे और कुक्कुट उत्पादन और विपणन परियोजना के लिये १,७१,९०० डालर मूल्य की २००० टन मक्का संभरित करेगा ।

उन परियोजनाओं पर क्रमश: लगभग ११,८०६,८७० रु० और १,६४७,००० रु० खर्च होंगे ।

पश्चिम तट सड़क

१८९०. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बडगरा नगरपालिका में पश्चिम तट सड़क (वेस्ट कोस्ट रोड) के लिये कुल कितनी जोतें अर्जित की गई हैं ;

(ख) अर्जन पर कुल कितनी लागत आई ;

(ग) अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(घ) राशि के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Essay Competition in the Ministy of Railways

1891. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that sometime back a scheme for holding an essay competition in English was introduced by his Ministry;

(b) if so, the value of the prizes to be awarded for the competition ; and

(c) the reasons for not introducing a scheme for holding essay competitions in Hindi so far in view of the importance of this language in the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S.V. Ramaswamy) : (a) Yes Sir, only in December 1963.

(b) Two prizes—First Prize of Rs. 1,000/- and Second Prize of Rs. 500/- in such form as may be decided.

(c) The competition is on an All India basis and holding the essay competition in Hindi will not afford equal opportunity to all sections of officers and staff on the Indian Railways.

पटसन की खेती

१८९२. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष १९६३-६४ में कुल कितने एकड़ भूमि का पटसन की खेती के लिये उपयोग किया गया और कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री डा० राम सुभग सिंह) : (क)

क्षेत्र	. . .	१.३५ लाख एकड़
उत्पादन	. . .	४.६७ लाख गांठें

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में गन्ने का उत्पादन

१८९३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगली ऋतु में उड़ीसा में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). उड़ीसा में प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में तृतीय योजना में एक गन्ना विकास योजना पहले से ही चालू है । इस योजना में (१) बीज नर्सरियों का गठन ; (२) नई किस्म के अच्छे बीजों का वितरण ; (३) खाद देने की विधि का प्रदर्शन ; और (४) कर्मचारियों का प्रशिक्षण, शामिल हैं ।

कृषि अनुसन्धान परियोजनाएं

१८९४. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में केन्द्र द्वारा शुरू की गई तथा वित्तपोषित कितनी कृषि अनुसन्धान परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तथा उन का स्वरूप क्या है ; और

(ख) १९६३–६४ में इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

१८९५. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को १९६३–६४ में 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन के लिये वास्तव में कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये १९६४–६५ में राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये पुनरीक्षित प्रक्रिया, जिसे वर्ष १९५८-५९ से लागू किया गया है, के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता विभिन्न राज्य सरकारों को, 'कृषि उत्पादन' शीर्ष के अन्तर्गत 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं और लघु सिंचाई और भूमि विकास योजनाओं के लिये बड़ी राशि में मंजूर की जाती है । "कृषि उत्पादन" शीर्षक के अन्तर्गत योजनाओं के लिये १९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को ५९.२० लाख रु० का अनुदान अस्थायी रूप में दिया गया था ।

(ख) राज्य योजना के अन्तर्गत विकास के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत योजनाओं के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने की उच्चतम सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, "कृषि उत्पादन" शीर्ष के अन्तर्गत योजनाओं और 'अधिक अन्न उपजाओ' और लघु सिंचाई योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने १९६४-६५ के लिये अपने आय-व्ययक में ३५५.०७ लाख रु० (केन्द्रीय ऋण और अनुदान और राज्य का अंश दोनों) की राशि की व्यवस्था की है ।

पश्चिम बंगाल में 'पैकेज प्रोग्राम'

१८९६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० डोरिस ब्राउन, सलाहकार कृषि अर्थशास्त्र, फोर्ड फाउन्डेशन, नई दिल्ली, ने दिसम्बर, १९६३ के दूसरे सप्ताह में 'पैकेज प्रोग्राम' (सघन कृषि कार्यक्रम) क्षेत्रों, विशेषत: पश्चिमी बगाल के क्षेत्रों का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रोग्राम के सम्बन्ध में विशेषज्ञ की क्या प्रतिक्रिया रही ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां । कृषि अर्थशास्त्र में फोर्ड फाउंडेशन के सलाहकार, डा० डोरिस ब्राउन, ने ४ से ७ दिसम्बर, १९६३ तक पश्चिमी बंगाल के ज़िला बरद्वान में गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम का दौरा किया ।

(ख) डा० ब्राउन ने परियोजना कर्मचारियों से गहन कृषि जिला कार्यक्रम के सहकारी पहलुओं पर बातचीत की । जिन विशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई उनका सम्बन्ध इन बातों से था : जिले में सहकारी समितियों के कर्मचारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास, सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों को जमा करने और उनका वितरण करने के लिये प्रबन्ध, अतिरिक्त भांडागार सुविधाओं की व्यवस्था करना और सहकारी तरीकों पर चावल तैयार करने की सुविधाओं के विकास की संभावनाएं । गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य विशेषज्ञों की भांति डा० ब्राउन ने कार्यक्रम के विशेष पहलू पर, जिससे वह सम्बन्धित हैं, परियोजना अधिकारियों को मुख्यत: सहायता और मंत्रणा देने के लिये ज़िले का दौरा किया और सारे के सारे कार्यक्रम के बारे में कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की ।

Delhi Milk Scheme

1897. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that larger quantity of milk for Delhi Milk Scheme is obtained from a few districts of Uttar Pradesh;

(b) whether any efforts are being made to increase the production of milk at those places from where it is procured; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A.M. Thomas) : (a) Yes; milk is being procured from the adjoining districts of Meerut and Bulandshahr in Uttar Pradesh.

(b) & (c). This work is really the responsibility of State Governments concerned, who are distributing cattle-purchase loans and ogranising milk producers' cooperative societies in the areas from which the Delhi Milk Scheme procures its milk supplies.

कृषि से भिन्न कार्यों के लिये ऋण के लिये सहकारी समितियां

१८९८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि से भिन्न कार्यों के लिए ऋण के लिए सहकारी समितियों के विकास के लिये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या गैर कृषि क्षेत्र में ऋण संबंधी सहकारी समितियों के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने इन सहकारी समितियों द्वारा भविष्य में विकास के तरीकों पर कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिश की मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) गैर कृषि ऋण संबंधी सहकारी समितियों के बारे में उपलब्ध नवीनतम जानकारी १९६१–६२ से सम्बन्ध रखती है और वह निम्न है :—

	३०-६-१९६२ को
समितियों की संख्या	१२,२८६
सदस्यों की संख्या (लाखों में)	४९.५४
अंश पूंजी (करोड़ रु० में)	३६.९७
निक्षेप (करोड़ रु० में)	१०२.६७
कार्यवाहक पूंजी (करोड़ रु० में)	१६४.८३
दिये गये ऋण (करोड़ रु० में)	१६१.६३

(ख) जी, हां ।

(ग) गैर कृषि क्षेत्र में ऋण सम्बन्धी समितियों के लिये नियुक्त अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६५२/६४]**

Licences for Radio Sets

1899. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) the number of persons at present in the country who have radio sets with licences ;

(b) the number of persons who got their radio licences renewed by the 31st January, 1964 ; and

(c) the number of persons who did not get their radio licences renewed by that date ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagwati) : (a) The total No. of licences of all types issued up to 31st December 1963 is 36,02,422.

(b) The total No. of licences renewed up to 31st January 1964 is 22,69,718.

(c) 13,32,704 licences have not been renewed upto 31st January 1964.

कृषि औजारों का संभरण

११००. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मों को किराया खरीद आधार पर कृषि औजार संभरण करने की योजना चालू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में राज्यों को क्या निदेश दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । तथापि, मद्रास राज्य में पम्प और ट्रैक्टर किराये पर दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गेहूं अनुसन्धान केन्द्र

१९०१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में गेहूं अनुसन्धान केन्द्र, पवारखेडा में गेहूं की ऐसी नई किस्म निकाली गई है जिसकी उपज अधिक होती है और जिस पर 'ब्लैक रस्ट" नामक फसल के रोग का प्रभाव नहीं पड़ता; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं की इस नई किस्म का क्या ब्योरा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम० सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —२६५३/६४**]

Bridge on river Ghagra

1902 **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of Transport be pleased to state :

(a) whether Government are considering to construct a bridge on river Ghagra in Dohrighat (District Azamgarh U.P.) ;

(b) if so, when the construction would start ; and

(c) the amount to be spent on it ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). An estimate amounting to Rs. 164·10 lakhs is likely to be sanctioned shortly for the bridge. The work is expected to be started during the current year.

चारा

१९०३. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौनसे हैं जिन्होंने अपने राज्यों में चारा यूनिट स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) सरकार द्वारा वहां पर इन यूनिटों को स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) केन्द्र, संबंधित राज्य सरकार और खाद्य तथा कृषि संगठन का कितना-कितना अंश होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) आंध्र प्रदेश, मद्रास, पंजाब और महाराष्ट्र ।

(ख) राज्य सरकारों से योजनाएं देने के लिए अनुरोध किया गया है जिनमें लागत और खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा अपेक्षित काम का ब्योरा दिया गया हो ।

(ग) पूंजी व्यय राज्य सरकारों द्वारा योजना व्यय के भाग के रूप में वहन किया जायेगा । ऐसे उपकरणों, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं, और विशेषज्ञों की व्यवस्था खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा की जायेगी ।

गुड़ की बिक्री से मुनाफा

१६०४. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि गुड़ के उत्पादन से संबंधित विभिन्न लोगों में मुनाफों का साम्यिक वितरण हो;

(ख) क्या यह सच है कि जब से गुड़ के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने पर रोक लगाई गई है तब से उत्पादक और काश्तकार उचित लाभ अर्जित नहीं कर सके हैं; और

(ग) क्या सरकार ने गुड़ और खंडसारी के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिये पर्मिट जारी करने के लिये उत्पादकों की सहकारी समितियों (विपणन) को विशेष अधिमान देने का निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) गुड़ मुख्यतः गन्ना उगाने वालों द्वारा ही तैयार किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पर्मिट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाते हैं और इन पर्मिटों के जारी करने के लिये वे उत्पादकों की सहकारी विपणन समितियों द्वारा की गई प्रार्थना पर उचित विचार करती हैं ।

कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में महिला पर्यवेक्षक

१६०५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में ऐसी महिला पर्यवेक्षक हैं जिनके पदनाम एक ही हैं और ड्यूटियां भी एक हैं परन्तु उनके वेतन मान अलग अलग हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आपरेटरों के अधिकतम वेतन मान वही हैं जो महिला पर्यवेक्षकों के जो उनका काम देखती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक नहीं हैं परन्तु 'लोअर सेलेक्शन ग्रेड मोनीटर्स' हैं और उनके वेतन मान कलकत्ता में काम कर रही कुछ महिला पर्यवक्षकों के मुकाबिले में ऊंचे हैं; और

(घ) इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) से (घ). महिला पर्यवेक्षक एक ऐसी श्रेणी है जो कलकत्ता टेलीफोन्स में भूतपूर्व कम्पनी के समय (१-४-४३) से विद्यमान है जब कि कलकत्ता के टेलीफोन सरकार द्वारा लिये गये थे। ऐतिहासिक कारणों की वजह से दो वेतन मान चालू थे। २१०—३२० रु० के वेतन मान को, जो कि वही है जो 'लोअर सेलेक्शन ग्रेड मोनिटर्स' पर लागू होती है, कुछ महिला पर्यवक्षकों पर लागू किया जा रहा था और १७५—२४० रु० के वेतन मान को कुछ अन्य महिलाओं पर। आपरेटरों का वेतन मान ११०—२४० रु० है। हाल ही में आदेश जारी किये गये हैं कि सभी महिला पर्यवेक्षकों का वेतन मान २१०—३२० रु० कर दिया जाये और उनका पदनाम बदल कर 'एल० एस० जी० मोनिटर्स' कर दिया जाये जैसा कि विभाग की अन्य एक्सचेंजों में है।

भाप के इंजनों का निर्यात

१९०६. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे भाप के इंजनों को निर्यात करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मंडी ढूंढने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) निर्यात के लिये कितने इंजन तैयार हैं; और

(घ) कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) भारत में इंजन उत्पादन यूनिट विशिष्ट आदेशों के विरुद्ध भाप के इंजन निर्यात करने की स्थिति में हैं।

(ख) भाप के इजनों के निर्यात के लिये मंडी ढूंढना अभी तक संभव नहीं हो सका है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

किसानों को ऋण

१९०७. **श्री तुलशीदास जाधव :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री जेधे :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री किसानों को ऋण के सम्बन्ध में ३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रुटियों को दूर करने के लिये एक विस्तृत कार्यवाही कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) किसानों को समय पर ऋणों का वितरण कराने के लिये उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों को परिचालित किये गये कार्यवाही कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२६५४ / ६४]**

(ग) यह सुझाव दिया गया है कि सक्रिय कार्यक्रम की पृष्ठ भूमि में निश्चित कार्य निर्धारित करने की दृष्टि से सहकारी समितियों के पंजीयकों द्वारा अपेक्स बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाये । चूंकि यह कार्यक्रम राज्यों को हाल ही में भेजा गया है, इस दिशा में किये गये कार्य के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा को गेहूं और चीनी का संभरण

१९०८. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को १९६३–६४ में कितना गेहूं और चीनी दी गई; और

(ख) उस राज्य को १९६४–६५ में कितना गेहूं और चीनी दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) उड़ीसा को केन्द्रीय भांडागार से ६४.४ हज़ार मीट्रिक टन गेहूं दिया गया था, इसमें १ अप्रैल, १९६३ से १५ मार्च, १९६४ तक की अवधि में राज्य की रोलर आटा मिलों को दिया गया गेहूं भी शामिल है ।

चीनी के माल की गणना १ नवम्बर से ३१ अक्तूबर तक की जाती है । १ नवम्बर, १९६३ से २५ मार्च, १९६४ तक की अवधि में उड़ीसा को २२.३ हजार मीट्रिक टन चीनी दी गई है ।

(ख) किसी भी राज्य को वर्ष के आधार पर गेहूं या चीनी नहीं दी जाती । गेहूं समय समय पर विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाता है । चीनी पर नियंत्रण लगाने के समय से राज्यों को चीनी मासिक कोटे के आधार पर दी जा रही है; फरवरी, १९६४ तक उड़ीसा का मासिक कोटा ४,००० मीट्रिक टन था । मार्च से कोटा ३,८०० मीट्रिक टन होगा ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेल्टर

१९०९. **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६४–६५ में दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर बनाये जाने वाले प्लेटफार्म शेल्टरों की क्या संख्या है; और

(ख) उस पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्ष १९६४–६५ के निर्माण कार्यक्रम में दक्षिण-पूर्व रेलवे के ४ स्टेशनों पर नये प्लेटफार्म शेल्टर बनाने का उपबन्ध किया गया है । इसके अतिरिक्त वर्ष १९६४–६५ में वर्ष १९६३–६४ के निर्माण-कार्यक्रम में किये गये उपबंध के लिये ८ स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेल्टर बनाये जायेंगे ।

(ख) वर्ष १९६४–६५ में लगभग ३..०२ लाख रुपये ।

मक्का की खेती

१९१०. **श्री जेधे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अमरीकन किस्म की अधिक उपजाऊ मक्का की खेती की संभावना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इस मक्का की खेती की जा सकती है और उससे कितना लाभ होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां। स्थानीय रूप से नौ मक्का प्रसंकरों का विकास किया गया है। उन को प्रादेशिक उपयुक्तता के अनुसार खेती के लिये दिया गया है।

(ख) प्रसंकर से समतल भूमि में तथा पहाड़ों में दोनों स्थानों पर देश के सभी प्रमुख मक्का उत्पादन क्षेत्रों में खेती की जा सकती है ?

इन प्रसंकरों से अनाज और चारा अधिक होता है। कुछ में स्टार्च भी अधिक होता है और इस से स्टार्च, फार्मेस्युटिकल, कन्फेक्शनरी और रसायन उद्योगों को लाभ होगा।

दिल्ली का घी कारखाना

१९११. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक घी कारखाने ने फरवरी, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में बड़ी मात्रा में वनस्पति घी नजफगढ़ नाले में फेंक दिया था,

(ख) यदि हां, तो क्या इस के कारणों की जांच की गयी है और यदि हां, तो उस की क्या उपपत्तियां हैं; और

(ग) सम्बन्धित कारखाने के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) जी, नहीं। नजफगढ़ नाले में कोई वनस्पति नहीं फेंका गया परन्तु नजफगढ़ रोड स्थित मेसर्स डी० सी० एम० केमिकल्ज वर्क्स के वनस्पति संयंत्र के एक मध्यवर्ती भंडार टैंक से कुछ वनस्पति बह कर नाले में चला गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

१९१२. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में उत्तर रेलवे भवन के पहले तथा दूसरे कक्ष में वातानुकूलन यंत्र की प्राथमिक स्थापना पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) इन दोनों संयंत्रों के संधारण पर कितना व्यय होता है; और

(ग) क्या पहले संयंत्र की संधारण लागत दूसरे संयंत्र की लागत की अपेक्षा बहुत अधिक है, यदि हां, तो क्या यह इसलिये है कि पहले खराब संयंत्र खरीदा गया था और क्या इस बारे में उचित जांच की गयी है और इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) वातानुकूलन संयंत्रों की प्राथमिक स्थापना पर निम्न लागत आयी :

(१) पहला संयंत्र	७.९२ लाख रुपये
(२) दूसरा संयंत्र	७.०४ लाख रुपये

(ख) दोनों संयंत्रों के संधारण और संचलन की वार्षिक लागत निम्न प्रकार है :

	पहला संयंत्र रुपये	दूसरा संयंत्र रुपये
१. संधारण सम्बन्धी सामान और श्रमिक	३२३०	३२००
२. संचालन सम्बन्धी सामान और श्रमिक	८७६०	८७१०
३. बिजली की खपत-शुल्क	६१३२५	४७८१०
४. नियंत्रित स्थान	८.२८ लाख घन फुट	६.५५ लाख घन फुट

(ग) जी, नहीं। प्रस्तावित कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सहकारी खेती समितियां

१९१३. **श्री गुलशन :**
श्री प० ह० भील :
श्री य० ना० सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उन सहाकारी खेती समितियों की क्या संख्या है जिन को प्राथमिक आधार पर सरकारी परती भूमि आवंटित की गयी है; और

(ख) इन में अनुसूचित जातियों की समितियों की क्या संख्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) पंजाब में किसी भी सहकारी खेती को अभी प्राथमिक आधार पर सरकारी परती भूमि आवंटित नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Recovery of Silver Bars

1914. Shri Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that stolen silver bars have been recovered from a railway guard living in Ghaziabad ;

(b) whether it is also a fact that the said railway guard during his posting at Tundla was caught with a key of E.P. lock and some implements used for tampering with the wagons ;

(c) if so, the reasons for retaining him in service ; and

(d) the action now taken against him ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Yes. Out of 3 silver bars stolen in a running train theft on 10-2-1964, 1½ bars were recovered on being pointed out by a Railway Guard from underneath the ground near the Loco Shed of Ghaziabad. One more silver bar was also recovered from a place on the bank of river Ganges at Kanpur.

(b) and (c) This Guard was also arrested by the police in a theft case of 3 bales of handloom cloth, which occurred on 11-10-1961. An E.P. lock key was receovered from his possession. The case was challaned in court but the Guard was discharged. Hence no departmental action could be taken against him.

(d) In the recent case of silver bars the Guard was arrested by police and has since been placed under suspension by the Railway Administration.

हैदराबाद-कुरनूल सेक्शन का विद्युतीकरण

१९१५. श्री कोल्ला वैंकैया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के हैदराबाद-कुरनूल सेक्शन के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय हैदराबाद-कुरनूल सेक्शन पर विद्युतीकरण की अपेक्षा सस्ते ढंग से पर्याप्त लाइन क्षमता का उपबन्ध किया जा सकता है ।

रेलवे कर्मचारी

१९१६. श्री तु० राम :
श्री शिव नारायण :
श्रीमती गंगा देवी :
श्री साधू राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलवे में (जोनवार), जिस में रेलवे बोर्ड कार्यालय भी शामिल है, अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की क्या संख्या है;

(ख) इन दो श्रेणियों के अन्य कर्मचारियों की तुलना में इन की क्या प्रतिशतता है;

(ग) वर्ष १९५९ से १९६३ तक सभी रेलवे में (जोनवार) जिस में रेलवे बोर्ड कार्यालय भी शामिल है, रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष १९५९ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के आरक्षण के बारे में जारी किये गये आदेशों के आधार पर अनसूचित जातियों/आदिम जातियों के तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों को वित्तीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत किया गया ?

(घ) क्या यह सच है कि ८ नवम्बर, १९६३ को गृह-मंत्रालय के आदेशों के जारी होने से पूर्व रेलवे बोर्ड ने रेलवे को प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में पदोन्नत रिक्त स्थानों के लिये आरक्षण रद्द करने के निदेश दिये, और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (ङ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय मे रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० २६१५/६४]**

रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी

१९१७. **श्री तु० राम :**
श्री शिव नारायण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड कार्यालय में निसंवर्ग पदों पर कितने तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जाति/आदिम जाति के कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) निसंवर्ग पदों पर ऐसे कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं;

(ग) इन में कितने निरीक्षकों के रूप में निगरानी सैक्शन में काम कर रहे हैं; और

(घ) निसंवर्ग पदों को भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) बोर्ड के कार्यालय में ३६ विभिन्न श्रेणियों पर ९३ निसंवर्ग पद हैं। अधिकांशत: ये पद निरीक्षक तथा तकनीकी सहायकों के हैं जिन के लिए विशेष ज्ञान तथा क्षेत्रीय जानकारी की जरूरत होती है। इन पदों को भरने के लिये अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर्मचारी रेलवे के तकनीकी विभागों से सामान्यत: भरे जाते हैं और विशेषतया जब तकनीकी विभागों में ऐसे कर्मचारी नहीं मिलते हैं तब बोर्ड के कार्यालय से भरे जाते हैं। एक निसंवर्ग पद अर्थात् परिवहन निरीक्षक के पद पर बोर्ड के कार्यालय का एक अनुसूचित जाति का सहायक काम कर रहा है। निगरानी सेक्शन के जांच निरीक्षक के पद पर भी इस कार्यालय का एक निरीक्षक काम कर रहा है। इन विशिष्ट पदों को भरने के लिये अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में से अभ्यार्थी ढूंढना कठिन होता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी

१९१८. **श्री तु० राम :**
श्री शिव नारायण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिग्री तथा स्नातकोत्तर अर्हता वाले रेलवे बोर्ड के कार्यालय में काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इस समय वह किन पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ग) उन की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार करते समय उन की शिक्षा अर्हताओं पर कोई विचार किया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क)

स्नातक	३७
गैर-स्नातक	४
जोड़	४१

(ख) सहायक ३१
यू० डी० सी० ४
एल० डी० सी० ५
इंस्पैक्टर १
जोड़ ४१

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति के सभी मामलों में उदारता से विचार किया जाता है। ऐसे मामलों पर विचार करते समय उन की शिक्षा अर्हताओं पर भी ध्यान दिया जाता है।

Theft of Goods from Railway Store

1919. Shri Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some goods were stolen from the Railway Wagon Store in New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that these goods were recovered by the Railway Police from a local train at Sarojini Nagar Railway Station ;

(c) if so, the description of these goods ; and

(d) whether some arrests have been made in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (c) Yes. On source information the Crime Intelligence Branch of the Northern Railway Protection Force recovered two new wooden Bottom Boards measuring about $9\frac{1}{2}' \times 2'' \times 8''$ each from the possession of one person at Sarojini Nagar Railway Station, New Delhi on 10-3-1964.

(d) The matter has been reported to the Government Railway Police, New Delhi, who have resgistered a case under crime No. 130 dated 11-3-1964 Under Section 409 I.P.C. and Section 3 of Unlawful Possession of Railway Stores Act, 1955 and are investigating into it. None has so far been arrested.

खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण केन्द्र

१९२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के बीच खाद्य प्रौद्योगिकी संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र संगठित करने का कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र का खाद्य तथा कृषि संगठन भारत सरकार की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर के सहयोग से विकासशील देशों को लाभार्थ खाद्य प्रौद्योगिकी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र संगठित करेगा। प्रशिक्षण केन्द्र में बुनियादी प्रशिक्षण तथा वरिष्ठ एवर्जीवयूटिव के लिए अनुसंधान पाठ्यक्रम आदि का प्रशिक्षण होगा। इस में २५ से अधिक प्रशिक्षार्थी एक समय में नहीं होंगे। कनाडा भूख से छुटकारा आंदोलन समिति के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के पहले वर्ष में कर्मचारियों, विशेष उपकरणों के व्यय के लिये १,३०,००० डालर दिये जायेंगे। प्रशिक्षण केन्द्र की सुविधाओं के लिए इसके पहले वर्ष में भारत सरकार लगभग २.६५ लाख रुपये व्यय करेगी। करार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए होगा तथा आशा है कि तब तक केन्द्र की उपयोगिता का पता लग जायेगा और खाद्य तथा कृषि संगठन तब इस कार्य के लिये और धन की व्यवस्था कर देगा।

राष्ट्रीय विस्तार खण्ड

१६२१. श्री रिशांग किशिंग : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में तृतीय पंच वर्षीय योजना में अब तक कितने राष्ट्रीय विस्तार खण्ड खोले जा चुके हैं और कितने खोले जाने हैं;

(ख) कितने राष्ट्रीय विस्तार खण्ड आदिम जाति खण्डों में परिवर्तित कर दिये गये हैं तथा कितने आदिम जाति खण्डों में परिवर्तित किये जाने हैं;

(ग) क्या तृतीय योजनावधि के अन्त तक यह समस्त मनीपुर में लागू हो जायेगा; और

(घ) आदिम जाति खण्डों में अतिरिक्त धन का उचित उपयोग करने के बारे में क्या विशेष व्यवस्था की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ग). अब तक १३ सामुदायिक विकास खण्ड का एक पूर्ण-विस्तार खण्ड खोले गये हैं। अब पूरे मनीपुर में खण्ड हैं। १-४-६४ से पूर्व-विस्तार खण्ड प्रथम क्रम में आ गये हैं।

(ख) अब तक ३ सामदायिक विकास खण्ड आदिम जाति खण्ड बना दिये गये हैं और चार और खण्डों को आदिम जाति खण्ड बना दिया जायेगा। दो को १९६४-६५ में तथा शेष दो को १९६५-६६ में।

(घ) एक आदिम जाति विकास खण्ड में सामुदायिक विकास खण्ड के समान ही कर्मचारी होते हैं तथा उनके अतिरिक्त एक खण्ड विकास अधिकारी, एक सहायक इंजीनियर, एक इंजीनियरिंग ओवरसियर, एक विस्तार अधिकारी (भू-संधारण) आदि होते हैं। वरिष्ट खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी आदिम जाति विकास खण्ड के धन के व्यय के लिए जिम्मेदार होते हैं। राज्य में विकास आयुक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में आदिम जाति विकास कार्यक्रम देखता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आयुक्त आदिम जाति विकास खण्ड कार्यक्रम की प्रगति देखता है।

Parcel Office, Delhi Junction

1922 **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Investigating Agency, Railway Board, raided the outward Parcel Office at Delhi Junction on the 10th March 1964 ;

(b) if so, the details of irregularities and discrepencies in cash detected as a result of this check ; and

(c) the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) A check was conducted by the Central Investigating Agency of the Railway Board, at the Outward Parcel Office, Delhi Junction, on 10-3-1964.

(b) & (c) No irregularity as such in the accountal of cash was detected ; however, further investigations regarding the application of rules in regard to peparation of railway receipts for consignments received for booking are in progress.

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर

१९२३. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर/मुक्तेश्वर के विज्ञान अधिकारियों को विज्ञान के वेतनक्रम द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार १९ अक्तूबर, १९६२ से दिये गये हैं तथा १ जुलाई, १९५९ से नहीं दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य संस्थाओं के विज्ञान अधिकारियों को वैज्ञानिक वेतन क्रम १ जुलाई, १९५९ से दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पक्षपात के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जी हां। वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय १५ में जिन वैज्ञानिक वेतनक्रमों के बारे में विशेषतया कहा है उनको १ जुलाई, १९५९ से वेतन क्रम दे दिया गया है। जिन पदों के बारे में उस अध्याय में कुछ नहीं कहा गया है तथा भारत सरकार ने वैज्ञानिक वेतनक्रम देना स्वीकार कर लिया है उनको उचित आदेश जारी करने की तिथि से वेतनक्रम दिये गये हैं। ऐसा इस व्यवस्था के अनुसार किया गया है कि जिन पदों के मामले में वेतन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की थी, उनको भारत सरकार ने ऊंचे वेतन क्रम देना स्वीकार कर लिया था। इसलिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था के अधिकारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

किऊल और बर्दवान के बीच रेलगाड़ियां

१९२४. **श्री ब० प्र० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की मेन लाइन पर किऊल और बर्दवान के बीच बरास्ता आसनसोल चलने वाली एक्सप्रैस और यात्री गाड़ियों की संख्या लूप लाइन पर बरास्ता साहिबगंज चलने वाली ऐसी गाड़ियों की संख्या से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस बात के अतिरिक्त कि कोयला क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में होकर गुजरने के कारण मेन लाइन अधिक महत्वपूर्ण है, साहिबगंज लूप लाइन की तुलना में मेन लाइन पर होकर अधिक गाड़ियां चलाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) साहिबगंज लूप लाइन पर कार्यभार बहुत अधिक है और किसी अतिरिक्त गाड़ी को चलाने के लिये फालतू लाइन की क्षमता उपलब्ध नहीं है।

(२) मेन लाइन पर होकर जाने की तुलना में साहिबगंज लूप होकर जाने में गाड़ियों की यात्रा में अधिक समय लगता है क्योंकि साहिबगंज लूप लाइन १०३ किलोमीटर अधिक लम्बी है, उस पर गाड़ी की अधिकतम गति कम होती है और इस सैक्शन पर एक ही लाइन के होने के कारण गाड़ियों के मेल करने में अनिवार्य रूप से देरी होती है।

Sale of Delhi Milk Supply Scheme Ghee

1925. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two kilo tins of ghee instead of one kilo have been put on sale by the Delhi Milk Supply Scheme ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the difficulty experienced by Government in the sale of one kilo tins ?

The Minister of State in the Ministry of Food & Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) None ; but tins of two and four kgs. sizes are more popular.

कृषि उत्पादकों को दिये गये ऋणों पर ब्याज

१९२६. **श्री रामपुरे :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रा० बरूआ :

क्य **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में कृषि उपादकों को दिये गये ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर बहुत ऊंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दरों को कम करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में अलग अलग इस समय कितनी दर पर ब्याज लिया जा रहा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : क) और (ख). मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में १९६१–६२ में प्रारम्भिक कृषि साख समितियों द्वारा लिये गये ब्याज की 'आम' दर ८ प्रतिशत से अधिक थी। १९६२ में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने ब्याज की दरों का सर्वेक्षण किया। आंकड़े एकत्रित किये जा चुके हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। फिर यह मंत्रालय भी पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में नमूने के रूप में

अध्ययन कर रहा है। तकावी ऋणों और सहकारी ऋण सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुपालन में इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सहकारी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर अनुचित रूप से ऊंची न हो और सामान्यतया ८ प्रतिशत से कम ही रखी जाये।

(ग) १९६१-६२ में प्रारम्भिक कृषि साख समितियों द्वारा जिस 'आम' दर पर ब्याज लिया गया है वह संलग्न विवरण में दिखाई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--२६५७/६४]**

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी

१९२७. **श्री उमानाथ** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन में वार्षिक वृद्धि दिये जाने के पात्र होने के हेतु रेलवे डाक सेवा के कितने कर्मचारियों को प्रति वर्ष छंटाई परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है;

(ख) पृथक पृथक वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में परीक्षाओं को उत्तीर्ण न करने के कारण रेलवे डाक सेवा के कितने कर्मचारियों की वेतन में वार्षिक वृद्धि रोक ली गई है; और

(ग) रेलवे डाक सेवा के कितने कर्मचारियों की वेतन में वार्षिक वृद्धि ६ से १२ महीने तक; १ से २ वर्ष तक; और २ वर्ष से अधिक तक के लिये रोक ली गई थी ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Intensive Farming Programme

1928. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an intensive farming programme is in progress in District Pali of Rajasthan ;

(b) if so, whether a decision has been taken to wind up the programme on the basis of findings of the investigations made by the U.S. Team ; and

(c) if so, the reasons therefor and when it will be wound up ?

The Minister of State in the Ministry of Food& Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. The Intensive Agricultural District Programme, popularly known as the 'Package Programme', is being implemented in Pali District (Rajasthan).

(b) No.

(c) Does not arise.

मण्डमर्री से रामकृष्णपुर कोयला खानों तक रेलवे साइडिंग

१९२९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री १८ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्डमर्री से रामकृष्णपुर कोयला, खानों (जिला आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश) तक साइडिंग के लिये योजनायें और अनुमान तैयार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स सिंगरेना कोलियरीज़ कम्पनी द्वारा वह स्वीकृत कर लिये गये हैं;

(ग) साइडिंग की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) साइडिंग का निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी ने योजना को मंजूर कर लिया है। साइडिंग की अनुमानित लागत कोलियरी कम्पनी को अभी सूचित की जानी है।

(ग) लगभग ४९ लाख रुपये।

(घ) कोलियरी कम्पनी को अनुमानों के दिये जाने के पश्चात् वे उन्हें मंजूर करेंगी और लागत का अपना भाग जमा कर देंगे। इसके पश्चात् रेलवे द्वारा कार्य आरम्भ किया जायेगा।

G. T. Road

1930. Shri Bal Krishna Singh : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Highway Grand Trunk Road has sunk at many places and has become marshy between Moghal Sarai and Karmanasha in District Varanasi ; and

(b) if so, the scheme Government has for its repair ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) During the monsoon of 1962-63, the road surface in miles 405, 408, 409 & 410 of Grand Trunk Road, National Highway No. 2, between Moghal Sarai and Karamanasha became wavy due to settlement at places, and in furlongs 3 to 5 of mile 405 there was some accumulation of water. The rise in water table of the area has contributed to some extent to this defect.

(b) The work of repairs to these miles has been taken in hand and is likely to be completed before the rains of 1964.

मण्डी गोविन्द गढ़ रेलवे स्टेशन

१९३१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मण्डी-गोबिन्दगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक अप और एक डाउन मेल अथवा ऐक्सप्रस रेलगाड़ी के खड़े किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) मण्डी गोबिन्दगढ़ स्टेशन पर ५७ अप/५८ डाउन पठानकोट एक्सप्रस रेलगाड़ियों के खड़े किये जाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) यातायात के अपेक्षित पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है । इस समय मण्डी गोबिन्दगढ़ स्टेशन पर ७ अप रेलगाड़ियां और ८ डाउन रेलगाड़ियां खड़ी होती हैं जिनमें ४५ अप/४६ डाउन जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ियां भी सम्मिलित हैं और इतनी रेल सेवायें वहां के यातायात के लिये पर्याप्त समझी जाती हैं । सुविधाजनक समय पर सरहिन्द स्टेशन पर बदली कर के मण्डी गोबिन्दगढ़ स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री भी ५७ अप/४८ डाउन पठानकोट एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में बैठ सकते हैं ।

पंजाब को सहायता

१९३२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ और १९६४-६५ में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के पंजाब राज्य को कितने रुपये का अनुदान दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन, जोकि १९५८-५९ से लागू की गई है, विभिन्न राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता 'कृषि उत्पादन' शीर्ष के अधीन योजनाओं के लिये, जिन में अधिक अन्न उपजाओ योजनायें और सिंचाई तथा भूमि विकास योजनायें भी सम्मिलित हैं, एकमुश्त रूप में मंजूर की जाती हैं । १९६३–६४ में 'कृषि उत्पादन' शीर्ष के अधीन पंजाब सरकार को अस्थायी तौर पर ६९ लाख ५५ हजार रुपये का अनुदान दिया गया था ।

२. वर्ष १९६४-६५ के लिये राज्य की पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के लिये राज्य सरकार को दी जाने वाले वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, 'कृषि उत्पादन—अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं और लघु सिंचाई को मिला कर' शीर्ष के अधीन आने वाली योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने १९६४–६५ के अपने आयव्ययक में ५२७ लाख ७४ हजार रुपये (केन्द्रीय ऋण और अनुदान तथा राज्य का भाग दोनों) की व्यवस्था की है ।

पंचायत समितियों में टेलीफोन

१९३३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पंचायत समितियों के कितने कार्यालयों में अब तक टेलीफोन लग गये हैं ;

(ख) १९६४–६५ में उस राज्य के कितने पंचायत समितियों के कार्यालयों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) पच्चीस ।

(ख) १५ टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पड़ी हुई है । सामग्री के उपलब्ध होने पर इन की व्यवस्था की जायेगी ।

गंगा नदी में रेलवे स्टीमर सर्विस

१९३४. **श्री ब० प्र० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में कितनी रेलवे स्टीमर सर्विस चलाई जा रही हैं और ये किन स्थानों पर चलाई जा रही हैं और अन्य संस्थाओं द्वारा कितनी चलाई जा रही हैं ; और

(ख) गंगा नदी में स्टीमरों को चलाने के लिये राज्य सरकारों और रेलवे विभाग के बीच क्या शर्तें तय हुई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) (१) बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जो स्टीमर सर्विस चलाई जा रही हैं उनकी संख्या और जिन जिन स्थानों के बीच ये चलाई जा रही हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

जिन स्थानों के बीच होकर स्टीमर चलाये जाते हैं उनके नाम	दोनों ओर से आगे जाने वाले यात्री स्टीमरों की संख्या
यात्री स्टीमर सर्विसेज	
महेन्द्रघाट–पालेजाघाट	१४
बरारी–महादेवपुरघाट	६
सकरीगलीघाट/महाराजपुरघाट–मनिहारीघाट	२
फरक्का–खेजुरियाघाट	४
माल स्टीमर सर्विसेज	
महेन्द्रघाट–पालेजाघाट	१ डीज़ल टग
बरारी–महादेवपुरघाट	३ स्टीम टग्स २ डीजल टग्स
सकरीगलीघाट/महाराजपुरघाट–मिनिहारीघाट	१ पैडल स्टीमर १ स्टीम टग २ डीजल टग्स
फरक्का–खेजुरियाघाट	४ स्टीम टग्स

(२) इसके अतिरिक्त घाट के सरकारी ठेकेदार द्वारा मंगेर और मंगेरघाट के बीच छः घाट नाव सेवायें चलाई जा रही हैं ।

(३) गंगा नदी में रेलवे के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली स्टीमर सर्विसेज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) क्योंकि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० के अधीन रेलवे विभाग को यातायात के लिये घाट-नाव (फैरी) सर्विसेज़ प्रारम्भ करने और चलाने का अधिकार है अतः इन सेवाओं के चलाने के लिये राज्य सरकारों के साथ कोई करार करने की आवश्यकता नहीं है ।

पाल वाले जलयानों[1] का यंत्रीकरण

१९३५. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान पाल वाले जलयानों को यंत्रीकृत जलयानों के रूप में परिवर्तित करने से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने के लिये जो प्रविधिक समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी और डिब्रूगढ़ के बीच जनता गाड़ियां

१९३६. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे पर बरौनी और डिब्रूगढ़ के बीच एक जनता रेलगाड़ी और लुमडिंग–डिब्रूगढ़ सेक्शन पर दिन में चलने वाली एक अतिरिक्त रेलगाड़ी की मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : इस समय बरौनी-डिब्रूगढ़ टाउन सेक्शन पर एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वहां पर, विशेष रूप से सिलीगुरी के पूर्व की ओर, दूसरी लाइन की क्षमता उपलब्ध नहीं है और मीटर लाइन पर चलने वाले रेलवे इंजनों की कमी है । तथापि, १ अप्रैल, १९६४ से लुमडिंग–मरियानी सैक्शन पर रात्रि में चलने वाली एक अप और डाउन रेलगाड़ियों को बन्द कर के उन के स्थान पर लुमडिंग और तिनसुकिया के बीच दिन में चलने वाली एक एक अप और डाउन तेज यात्री रेलगाड़ियां चला दीं गई हैं ।

पश्चिम रेलव पर रेल-पथ (ट्रैक)

१९३७. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर उन रेल-पथों की संख्या कितनी है जोकि स्लीपरों को बदलने के लिये चुने गये थे परन्तु जिन में कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और १९६२-६३ तथा १९६३–६४ के आयव्ययक में इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) इन लाइनों पर स्लीपरों को बदलने के कार्य में सम्पादन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) १९६४–६५ के दौरान स्लीपरों को बदलने का कार्यक्रम क्या है और किन किन रेल-पथों के लिये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९६२-६३ और १९६३-६४ में ४६८ मील लम्बी बड़ी लाइन और ३९ मील लम्बी मीटर लाइन पर स्लीपरों को बदलने के लिये कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसमें से २९ फरवरी, १९६४ तक ३४२ मील बड़ी लाइन और ३६७ मील लम्बी मीटर लाइन पर कार्य पूरा हो गया है । क्रमशः १२६ और ७२ मील लम्बी शेष लाइनों पर कार्य किया जा रहा है । १९६२-६३ और ६३-६४ में पुरानी के स्थान पर नई रेलवे लाइनों को डालने के लिये क्रमशः ७ करोड़ १७ लाख रुपये और ७ करोड़ ५८ लाख रुपये की धनराशियां

[1]Sailing Oil

आवंटित की गई थीं, जिसमें क्रमशः ३ करोड़ ४५ लाख रुपये और ३ करोड़ ९० लाख रुपये पुराने स्लीपरों के स्थान पर नये स्लीपर लगाने के लिये निर्धारित थे ।

(ख) पुराने स्लीपरों के स्थान पर नये स्लीपर डालने के कार्य की तीव्र प्रगति हो रही है और ३१ मार्च, १९६४ को निर्धारित लक्ष्य का बहुत थोड़ा ही कार्य शेष रह गया था ।

(ग) १९६४-६५ के दौरान २०० मील लम्बी बड़ी लाइन और २५० मील लम्बी मीटर लाइन पर इस कार्य को करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

'सूयादार' कपास

१९३८. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मैसूर राज्य के कुछ भागों में 'सूयादार' नाम की एक नई किस्म की कपास को उगाने की सिफारिश की है और इसके लिये उस कपास की निकासी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कथित किस्म की कपास के देश के अन्य भागों में उगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारतीय केन्द्रीय समिति ने फरवरी १९६३ में हुई अपनी बैठक में उत्तरी मैसूर में धरवार के पूर्वी सूखे क्षेत्र में कपास की खेती करने के लिये 'सूयीधर' नामक किस्म की कपास की निकासी की सिफारिश की थी ।

(ख) इस किस्म की कपास को केवल उत्तर मैसूर के उक्त लिखित क्षेत्र में ही खेती करने के लिये उपयुक्त पाया गया है । देश के अन्य भागों में भी इसे खेती में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धोबियों की सहकारी संस्थायें

१९३९. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से देश में धोबियों के व्यवसाय के लिये सहकारी संस्थायें स्थापित करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या धोबियों को अपने व्यवसाय को संगठित करने के लिये आर्थिक सहायता दी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का कितना अंशदान होगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्रा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है जिसमें वित्तीय सहायता का प्रतिरूप तथा ब्यौरे बताये गये हैं ।

योजना का विवरण

धोबियों की सहकारी संस्थायें स्थापित करने के प्रश्न पर पिछड़े वर्गों की सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी विशेष कार्यकारी दल ने विचार किया था और यह सिफारिश की थी कि :—

(१) जिन स्थानों पर अधिक संख्या में और नियमित ग्राहक मिलते हों और जहां बहुत से धोबियों की सेवाओं की आवश्यकता हो वहां पर धोबियों की सहकारी संस्थायें भली भांति स्थापित की जा सकती हैं। प्रशिक्षण संस्थान, होटल, छात्रावास और अस्पताल ऐसी समितियों के लिये अच्छा कार्य क्षेत्र बनाते हैं। वास्तव में ही इसी कार्य में लगे व्यक्तियों को समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिये।

(२) समिति कपड़ा धोने की सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री धोबी सदस्यों को दिया करे। कुछ अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् ड्राई क्लीनिंग उपकरण स्थापित किया जा सकता है तथा अन्य सुवधाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

(३) विभिन्न संस्थाओं और सहकारी विभागों के प्रभारी प्राधिकारियों को ऐसी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनानी चाहिये तथा उन्हें काम देना चाहिये।

२. कार्यकारी दल ने धोबियों की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में भी सिफारिश की थी और इनको निम्नलिखित प्रतिरूप पर सहायता देने का निश्चय किया गया है :—

(१) कर्मवाहक पूंजी और उपकरण के लिय ऋण

राज्य सरकारें प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक १०,००० रुपये तक ऋण दे सकती हैं। राज्य सरकारों द्वारा समितियों को दिये गये ऋणों को ७५ प्रतिशत भाग के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण देगी जो कि १५ वर्षों में चुकाना होगा। समितियां इस ऋण के पचास प्रतिशत भाग को उपकरण की खरीद के लिये और शेष ५० प्रतिशत को कर्मवाहक पूंजी के लिये उपयोग कर सकती हैं।

(२) प्रबन्ध सम्बन्धी अर्थ-सहायता

प्रत्येक सहकारी समिति को ३–५ वर्षों तक के लिये अधिक से अधिक १,२०० रुपये दिये जा सकते हैं जिसका बराबर बराबर भाग केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

३. यह परियोजना राज्य योजना का एक अंग होगी और इस पर आने वाला परिव्यय राज्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

गन्ने को पेरना

१६४०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गन्ने को पेरने सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या ऐसे लक्षण देखे गये थे कि सभी राज्यों में गन्ने की खड़ी फसल के सारे गन्ने को मिलों द्वारा अथवा अन्य किसी तरीके से पेर दिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १ नवम्बर, १९६३ से १५ मार्च, १९६४ तक की अवधि में विभिन्न राज्यों में कारखानों द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा निम्नलिखित है :—

राज्य	पेरे गये गन्ने की मात्रा ('००० टनों में)
उत्तर प्रदेश	१०१९२
बिहार	२२०१
आसाम	४६
पश्चिम बंगाल	१०४
पंजाब	७७५
उड़ीसा	५८
राजस्थान	८०
मध्य प्रदेश	२२२
महाराष्ट्र	३९४४
गुजरात	२८१
पांडिचेरी	८२
मद्रास	६७५
केरल	७६
मैसूर	७५८
आंध्र	१८०६
समस्त भारत	२१३००

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रायपुर-विजयानगरम सैक्शन

१९४१. **श्री रामचन्द्र उलाका:**
श्री धुलश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के रायपुर-विजयानगरम सैक्शन पर दुहरी रेलवे लाइन बिछाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)) : (क) केवल दो छोटे छोटे रेलवे सैक्शनों पर अर्थात् (१) लंजीगढ़ रोड से अम्बोडाला तक (१३.५ किलोमीटर) और (२) पूसमकटक से थेरुवाली तक (१८.५ किलोमीटर) दुहरी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और यह कार्य लगभग रा होने वाला है ।

(ख) उक्त भाग (क) में उल्लिखित दुहरी लाइनें बहुत शीघ्र ही माल यातायात के लिये खोल दी जायेंगी ।

वन साधनों का पूर्व-विनियोजन सर्वेक्षण

१९४२. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन साधनों के पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से सहायता मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिये किन राज्यों को चुना गया है ; और

(ग) काम कब शुरू होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभाग सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने परियोजना की क्रियान्विति में सहायता करने का वादा किया है । परन्तु सहायता के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, महाराष्ट्र तथा केरल राज्य के कुछ वनों का सर्वेक्षण करने का विचार है ।

(ग) वित्त मंत्रालय, खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिनिधियों तथा संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के परामर्श से योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । बनाई गई अस्थायी अनुसूची के अनुसार काम अक्तूबर-नवम्बर, १९६४ में आरम्भ होने की संभावना है ।

नेपाल को बाल रेल गाड़ी[1] का उपहार

१९४३. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गहयरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल को बाल रेलगाड़ी का उपहार दिया है ;

(ख) उसका अनुमानतः क्या मूल्य है ;

(ग) ऐसी रेलगाड़ियां भारत के किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं ; और

(घ) तीसरी योजना में ऐसी बाल रेलगाड़ियां किन किन स्थानों पर लगा दी जायेंगी ?

[1]Childrens Train.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) बाल रेलगाड़ी बनाने में ६०,००० रुपया व्यय हो जाता है ।

(ग) रेलवे मंत्रालय ने उपहार के रूप में देने के लिये दो बाल रेलगाड़ियां बनाई थीं जो एक बाल भवन दिल्ली में तथा दूसरी श्रीनगर, काश्मीर में स्थापित हैं । नई दिल्ली की बाल रेलगाड़ी बाल भवन बोर्ड द्वारा चलाई जाती है तथा श्रीनगर की काश्मीर सरकार द्वारा ।

(घ) बाल रेलगाड़ियां रेलवे द्वारा नियमित रूप से अथवा विशेष कार्यक्रम अथवा योजना के अन्तर्गत नहीं बनाई जाती हैं ।

Warehouses in Wheat Zones

1944. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have created nine wheat zones;

(b) whether wheat warehouses will be constructed by Government in these zones ; and

(c) if so, the capacity thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes Sir.

(b) & (c) There is no link between the creation of wheat zones and the storage construction programme of the Department. The latter is related to Government's scheme of building up of buffer stocks of wheat and rice and procurement and the distribution of godowns under that scheme is based on a consideration of various factors such as nearness to ports location in centres of procurement, availability of means of communication and likely demands of different States.

चीनी की 'रिकवरी'

१९४५. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त स्टाक कम्पनियों की विभिन्न फैक्टरियों में चीनी की 'रिकवरी' दिन प्रति दिन कम होती जा रही है ;

(ख) क्या मैसूर राज्य के तुंगभद्रा क्षेत्र के उत्पादकों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है कि 'रिकवरी' का गन्ना उत्पादकों की संतुष्टि के लिए ठीक ठीक रिकार्ड करने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

(ग) कारखानों में चीनी की ठीक 'रिकवरी' का निश्चयन करने के लिये सरकार ने क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए हैं ; और

(घ) दिसम्बर, १९६३ से १५ मार्च, १९६४ तक की अवधि में तथा १९६२-६३ तथा १९६१-६२ की इसी अवधि में मैसूर राज्य के विभिन्न कारखानों में चीनी की औसत 'रिकवरी' क्या रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। 'रिकवरी' चीनी कारखाने के प्रबन्ध पर निर्भर नहीं होती है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जानकारी नीचे दी जाती है :—

कारखाना (स्थापना स्थान)	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
काण्डला .	९.१३	१०.१३	१०.४३
होस्पेट . . .	११.२४	१०.९९	१०.३८
मुनीराबाद . . .	१०.०३	१०.४८	९.९२
उगर खुर्द . . .	१२.८५	१२.९७	१२.००
शिमोगा . .	१०.३०	१०.२०	१०.००
काम्पली . . .	११.०७	११.१३	१०.७९
पाण्डवपुर . . .	१०.७७	११.२३	११.२५
शंखेश्वर . . .	१२.६५	१२.८६	१२.८३
रामकेओसत . . .	११.०३	११.३४	११.२३

कोचीन और दिल्ली के बीच विशेष यात्री डिब्बा

१९४६. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन और दिल्ली के बीच एक विशेष यात्री डिब्बा चलाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). कोचीन तथा नई दिल्ली के बीच यात्री डिब्बा सेवा चलाने में मुख्य कठिनाई यह है कि कोचीन हार्बर टर्मिनस तथा मद्रास और मद्रास तथा नई दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में यह डिब्बा रेलगाड़ियों की क्षमता कम होने के कारण नहीं लगाया जा सकता है। इस कठिनाई को दूर करने की जांच की जा रही है।

बम्बई और कोचीन के बीच रेल गाड़ियां

१९४७. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री बसुमतारी :
श्री रामपुरे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई और कोचीन के बीच और रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). १-४-६४ से पूर्व बम्बई तथा कोचीन हार्बर टर्मिनस के बीच निम्नलिखित यात्री डिब्बे उपलब्ध थे :—

(एक) प्रतिदिन दो स्तर वाले सोने के स्थान वाले डिब्बे ।

(दो) एक सप्ताह में तीन बार पहले तथा तीसरे दर्जे का एक यात्री डिब्बा ।

१-४-६४ से सप्ताह में तीन बार चलने वाला पहले तथा तीसरे दर्जे का डिब्बा अब सप्ताह में चार बार चलाया जाता है तथा तीसरे दर्जे का एक डिब्बा सप्ताह में प्रति दिन लगाया जाता है।

ये डिब्बे बम्बई और अरकोनम के बीच बम्बई–मद्रास एक्सप्रेस में तथा अरकोनम और कोचीन हार्बर टर्मिनस के बीच मद्रास–कोचीन एक्स्प्रेस में लगाया जाता हे ।

बम्बई–मद्रास एक्सप्रेस तथा कोचीन–मद्रास एक्सप्रेस में केवल एक डिब्बा लगाने का स्थान होता है । दूसाल के बम्बई–कोचीन के तीसरे दर्जे के डिब्बे को सप्ताह में चार बार लगाया जाता है । शेष तीन दिनों में बरातों, पर्यटकों तथा यातायात बढ़ जाने को कम करने के लिये डिब्बे लगाये जाते हैं । इन गाड़ियों में स्थान की कमी होने के कारण बम्बई और कोचीन के बीच सीधी डिब्बा सुविधा बढ़ाने की संभावना नहीं है। परन्तु अतिरिक्त डिब्बों की सुविधा की कठिनाई को दूर करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

Unloading of goods

1948. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Department itself uses cranes for unloading the heavy goods which are sent by the Railways to different places;

(b) if not, whether the consignee is responsible for unloading the goods and if so, whether Government give any facility to the traders in this regard;

(c) the arrangements made by the Railway Department for unloading of such heavy goods on small stations which have not been provided with cranes ; and

(d) whether Government are going to make any arrangements whereby the goods may be unloaded by the Railway Department with cranes so that the traders may not have to face difficulty in arranging for cranes privately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) Consignees are responsible for unloading of heavy machinery, long timber or other heavy articles weighing one tonne and over per piece. If a request for a railway crane is received from the consignee, such request is complied with by the Railway on payment of necessary charges, if the Railway crane is available.

(c) Mobile cranes are based at certain important stations. On receipt of requests from consignees at smaller stations, such cranes are supplied if available, for unloading of consignments on payment of necessary charges.

(d) No.

Loading capacity of trucks

1949. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether the maximum loading capacity of trucks of various companies (Mercury, Leyland) has been fixed, separately ;

(b) if so, whether it differs from State to State ;

(c) if so, the reasons there for and the mode of determining the capacity in regard to those trucks which carry goods to several States ; and

(d) whether Government propose to bring about uniformity in regard to loading capacity throughout India and if so, when ?]

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d) A statement is attached. [Placed in Library. *See* LT 2657/64]

भाण्डागार

१९५०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने भाण्डागार हैं तथा वे कहां कहां पर हैं;

(ख) प्रत्येक की क्षमता क्या है; और

(ग) १९६४–६५ में उड़ीसा में कहां कहां पर कितने भाण्डागार खोलने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख).

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अधीन चालू भाण्डागार		राज्य भाण्डागार निगम के अधीन चालू भाण्डागार	
केन्द्र	टनों म क्षमता	केन्द्र	टनों में क्षमता
१. बारगढ़	१२००	१. कंठाबंगी	१८२४
२. बरहामपुर	१४२२	२. खरियार रोड	१५८८
३. जयपुर	३५९	३. जरनी	१०१५
४. भद्रक	८००	४. गुनुपुर	८५६
५. संबलपुर	७७७	५. अंगुल	४५७
		६. केसिंगा	१७२३
		७. टिटिलागढ़	२५४
		८. रायगढ़	३१७
		९. बोलनगीर	२४४
		१०. भंजनगर	२१०
		११. पदमपुर	१४२
		१२. जूनागढ़	३६५
		१३. ग्यारसुगड़ा	३०४
		१४. चांदबली	१४२

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम का १९६४–६५ में दो भाण्डागार खोलने का विचार है। एक जाजपुर रोड में तथा दूसरा कटक में। जहां तक उड़ीसा राज्य भाण्डागार निगम का सम्बन्ध है उसका विचार अपने पुराने केन्द्रों को समन्वित करने का तथा अभी नये केन्द्र नहीं खोलने का है।

उड़ीसा में डाकिये

१६५१. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न डाकखानों में इस समय कितने डाकिये हैं;

(ख) इनमें से कितने डाकियों को मकान किराया भत्ता मिल रहा है; और

(ग) तीसरी योजना के पहले वर्ष से अब तक उनको मकान किराया भत्ते के रूप में कितनी ली है ?

डाक और तार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) ७४३.

(ख) ८८.

(ग) २१,९३७ रुपये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मदुरई–क्विलान यात्री गाड़ी की एक ट्राली के साथ हुई टक्कर के कारण ट्राली चलाने वाले की मृत्यु

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"१ अप्रैल, १९६४ को मदुरई–क्विलोन यात्री गाड़ी की एक ट्राली के साथ हुई टक्कर, जिसमें ट्राली चलाने वाले की मृत्यु हो गयी।"

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १-४-१९६४ को ९ बजकर ४७ मिनट पर जब नं० १४१ मदुरै–कोल्लम सवारी गाड़ी दक्षिण रेलवे के शेंकोटा–कोल्लम मीटर गेज खण्ड पर भगवतिपुरम् और आयेगावु स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो वह किलोमीटर ६७९/८–९ पर विपरीत दिशा से आती हुई एक पुश ट्राली से टकरा गयी।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप दो ट्राली वालों को गंभीर चोटें पहुंचीं। इसके बाद दिन में ट्राली के इन्चार्ज रेलपथ मिस्त्री ने भी बताया कि उसे दर्द हो रहा है। गाड़ी के चालक वर्ग या किसी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची।

मरहम पट्टी के बाद घायल ट्राली वालों को आगे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अस्पताल जाते समय उन में से एक की मृत्यु हो गयी। दूसरे ट्राली वाले को आगे इलाज के लिए कोल्लम के जनरल अस्पताल में और रेलपथ मिस्त्री को पुनलूर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। मालूम हुआ है कि इन दोनों की हालत में सन्तोषजनक सुधार हो रहा है।

मृत व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में रकम देने की व्यवस्था की गयी है।

दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए अफसरों की एक समिति नियुक्त की गयी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस दुर्घटना का कारण क्या था ? क्या वहां पर सिगनल नहीं था ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : वहां पर एकदम मुड़ना पड़ता था और ट्राली चलाने सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नीवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नीवेली की वर्ष १९६२-६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६५०/६४]

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : सामुदायिक विकास तथा सहकार आन्दोलन लोकतंत्रात्मक समाजवाद से मेल नहीं रखता इसी कारण इस प्रकार के आन्दोलनों के परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत-अमेरीका तकनीकी सहकार करार के अनुसार आरम्भ किया गया था, जिस के तीन मुख्य तत्व थे। अपनी सहायता आप करना, लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना और परम्पराओं आदि का ध्यान रखना। परन्तु लोकतंत्रात्मक समाजवाद के परिणामस्वरूप सामुदायिक विकास आन्दोलन केवल सरकार का एक विभागीय अभिकरण बन कर रह गया है। यह बात "तृतीय योजना में कृषि तथा सामुदायिक विकास" नामक पुस्तिका से जाहिर होती है।

[श्री कपूर सिंह]

सामदायिक विकास आन्दोलन का उद्देश्य क्या है यह श्री कृष्णमाचारी की पुस्तिका "भारत में सामुदायिक विकास" में बताया गया है। इसका एक उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना, दूसरा सहकार के सिद्धान्त को लागू करना और तीसरा उद्देश्य समुदाय के हित की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में समय तथा शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। परन्तु यह काम कैसे पूरा होगा। इसके लिये चार-स्तरीय संगठन स्थापित किये गये हैं जिन पर राज्य का नियंत्रण है। पहले केन्द्रीय मंत्रालय है, फिर राज्य विकास समितियां हैं, खंडीय स्तर पर खंड विकास अधिकारी हैं और अन्त में प्रत्येक खंड में १०, १० ग्राम सेवक हैं। अतः यह सामुदायिक विकास आन्दोलन न हो कर कांग्रेस समुदाय विकास आन्दोलन बन गया है।

लोकतंत्रात्मक समाजवाद के उद्देश्य को समक्ष रख कर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये चायत राज और सहकार इन दोनों आन्दोलनों का रूप बिगाड़ दिया गया है। पंचायत राज के बारे में सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक "पंचायत राज के द्वारा सामुदायिक विकास" में कहा गया है कि इस के प्रशासन में सरकार का प्रबल हाथ होना स्वाभाविक है और यह भी कि आरम्भ में लोगों को सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर ही निर्भर रहना होगा। वास्तव में स्थिति अंग्रेजों के काल में भी यही थी। अब केवल इस के रूप में ही परिवर्तन हुआ है। उद्देश्य वही है और मूल भावना भी वही है, और वह भावना यह है कि यह आन्दोलन संगठित ढंग से हो जिस पर सरकार का नियंत्रण रहे, और लोकतंत्रात्मक समाजवाद के चोले में जिन नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है उन को कार्यान्वित करने के लिए यह आन्दोलन एक दासी के समान रहे। परन्तु श्री रवीन्द्र ठाकुर ने जिस पंचायती राज का दृश्यमान किया था उस का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति विशेष का स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से विकास हो और वह स्वतंत्र रूप से उपक्रम कर सके। यही पंचायती राज का सही उद्देश्य होना चाहिये न कि यह कि उत्पादन या राजनीतिक कपटोपायों की दृष्टि से संगठन करना।

स्वयं पंचायती राज अनुसन्धान परियोजना के प्रतिवेदन में कहा गया है कि पंचायती राज के कारण स्थानीय नेता उठ खड़े हैं, सही राजनीतिकरण के अभाव में परम्परागत सामन्तों की प्रतिष्ठा बढ गई है और प्रशासन व्यवस्था तथा ग्रामीण नेताओं में काफी तनाव पैदा हो गया है। इन निष्कर्षों से स्पष्ट है कि पंचायती राज की देश में क्या दशा है। इस स्वतंत्र जांच का परिणाम यही है पंचायती राज के कारण जो निकृष्ट व्यक्ति सत्ताधारी बन गये हैं उन की वजह से ग्रामीण समाज के नैतिक स्वास्थ्य का पतन हो गया है, निहित स्वार्थों के कारण समाज में खतरे की स्थिति पैदा हो गई है और प्रशासन व्यवस्था एवं ग्रामीण नेताओं में पाये जाने वाले तनाव से राजनीतिक स्थिति भी खतरनाक हो चुकी है। इसलिये बजाय इसके कि पंचायती राज से लोकतंत्र कुछ सुदृढ़ हो, व्यक्ति विशेष का आत्म सम्मान बढ़े और ग्रामीण जीवन में एक नव जागरण पैदा हो, आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोक निधियों का दुरुपयोग हो रहा है। पंजाब में यही हालत है और दिल्ली क्षेत्र में २० पंचायतों को मुअत्तिल कर दिया गया है। इस का सब से बड़ा कारण यही है कि पंचायती राज की मूल प्रेरणा को सत्ताधारी दल की सैद्धान्तिक सनक ने नष्ट कर दिया है।

यही दशा सहकार आन्दोलन की है। इस आन्दोलन का रूप राज्यवाद और सैद्धान्तिक हठधर्मिता ने बिगाड़ दिया है। सहकार आन्दोलन और इस विचार की जड़ें प्राचीन काल में मिलती हैं। यह विचार कोई नया नहीं है। परन्तु विधान के रूप में इस आन्दोलन को आधुनिक प्रेरणा लगभग

५० वर्ष पूर्व मिली। उस के पश्चात् ही अधिनियम लागू हुए। इन दोनों अधिनियमों की प्रस्तावनाओं को देखने से पता चलता है कि इन का उद्देश्य यह था कि स्वत: अपनी सहायता तथा परस्पर सहायता द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें। परन्तु व्यावहारिक रूप से अब इस के उद्देश्य इस के प्रतिकूल ही बन गये हैं। अब इस आन्दोलन से राज्यवाद, उच्चतम अधिकारियों का नियंत्रण आदि बढ़ गये हैं। वर्ष १९५४ में भारत सरकार के ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण तिवेदन में कहा गया कि यह आन्दोलन पूर्णत: असफल रहा है और कि इसे सफल बनाने के लिये सहकारी संस्थाओं में राज्य की भागिता होना आवश्यक है। इस तरह सहकार आन्दोलन के सिद्धान्त की मूल प्रेरणा को ही नष्ट कर दिया गया। इस का परिणाम यह हुआ कि ऋण संस्थाओं में सरकार का अंश जो वर्ष १९४६ में ५५.६९ करोड़ था वर्ष १९६१ में बढ़ कर १२५.३२ करोड़ हो गया। दूसरा घातक कदम यह उठाया गया कि निदेशकों का नाम निर्देशन होने लगा। तीसरा कदम यह उठाया गया कि मैसूर सहकार संस्था अधिनियम, १९५९ पारित कर के सरकार ने उन संस्थाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जिन को २ लाख रुपये से अधिक ऋण दिया जाता है। इस प्रकार स्वत: अपनी सहायता तथा परस्पर सहायता के स्थान पर राज्य द्वारा सहायता तथा राज्य नियंत्रण को लाया गया। इसी कारण सहकार आन्दोलन भ्रष्टाचार एवं अकुशलता से भर गया। पंजाब से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वह सहकार संस्थायें निर्जीव हो गई हैं। दिल्ली के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। मानव हित के स्थान पर अब माल के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है और मानवीय उपक्रम का स्थान राज्य द्वारा नियंत्रण ने ले लिया है।

श्री मेहता ने स्वयं कहा है कि योजना को सफल बनाने के लिये एक मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करना होगा। राजस्थान विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने कहा है कि सहकारी संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिये।

पंचायती राज और सहकार यह दोनों आन्दोलन एक हितकारी सिद्धान्त पर आधारित थे। इन आन्दोलनों से देश का काफी हित हो सकता था। परन्तु इन आन्दोलनों को लोकतंत्रात्मक समाजवाद से जोड़ कर सत्ताधारी दल ने उन की मूल प्रेरणा को नष्ट कर दिया है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कपूर सिंह 'समाजवाद' के विरुद्ध हैं परन्तु मैं उन को बताना चाहता हूं कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद के सिद्धान्त को मान कर भी सरकार इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। यह इस बात से ज़ाहिर है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। स्वयं प्रधान मंत्री ने इस बात को राज्यों के सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना है कि इस बात का क्या कारण है कि क्या यह मंत्रालय देश की जनता में इन कार्यक्रमों के लिये प्रेरणा पैदा नहीं कर सका। आज देश में क्रान्तिकारी प्रक्रिया नहीं चल पाई।

अब मैं जनगणना आयोग द्वारा दिल्ली के गांवों में किये गये सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन में से उद्धरण दूंगा। इस में कहा गया है कि गांवों में ५० प्रतिशत लोग ऋणी पाये गये। एक गांव के १४४ परिवारों में से केवल एक परिवार की आय ५०० रुपये प्रति मास थी। ४० परिवार १०० रुपये प्रति मास से कुछ अधिक कमाते थे और शेष २० परिवारों की आय २५ रुपये प्रतिमास से भी कम थी। केवल ४ प्रतिशत ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से सन्तुष्ट पाये गये। ऐसे मामले भी सामने आये जिन में बिजाई के मौसम में मांगे गये बीज फसल काटने के समय उपलब्ध किये गये। जाति भावना तथा राजनीतिक दलों के कारण निर्वाचित पंचायतें ठीक तरह से कार्य नहीं करतीं,

आदि । हम सब जानते हैं कि सत्रह वर्ष की आज़ादी के बाद भी देहात में सम्बन्ध वैसे ही हैं। उसी तरह साहूकार हैं और भूमि सुधार के बावजूद पट्टेदार विद्यमान हैं। जब तक ये पट्टेदार सुधारों के लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हम सामाजिक असमानता को दूर नहीं कर सकते।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार को अपनी मूल नीति बदलनी चाहिये। हम सहकारी आंदोलन की दुहाई तो देते हैं किन्तु जब तक गांव में सत्ता कुछ एक लोगों के हाथ में है सहकारी आंदोलन कैसे सफल हो सकता है। पंजाब में सहकारी आन्दोलन को कुछ सफलता मिली है किन्तु वह केवल समृद्ध किसानों की सहकारी समिति को। वह तो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की सी स्थिति है। वास्तव में प्रदर्शन और अनुरोध द्वारा किसानों को सहकारी समितियां बनाने के लिये तैयार करना होगा जिसमें वे अपने संसाधनों को इकट्ठा कर दें परन्तु भूमि पर उनका अधिकार रहे। सरकार की मूल नीति ने किसानों को इस आंदोलन के लिये प्रोत्साहन में बाधा उपस्थित की है। सरकार कई वर्षों से भारी मात्रा में खाद्यान्न का आयात कर रही है। इस प्रकार आयात पर निर्भर करने और कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सामूहिक कार्यक्रम चालू करने से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को सहायता देने की योजनाएं ठप्प पड़ी रहती हैं। जो धन इन योजनाओं में लगाया गया है वह कुछ अधिकारियों और उन के मित्रों के हाथ में चला गया है।

माननीय मंत्री ने तो सारे देश का दौरा किया होगा। क्या वे बता सकते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं से सम्बन्धित समितियों में कितने हरिजन लिये गये हैं ? यही स्थिति ग्राम स्वयं सेवक दल की है अर्थात् गांव का विकास जन साधारण पर आधारित नहीं है। अतः सरकार को सर्वप्रथम कृषि सम्बन्धी वास्तविक सुधार करने चाहियें और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये।

कृषि श्रमिकों की स्थिति यह है कि निम्न वर्ग की स्थिति अधिक बिगड़ गई है। १९५०-५१ की पहली जांच रिपोर्ट के अनुसार पुरुष श्रमिक की दैनिक मजूरी १०९ नये पैसे थी। १९५६-५७ की दूसरी जांच रिपोर्ट के अनुसार ९६ नये पैसे थी और इसी प्रकार महिला श्रमिक की मजूरी ६८ से कम हो कर ५९ नये पैसे रह गई। नैमित्तिक श्रमिक की मजूरी रोजगार २०० से कम हो कर १९७ दिन रह गया है। कृषि श्रमिक के परिवार की वार्षिक औसत ४५९ रुपये से कम हो कर ४३९ रुपये हो गई है। अतः रिपोर्ट के अनुसार स्थिति १९५०-५१ की तुलना में १९५६-५७ में अधिक खराब थी हालांकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय और अन्य अनेक अभिकरण इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

एक कठिनाई यह है कि सरकार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है। पहले तो समितियां नियुक्त कर देने से कुछ लाभ नहीं होता और फिर सलाहकार समितियों में प्रभागीय कांग्रेस समिति के प्रधान अवश्य लिये जाते हैं। इस से इस क्षेत्र में भी राजनीति घुस जाती है।

आपातकाल में संसद् ने एकमत से सरकार को समर्थन प्रदान किया था और ग्राम स्वयंसेवक दल बनाया गया था किन्तु मेरे गांव में राजनैतिक कारणों से इच्छुक युवकों को उस में शामिल नहीं होने दिया। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हल करना चाहिये।

माननीय मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्राम सेवक को अत्यधिक काम करना पड़ता है। चाहे कोई पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो या जिला परिषद् का वह सब ग्राम सेवक को ही सौंपा जाता है। सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम का भार भी उसे ही वहन करना पड़ता है। ग्राम जल संभरण के कार्यक्रम का संचालन भी उसे ही करना होता है। अब प्रश्न

यह है कि क्या उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह विविध प्रकार के कार्यों को संभाल सके। दूसरे उन्हें कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें प्राय: आय कर ग्राम सेवक ही रहना पड़ता है। उन के लिये कोई प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिये।

सरकार को यह भी विचार करना चाहिये कि क्या महिलाओं और युवकों के संगठन अलग अलग होने चाहियें। कई स्थानों पर संगठन विद्यमान हैं किन्तु खण्ड विकास अधिकारी उनका सहयोग प्राप्त नहीं करते और नये संगठन बना रहे हैं। यह गलत नीति है। उन संगठनों का संघ बनाने के बारे में विचार करना चाहिये।

खेद है कि सन्तानम समिति ने नित्य प्रति के ढंग से पंचायतों का अध्ययन किया है। पंचायतों को सैकड़ों काम करने होते हैं अत: प्रश्न है कि उन्हें धन कहां से मिले। उन द्वारा कर लगाना आज की स्थिति में अच्छा नहीं है जबकि नगरपालिकाओं, विधान सभाओं और संसद् द्वारा भी कर वसूल किये जाते हैं और कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। उन्हें गांवों के उद्योग सौंते देने चाहियें जिन से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पंचायतों की वित्त व्यवस्था भी हो जायगी।

सरकार का अनुमान था कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में ५०० करोड़ रुपया सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण के रूप में दिया जायगा किन्तु केवल ४०० करोड़ रुपया दिया गया है। सरकार को लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये और किसानों को अनुभव कराना चाहिये कि सहकारी खेती के लाभ हैं। राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में माननीय मंत्री ने कहा था कि यह आंदोलन राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर चुका है मैं इस मूल्यांकन से सहमत नहीं हूं।

Shri D.S. Chaudhuri (Mathura): I have to submit regarding the cooperation movement that this is the only sector in which the Government has made notable progress since the adent of Freedom. The number of cooperatives in the first Five Year plan was 81 thousand which has increased to 1 crore 37 thousand and the capital thereof has increased from 45 crore 46 lakhs of rupees to 221 crore 57 lakhs of rupees. Similarly production of sugar has increased and consumer stores have also been set up.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
The Deputy Speaker in the Chair

So the contnetion of the opposition that no progress has been made in this direction, is wrong. In a village the cooperative society has got security deposit of 1½ lakhs of rupees, runs a higher Secondary school and a brick kiln. It earns 20 thousand rupees a year. The cooperative Banks at district levle and state level have increased their capital manifold. But the opposition is prone to oppose wherever it finds any progress.

These people did not oppose the handloom industry, nor they opposed the idea of trusteeship propounded by Gandhi and also they did not stand against theresolution of socialism in Bhubneshwar conference because they were confident that these things would never be able to shaken their hold. But the progress of cooperatives has been collectively opposed by them.

So many malpractices are indulged in the private sector but no member of Parliament has ever prepared a booklet on it as it has been done in case of cooperatives and it is regretted that orders have been issued to institute on

[Sri D. S. Chaudhuri]

enquiry into the affairs of cooperatives. Such attempts are being made to discredit the cooperatives.

I do accept that there are corrfupt practices in the cooperatives but corruption is more rampant in the private sector. Tacavi is distributed through the cooperatives as well as other agencies and I can say with confidence that corruption in other agencies much more that that in the cooperatives. There is a greater number of cooperatives which are reknowned for their integrity. The number of people who oppose the cooperatives is very great.. The traders the shop keepers the government servants, the capitlists and even some of the ministers in the Central Ministry are opposed to this movement. The capitalists oppose because they cannot make profits. The Government servants are against because they are deprived of bribes. The politis oppose because they cannot get huge amounts which they could get from capitalists, for political purposes.

Since the advent of freedom this department has played a remarkable role in disseminating social education. The cooperative movement is facing mony difficulties Recovery of Tacavi loans is in abeyance because of the fact that at several places there are seperate agencies to distribute and to recover the tacavi.

The cooperative Banks are not given recognition like other banks and many obstructions are part in their way.

So the cooperative Department is the most popular , the most socialistic and educative. It can eradicate castiism and the communalim.

Shri Brahm Prakash (Outer Delhi) Sardar Kupur Singh enologised the principles of cooperation and said that it can build up, the socialistic society but in the same breath he said that there is much corruption statisticion and regrimentatin in this movement and it has proved to be congress community development rather rhan a community development programme.

It is the aim of the Parliament and the Congress party to create democratic socialistic society.

The Community Development movement can bring prosperity to the rural population which consititutes 80 % of our population. It can achieve this end through the Panchayat Raj, Cooperation and the extention service.

I have been studying this movement from the very beginning and I know that the credit for the efforts and thoughts devoted to this cause, goes to Shri K. C. Dey.

I have been insisting upon my party members and the opposition parties as well that if we wish to make India a strong and stable society we must strengthen the community development programme and other anciliary programmes.

I on behalf of the congress accept the challange offered by Sardar Kapur Singh in this contention what this is a congress community Development programme. If congress develops, the democratic socralism would develop.

Corruption should be eradicated at national level because it is not that it is prevelent only among the congressmen rather it is availabe in all the political parties So it is wrong to condemn cooperative movement on the plea that there is corruption. We must bring the corruptpunch to the court and get them punished. They would not be able to win the election.

In the villages there are three sections of people ; one is very poor which cannot get any use of credit, the other is the middle class which does take the credit but is unable to pay back. The third section has the capacity to raise production. We have connected all the three sections in service cooperative society and cooperative society, as a result of which the grants to the cooperative societies are not reaching the weaker sector. Even the credit is not being fully utilized. So, the credit should be linked with marketing and the marketing with the processing. Separate resources should be provided for we ker sector.

The eastern states are economically weak and the reason for that is the failure of cooperative movement in that area. The Government should take processing in its own hands and that should be linked with marketing. Only then the movement would be successful.

There is still much confusion regarding cooperative practices. That must be removed and the rules regarding that should be rationalized. The powers should not be concentrated in the hands of the registrar and those should be handed over the non-official people.

Audit should be de-officialized and be made autonomous. Integrity and efficiency should be installed in the movement for that purpose system of education should be strengthened. The cooperative unions should be given autonomy and with the development of the movement steps should be taken to integrate the cooperative unions. The tendency for disintegration should be curbed I hope that the trends which would be created by you now, would be able to give a direction to the movement in future.

श्री द० ब० राजू (नरसरपुर) : मैं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तथा सहकारी क्षेत्र को बढ़ाने में बड़ा सराहनीय कार्य कर सका है, परन्तु अभी बहुत काम करना शेष है ।

केन्द्रीय सरकार ने पैकेज कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में ग्रामीण ऋण योजनाओं का समन्वय करने में रुचि ली है । परन्तु किसानों को ऋण लौटाने की अवधि १ वर्ष से घटा कर पहली फसल में ९ महीने और दूसरी फसल में ६ महीने कर दी गई है । पांच वर्षों में एक बार फसल अच्छी होती है, इसलिये किसान को ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, मन्दे वर्षों में । रैयत को लगान आदि कर भी देने होते हैं । इस प्रकार अल्पकालीन ऋण अनुत्पादक व्यय पर खर्च हो जाते हैं और किसान पर ऋण का भार बढ़ जाता है, और उसे कम दामों पर फसल बेचने को बाध्य होना पड़ता है । विपणन तथा ग्रामीण संस्थाएं उसका माल भण्डार में नहीं रख सकतीं । अतः वर्तमान नीति ऋण ग्रस्तता को बढ़ाती है । अतः रिज़र्व बैंक को चाहिये कि वह सहकारी बैंकों को ऋण देने की शर्तों को नर्म करे ताकि ग्रामीण ऋण का उद्देश्य पूरा हो सके । ऋण लौटाने

[श्री द० व० राजू]

की अवधि भी बढ़ाई जाये । किसानों की इन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना सरकार का काम है ।

मैं नींबू फलों के विपणन के बारे में कहूंगा । मैं जिस सहकारी संस्था का प्रधान हूं, वह कलकत्ता को नींबू २० वर्षों से भेज रही है । परन्तु विपणन की व्यवस्था के अभाव में गैर-सरकारी अभिकरणों का सहारा लेना पड़ता है, अतः उचित दाम नहीं मिलते । अतः सरकार सभी स्तरों पर समेकित विपणन संस्था प्रणाली की व्यवस्था करे और कलकत्ता में सहकारी फल विपणन संस्था बनाई जानी चाहिये । अन्तर्राज्य विपणन के लिये करों के निमित्त रेलवे कृषि वस्तुओं की श्रेणीकरण की प्रणाली का समन्वय करे । समन्वय न होने के कारण कलकत्ता में भेजे गये नींबू फलों पर दुगना कर लगता है । सरकार को नींबू फलों, सब्जियों या फलों का वर्गीकरण करना चाहिये । यह मामला रेलवे तथा सहकारी सलाहकार समितियों के पास भेजा गया था, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

योजना के सम्बन्ध में हमें इस बात पर ध्यान नहीं रखना चाहिये कि विशिष्ट अवधि में इतनी राशि खर्च की जाये । बल्कि इमारत उद्देश्य तथा कार्य इस प्रकार हो कि हम विशिष्ट परियोजनाओं की वास्तविक सफलताओं पर जोर दें और बेकार तथा जल्दी में व्यय न करें ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सहकारी खेती का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है । स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसमें थोड़ा रूपभेद किया जा सकता है । तब तक संयुक्त सहकारी संस्थाओं का पंजीयन नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि वे अपने में छोटे किसानों को अच्छे प्रतिशत में न मिलायें । ये संस्थाएं उन भूमियों पर अधिक सफल हो सकेंगी, जिनको हाल ही में खेती योग्य बनाया गया है और भूमिहीन कृषि मज़दूरों को वहां बसाया जा सकता है और राज्य सरकारें उनको तकनीकी सहायता दे सकती हैं ।

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh) : The minstry of Community development and Cooperation is very important and on its success depends the success of rural India.

It is regretted that I have to raise some points raised by me last year. We should look into the machinery working in the States and see how far the criticism made is correct.

The minister's have repeatedly admitted that due to shortcomings in the programmes of Panchayat, cooperation & Community development the success cannot be achieved.

The Schemes are prepared theoretically and by the time they reach the village level worker, there remains nothing which can be practically implemented. Hence planning becomes farce.

Recently the Panchayat minister of Punjab at the instance of Chief Minister advised development officers to encourage poultry farming and inculcate habit of taking eggs among students. Entire development staff was put to work for that. How fantastic is it ? Instead emphasis should have been laids on improving breed of cattle and constructive work done.

The greatest shortcoming being expreinced by villagers with regard to this programme is lack of coordination among various ministries. Inspectots etc.

working under B.D.O. are under the control of their respective departments. Instead they should be placed under the charge of B.D.O. In the absence of BDO's control over them they work half heartedly. There is absolutely no coordination at the higher level. Unless all the departments concerned with development of villages are not united from that point of view, no progress can be achieved. We should concentrate our energies in this respect.

There is a net work of canals in the Punjab, and due to failure of rains and excessive cold the crops in the districts of Bhatinda and Hissar failed, because there is no water in the Bhakhra Canal Gram Sevak who were given fertilisers for distribution to farmers has no contact with officials of irrigation Deptt. who work arbitrarily. This caused huge losses to crops. There was water in canals earlier. Had that water been stored and supplied in proper time, crops would not have been destroyed. This is an evidence of lack of administrative coordination. Government should give serious thought to this.

There is another serious drawback in the programme The officials particularly Block development officers are such that they have the least interest in working in rural areas. Their inclinations are not for rural service they are white collard and interested in urban life. Then how can they put heart and soul in the rural development work. They neither work nor have the desire to work. Hence the implementation of rural schemes is defective. Government should improve the situation and appoint only such persons as B.D.Os who have a spirit of service and village background. Unless right type of persons are appointed, programme cannot achieve its goal. Huge amounts are spent by Government on these programmes through B.D.O. who does not show any interest in the rural development. They do not possess even the primary knowledge about villages. Getting a degree is a different thing. But practical thinking and working is different. If proper personnel are selected, certainly the results will be encouraging.

All of us want increased production. But unless the condition of farmers is improved it is not possible. The food problem cannot be solved till farmers condition is improved. So we should give priority to this aspect. Only then food problem can be solved.

श्री फिरोडिया (अहमदनगर) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं । मंत्रालय ने ग्रामीण, नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिये काफी काम किया है। सहकारी आन्दोलन भी बढ़ रहा है, और सहकारी संस्थाओं का विकास हो रहा है। सरकार ने पिछले कई वर्षों में सराहनीय कार्य किया है और गैर सरकारी क्षेत्र ने भी सहकारी आन्दोलन के उपयोग को अनुभव किया है। कुछ सदस्यों ने इस मंत्रालय को समाप्त कर दूसरे मंत्रालय के साथ मिलाने की बात कही है। मैं अनुभव करता हूं कि इस मंत्रालय के मंत्री का दर्जा बढ़ा कर उसे मंत्रिमंडल के दर्जे में लाया जाये ।

हाल ही में सहकारी चीनी फैक्टरियों को २० लाइसेंस दिये गये । उत्पादक सहकारी संस्थाओं को गन्ना देते हैं, हांलाकि उनको बाहर से अधिक दाम भी मिल सकते हैं । हमें संस्था तथा सदस्यों के बीच के सम्बन्ध को उत्तम बनाना चाहिये । सहकारी संस्था प्रजातंत्रीय संस्था है और समाजवाद लाने में अधिक सहायक है ।

हमारे देश में यदि कम से कम समय में समाजवाद लाया जा सकता है तो वह केवल सरकारी समितियों और सहकारी आन्दोलनों के द्वारा ही लाया जा सकता है ।

[श्री फिरोडिया]

गत १० या १५ वर्षों में सहकारी क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए हमें इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सम्बन्धी समस्या का अभी पूर्णरूप से हल नहीं हो पाया है। सहकारी साख समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण का ६० प्रतिशत भाग केवल २० प्रतिशत लोगों द्वारा लिया जाता है। यह गांवों के चन्द लोगों का निहित स्वार्थ बन गया है। इससे गांवों में रहने वाली निर्धन जनता को लाभ नहीं पहुंच पाता है। हमें एक कृषि पुनर्वास निगम स्थापित करना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता करेगा जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। देश के विभिन्न भागों में विकास के प्रारम्भिक चरण का सम्बन्ध पुनर्वास की अवधि से रखा जाना चाहिए।

कृषकों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। यदि हम वाणिज्यिक बैंकों के स्तर पर उन्हें ऋण देने पर विचार करें तो ऋण की समस्या कभी हल नहीं हो सकती है। इसलिए सहकारी ऋण समितियों का ऋण देने का उद्देश्य सामाजिक दृष्टि से अधिक होना चाहिए। कृषकों को वित्तीय सहायता देने की पद्धति में उनकी ऋण सम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं तथा उत्पादन ऋण और व्यक्तिगत उपभोग सम्बन्धी ऋणों का ध्यान रखना होगा। इसके साथ यह बात भी देखनी होगी कि कृषक इस ऋण को लौटा सकता है या नहीं। यदि ऋण उसकी क्षमता से अधिक हो जाये तो इससे उसकी उत्पादिता क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

हमारी योजना में इस बात का ध्यान कम रखा गया है कि कृषि को एक लाभदायक उद्योग बनाने के लिए अनेक प्रकार की भारी विनियोजनों की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग सहकारी आन्दोलन में रूचि नहीं लेते। उसका एक कारण यह भी है कि यह उनके आर्थिक कल्याण से स्पष्ट रूप से सम्बद्ध नहीं किया गया है।

सहकारिता सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करके पंजीयकों (रजिस्ट्रारों) को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं और सरकार भी स्वयंअधिक शक्तियां अपने हाथ में ले रही है। रजिस्ट्रार प्रायः स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। सहकारी आन्दोलन में राजनीति आती जा रही है। यदि राजनीतिज्ञों द्वारा सहकारी आन्दोलन का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति को रोका न गया तो इस से सहकार आन्दोलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़गा।

सहकारी चीनी मिलों द्वारा अपने सदस्यों को गन्ने का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से दिया जाता है। ये सदस्य मूल्य कम निर्धारित किये जाने पर भी अपना गन्ना सहकारी मिल को देने के लिए बाध्य हैं जब कि अन्य गन्ना उत्पादकों पर यह बात लागू नहीं होती और वे जहां चाहें अपना गन्ना बेच सकते हैं। अतः आय-कर के प्रयोजनों के लिए सहकारी चीनी मिलों की आय का हिसाब गन्ना उत्पादकों को दिये गये मूल्य समेत सारे व्यय घटा कर, लगाया जाना चाहिए।

बहुत से संयुक्त स्कंध समवायों पर जमा बीमा योजना लागू है किन्तु सहकारी क्षेत्र इसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। सहकारी क्षेत्र को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए बैंकिंग समवाय अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। पहले ही सहकारी बैंकों पर अनेक नियंत्रण हैं और यदि इस योजना को उन पर लागू करके सहकारी क्षेत्र पर और अधिक नियंत्रण रखा गया तो ऋण प्रणाली को बहुत क्षति पहुंचेगी।

यद्यपि सहकारी समितियों ने काफी ऋण का लेन देन किया है किन्तु इससे निर्धन वर्ग को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। यदि हम वास्तव में इस दिशा में प्रगति करना चाहते हैं तो मंडियों में भी ऋण मिलने की सहूलियत होनी चाहिए।

प्रायः यह देखा गया है कि विपणन समितियां क्रय का कार्य नहीं कर रही हैं तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने में सरकार को सहयोग नहीं दे रही हैं। सरकार को प्रारम्भिक अवस्था में सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये जिससे वे कृषकों से उपज खरीदने के लिए उत्साहित हों और कृषकों को अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके।

सरकार द्वारा कृषकों को राज सहायता के रूप में पुनर्वास ऋण दिये जाने चाहिए जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा और वह अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती अकम्मा देवी : (नीलगिरि) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास हुआ है किन्तु महिला कल्याण की दिशा में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। महिला कल्याण सम्बन्धी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाओं को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास होने पर ही सारे देश का वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सकता है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार सितम्बर, १९६३ के अन्त तक देश में ४४,८०० महिला मंडल थे। और एक विकास खण्ड के लिए एक मुख्य सेविका तथा दो ग्राम सेविकायें नियुक्त की गई हैं जो इन खण्डों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रत्येक खण्ड के लिए कम से कम एक और ग्राम सेविका नियुक्त की जानी चाहिए ताकि कार्य अधिक कुशलतापूर्वक हो सके। इन ग्राम सेविकाओं और मुख्य सेविकाओं को नियमित रूप से केन्द्रों में आना चाहिए और अपना कार्य इस तरह आयोजित करना चाहिए जिससे प्रत्येक महिला मंडल कुछ रचनात्मक कार्य करे। हम महिला मंडलों द्वारा, स्वास्थ्य सफाई और सामाजिक शिक्षा के लाभों को समझा सकते हैं। महिलाओं के लिए दर्जी का काम, बुनाई, खिलौने आदि बनाने के धनोपार्जन के साधन भी महिला मंडलों द्वारा ही सफल बनाये जा सकते हैं जो परिवार की आय को काफी सीमा तक बढ़ा सकती हैं।

यह दुःख की बात है कि महिलामंडल संयोजिकाओं को भत्ते के रूप में केवल ५ रुपये प्रति मास के हिसाब से दिये जाये हैं जबकि एक साधारण महिला मजदूर ३० रुपये मासिक से अधिक कमाती है। संयोजिका का शिक्षित होना तथा दस्तकारी में अच्छी जानकारी रखना भी आवश्यक है। अतः मेरा अनुरोध है कि महिला मंडल की संयोजिकाओं के भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए।

एकीकृत बाल कल्याण परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक खंड इस योजना के लिए चुन लिया जाता है। ये बाल कल्याण केन्द्र प्रारम्भिक पाठशालाओं के निकट स्थित होते हैं। इन प्रारम्भिक पाठशालाओं में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुदान तथा सम्बन्धित पंचायतों द्वारा अंशदान दिया जाता है। इस अनुदान और अंशदान में थोड़ी सी वृद्धि करके पाठशालाओं में दाखिल होने से पहले इन बाल कल्याण केन्द्रों में भी बालकों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन केन्द्रों की देख भाल के लिए एक और ग्राम सेविका नियुक्त की जानी चाहिए और उसे यथासंभव प्रोत्साह दिया जाना चाहिए।

[श्रीमती अकम्मा देवी]

महिलाओं के लिये बहुत सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं जिनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है और इन समितियों से निर्धन परिवारों को अपनी आय बढ़ाने में काफी सहायता मिली है। इन समितियों में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत समय लगता है, जिससे महिलाओं में आयोजक के प्रति विश्वास नहीं रहता है। सरकार को इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

यह दुख की बात है कि प्रतिवेदन में ग्रामीण महिला स्वयं सेविकाओं का कोई उल्लेख नहीं है। ये स्वयं सेविकायें देश के लिये लड़ने वाले जवानों तथा उनके परिवारों की यथासंभव सहायता करके सराहनीय कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान देने के अतिरिक्त ये महिलायें सीमाओं पर लड़ने वाले जवानों के लिये त्यौहारों के अवसर पर उपहार भी भेजती हैं।

विकास खंड अधिकारी, मध्य सेविका आदि कर्मचारियों का प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण होता रहता है जिससे हमारी योजनायें उचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार बार बार पदाधिकारियों का हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहए। कम से कम एक स्थान पर एक कर्मचारी को ३ वर्ष की अवधि तक काम करना चाहिए और इस बीच उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए।

देश में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना के बावजूद भी हम बिचौलियों को समाप्त नहीं कर पाये हैं भूमिहीन निर्धन लोगों तथा आदिवासियों की सहायता के लिए सहकारी कृषि समितियां बनाई गई हैं किन्तु अमीर लोग उनका शोषण करते हैं। सरकार को इस प्रकार की बातों को रोकना चाहिए।

श्री जेना (भद्रक) : सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय का कार्य बहुत सराहनीय रहा है जिससे प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली को काफी सहायता मिली है। मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार अब तक देश में १३ राज्यों में पंचायती राज लागू किया जा चुका है तथा अन्य राज्यों में शीघ्र लागू करने का विचार किया जा रहा है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज ने देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति पैदा कर दी है। हो सकता है कि इनके कार्यकरण में कहीं कहीं कमियां हों जिन्हें दूर किया जा सकता है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश के स्वरूप को बदल देगा।

आज देश के हर भाग में लोग अपने उत्तरदायित्व को समझने लगे हैं। लोगों में शिक्षित होने की, कृषि में सुधार करने की तथा औद्योगीकरण की चाह पैदा हो रही है जो बहुत अच्छी बात है। इसके लिये मंत्रालय बधाई के पात्र है। आज देश में जनता में चहुंमुखी प्रगति करने की भावना भी जागृत हो गई है। अब सरकार, विधायकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाजसुधारकों का कर्तव्य है कि जनता की इस भावना से लाभ उठायें ताकि हम समाजवादी समाज के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकें।

देश के वास्तविक विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमें जीवन की सुविधाएं उपलब्ध करनी होंगी अन्यथा लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आते रहेंगे। सरकार तथा हमारा सबका यह कर्तव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम उचित रूप से लागू किये जायें।

देश के विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों में पंचायती राज सम्बन्धी कार्यक्रमों में एक समानता नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को देखना चाहिए कि सभी क्षेत्रों के कार्यक्रमों में एकरूपता होनी चाहिए।

यह प्रसन्नता की बात है कि सामुदायिक विकास द्वारा उड़ीसा में पंचायती राज कार्यक्रमों को लागू करने में काफी काम किया गया है। उडीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है, उसके वित्तीय साधन अपर्याप्त हैं। अतः सरकार को चाहिए कि इस राज्य के विकास की ओर अधिक ध्यान दे।

हमारे विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों से सहानुभूति होनी चाहिए जिससे ग्रामीण जनता का उसमें विश्वास होगा और वे अधिकारियों के साथ मिल कर विकास कार्यों में काम करेंगे। देश के हर शिक्षित व्यक्ति में यह भावना होनी चाहिए कि उसकी शिक्षा का श्रेय ग्रामीण जनता को है और हर शिक्षित व्यक्ति को ग्रामीण जनता की सेहायता करनी चाहिए।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : सामुदायिक विकास मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पुनर्निर्माण करना है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये वर्ष १९५२ में सामुदायिक विकास आन्दोलन आरम्भ किया गया था।

मूल्यांकन समितियों की रिपोर्टों को देखने से तथा राज्यों में हुई विभिन्न गोष्ठियों और विधान सभाओं में हुए वाद-विवादों से यह पता चलता है कि निर्धन ग्रामीण जनता को पंचायती राज और सहकार आन्दोलन से विशेष लाभ नहीं हुआ है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के अध्यक्ष के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के योग्य वातावरण की कमी है। वहां पर जातिवाद तथा निहित स्वार्थों का बोल बाला है और गांवों का नेतृत्व जमींदारों के हाथों में चला गया है जो अभी भी गांवों पर छाये हुए हैं। जिससे इन पंचायतों से जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है। जब तक इन समाज विरोधी तत्वों को हटा कर नया वातावरण तैयार नहीं किया जाता है, सामुदायिक विकास आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है।

सामुदायिक विकास आन्दोलन का प्रशासन ढीला पड़ गया है। निर्वाचित प्रतिनिधि दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं तथा इस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में सावधानी से काम करना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिये इन सामुदायिक विकास संस्थाओं के अधिकारों और प्रशासकों के अधिकारों का सीमांकन किया जाना चाहिए। सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को निष्पादक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और उन्हें प्रशासन के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि सामुदायिक विकास प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उदाहरणार्थ, उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में दी गई सूचना के अनुसार राज्य में ४०० ग्राम पंचायतों में से १९४ पंचायतों का कार्य असन्तोषजनक था १९ सरपंचों को अपने पद से हटाया गया था और पंचायतों द्वारा १३ लाख रुपये का गबन किया गया था।

(श्री तिरूमल राव पीठासीन हुए)

SHRI THIRUMALA RAO *in the chair*

अभी हाल में सन्थानम समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें दूरगामी सिफारिशें की गई हैं। इस समिति द्वारा पहली बार भ्रष्टाचार के राजनैतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। यह एक

[श्री जसवन्त मेहता]

गम्भीर समस्या है । इसका हल शीघ्र किया जाना चाहिए । भ्रष्टाचार को दूर करने तथा इन संस्थाओं के प्रति जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है कि महालेखा परीक्षक जैसा स्वतन्त्र प्राधिकार जिला पंचायतों के लेखों का परीक्षण करे ।

मन्त्रालय कृषि के क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं कर पाया है । विकास खंडों द्वारा, कृषि प्रयोजनों के लिए दी गई राशि का उपयोग नहीं किया गया है ।

सरकार को उन राज्यों का नाम बताना चाहिए जिनमें ग्रामीण उत्पादन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये योजनायें बनाई गई हैं ।

बेरोजगारी समाप्त करने के लिये ग्राम उद्योगों के विकास के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये । ग्राम सेवकों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये । सहकारी आन्दोलन को स्वतन्त्र रूप से पनपने दिया जाये और इसे पंचायती राज के साथ न जोड़ा जाये । सहकारी आन्दोलन में भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये ।

संथानम समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाना चाहिये । कृषकों को ऋण कम दर पर दिया जाना चाहिये क्योंकि इस समय ऋणों के उन तक पहुंचने तक ब्याज की दर लगभग ९ प्रतिशत हो जाती है ।

Shri D.S. Patil (Yeotmal) : We should evolve a well-knit unitary system of government at the district level to supplement all activities at the village level. We have to embark upon democratic decentralisation and establish such institution which can carry out this programme faithfully.

The gaon sabhas and district councils should function on the pattern of Lok Sabha and State Assemblies, and should have the same powers in their field of operation. We should not hesitate to amend the Constitution in case the necessity for this arises.

So far as the basic policies are concerned, the institution of panchayati raj should have a uniform pattern in all the states. There should be direct elections to these institutions. An independent election commission and a finance corporation should also be set up to help these institutions. The elected members should only formulate policies and their execution should be entrusted to the authorities. The elected representatives of the people should not be allowed to interfere in the day to day working of panchayats. There should also be a separate independent machinery for audit work. If agricultural production is increased then alone we can say that the institution of panchayats has succeeded. Loans should be advanced to the farmers on the basis of their capacity to produce and not against the assets owned by them. The small farmers and agricultural tenants are not getting credit facilities. Landlords have a majority on the credit cooperative societies functioning in the villages. The sum advanced to them is Rs. 256 crores but it has not been made available to the right persons.

So far as supply of drinking water to the rural population is concerned, enough progress has not been made in this matter. It is surprising that provision has not been made in the Third plan for housing schemes for agricultural labour. In the matter of rural industrialisation also, not much has been done

In the matter of rural industrialisation also, not much has been done so far. There should be an industry and a factory in every block. The Planning Commission should lay more emphasis on agricultural sector so that the lot of the agricultural labourers may be improved.

श्री पें० वैंकटासुब्बया (अडोनी) : पंचायती राज तथा सहकारी संस्थाओं में अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों में पर्याप्त समन्वय होना जरूरी है । प्राचीन काल से इस देश में ग्राम गणतन्त्र का बोल बाला रहा है । कितने ही शासक इस देश पर राज कर चुके हैं परन्तु ग्राम गणतन्त्र के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और पुराने रसम और रिवाज चले आ रहे हैं । हम अपने प्रयास में तभी सफल हो सकेंगे जब हम प्राचीन काल से चली आ रही निष्कपटता की भावना को इन संस्थाओं में स्थान देंगे ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में पंचायतें राजनीति का शिकार बन गई हैं । कुछ छोटे मोटे दोषों को छोड़ कर इनके कार्यकरण में कोई मूल त्रुटि नहीं है । अतः सरकार को उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । इन संस्थाओं को अधिक प्रजातान्त्रिक बनाने के लिये अधिक व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करके एक समान प्रणाली अपनाई जानी चाहिये ताकि निर्बल वर्ग को भी ग्राम पंचायतों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके । पंचायत अधिनियम में संशोधन करके निर्वाचन मण्डल को अधिक विस्तृत बनाया जाना चाहिये । पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव के लिये केवल सरपंचों को ही नहीं अपितु पंचायत के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन मण्डल का सदस्य माना जाना चाहिये ताकि सरपंचों तथा मतदाताओं को अनेक प्रकार के प्रलोभनों से बचाया जा सके ।

संथानम समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये । उसकी पहली सिफारिश यह है कि पंचायती राज वित्त निगम स्थापित की जानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि यह निगम एक स्वतन्त्र निकाय होना चाहिये और राज्य सरकार के अन्तर्गत नहीं होना चाहिये । इन संस्थाओं का लेखा जोखा भी स्वतन्त्र होना चाहिये पंचायत तथा पंचायत समितियों के लिये दलगत आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाने चाहियें । इनमें केवल ईमानदार तथा चरित्रवान व्यक्ति ही चुने जाने चाहियें ।

सहकारी आन्दोलन का समूचे देश में समान रूप से विकास किया जाना चाहिये । सहकारी संस्थाओं को देश में कायम करने के बारे में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये और इनमें पूर्ण समन्वय होना चाहिये । लोगों की सहकारी आन्दोलन में रुचि पैदा की जाये और उन के द्वारा बनाई गई सहकारी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिये और सरकार को केवल एक सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिये ।

सहकारी संस्थाओं के बोर्डों पर मनोनीत व्यक्तियों की अवधि बढ़ाना सहकारी आन्दोलन के लिये घातक सिद्ध होगा ।

यह देखने के लिये कि निर्वाचन प्रजातंत्रीय आधार पर हों सरकार को एक अथवा दो निदेशक निर्वाचनों का निरीक्षण करने के लिये भेजने चाहियें । देश में सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि अधिक उत्पादन हो सके और कृषकों को लाभ पहुंचाया जा सके । सहकारी संस्थाओं में ईमानदार तथा योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये कोई तरीका निकाला जाना चाहिये ताकि ये संस्थायें प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : देश में समाजवाद केवल सहकारी आन्दोलन द्वारा लाया जा सकता है परन्तु खेद है कि अभी तक यह मंत्रालय यह निर्णय नहीं कर पाया है कि देश में सहकारी संस्थाओं का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिये ।

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षन प्रतिवेदन (रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट) को दृष्टि में रखते हुए देश में बड़ी सहकारी समितियां स्थापित की गई थीं जिन में २५ से ३० गांव शामिल थे । इन को चलाना बड़ा कठिन था । परन्तु बाद में ३,००० जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति खोलने का निर्णय किया गया । यह खेद का विषय है कि बड़ी समितियां अभी तक कायम हैं और काम प्रगति नहीं कर रहा है । हिदायतों के बावजूद भी इन्हें विभाजित नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश में अब भी ऐसी सैंकड़ों समितियां मौजूद हैं ।

सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों को विभिन्न राज्यों में ऋण पर ७ से ९ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है जबकि रिजर्व बैंक अपेक्स बैंकों को केवल २ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देता है । अपैक्स बैंक केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंकों को ४ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत की दर से ऋण देता है और फिर ये बैंक ६ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत पर बड़ी सहकारी समितियों को ऋण देते हैं । यह दर बहुत अधिक है । सहकार मत्रालय को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । इतने सारे बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं है । हमें कृषकों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिये । अपैक्स बैंकों को बिना किसी जोखिम के हटाया जा सकता है और कृषकों के बोझ को कुछ कम किया जा सकता है ।

सहकारी आन्दोलन ऊपर से नहीं थोपा जाना चाहिये अपितु लोगों की इसमें रुचि पैदा की जानी चाहिये और उन के स्तर से ही इसे चालू किया जाना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा यह एक कागजी कार्यवाही मात्र रहेगा और राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप नहीं ले सकेगा । सहकारी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस से जन-साधारण और किसानों का हित हो । अभी तक सहकारी आंदोलन का सम्पर्क मध्य वर्ग के थोड़े से लोगों के साथ है । मत्रालय को यह देखना चाहिये कि देहाती लोगों के अधिक निर्बल वर्ग अर्थात् भूमिहीन किसानों, लाभहीन खेतों के मालिकों और खेतीहर श्रमिकों को जो बहुसंख्य है, अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त हों और कम ब्याज पर ऋण दिया जाय तभी यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन सकेगा ।

सामुदायिक विकास शक्ति के विकेन्द्रीकरण द्वारा गांव के आधार पर किया जाना है । इसमें लोकतंत्र विरोधी तत्व की ओर संकेत करना चाहता हूं । जो गांव ३०० या ४०० की आबादी वाले हैं उन में भी एक एक प्रधान है और ३००० या ४००० आबादी के गांवों में भी एक एक प्रधान है और तालुक विकास समिति में समान मताधिकार प्राप्त हैं जिस से अल्प संख्यकों के प्रमुख और उप-प्रमुख बन जाते हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि जन संख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व रखा जाय ।

कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा खण्ड विकास समिति और ज़िला परिषद् का चुनाव किया जाता है और यह पद्धति भ्रष्टाचारपूर्ण है । कई जगह सदस्यों को चुनाव से पूर्व कहीं भेज दिया जाता है और मतगणना कर ली जाती है । इन समितियों का चुनाव भी प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर करना चाहिये ।

वास्तव में खण्ड विकास अधिकारी और उपविकास अधिकारी चुने हुए लोगों पर शासन करते हैं। इस प्रकार विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र की व्यवस्था हास्यास्पद है। १९५२ से यह आंदोलन आरम्भ किया गया किन्तु अभी तक देहात में राजनैतिक जागरण पैदा नहीं हुआ। ग्रामीण कोई क्रान्ति नहीं कर सके। जो योजनाएं ऊपर से उन पर थोपी जाती हैं उन में सामुदायिक विकास, कृषि और पशुपालन मंत्रालयों के कार्यों में कोई तालमेल नहीं होता।

सामुदायिक विकास और सहकार का कार्य इस रीति से करना चाहिये कि वह वास्तव में राष्ट्रीय आन्दोलन बन जाय और तभी हम समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : मैंने स्वतंत्र दल के प्रवक्ता के भाषण को रुचिपूर्वक सुना है उन का मत है कि पंचायत राज और सामुदायिक विकास अच्छे कार्यक्रम हैं किन्तु इस से कांग्रेस के समाजवाद को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन उदगारों में उन की भविष्य के प्रति निराशा प्रकट होती है।

मुझे पंचायत राज के सम्बन्ध में यही निवेदन करना है कि भिन्न भिन्न राज्यों में इसे विभिन्न रूपों में समझा जा रहा है। इसकी धारणा स्पष्ट नहीं है। दूसरे इसके कारण प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर उलझन और द्वन्द्व पैदा किया गया है और एक प्रकार का दोहरा शासन निर्माण कर दिया गया है जिस का कारण यही है कि अस्पष्टता होने के कारण विभिन्न ने इसे अपनी अपनी रीति से चलाया है।

मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पंचायत राज के आन्दोलन का श्रीगणेश किया। सर्वप्रथम राजस्थान में इस का प्रारम्भ हुआ और उद्घाटन समारोह में प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह सर्वथा क्रान्तिकारी कार्यक्रम है। किन्तु पंचायतों को तो अन्य देशों के काउंटी कौंसिल जितना भी अधिकार नहीं। अतः इसे क्रान्तिकारी कैसे कहा जा सकता है।

मैंने राजस्थान में संसद् सदस्यों, विधायकों, प्रमुखों आदि से बातचीत की है और उन का सब का यही मत है जिला परिषदें सर्वथा व्यर्थ हैं। अब कृषि और इंजीनियरिंग की अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित की जा रही हैं भला वे कैसे स्थानीय समितियों से मेल खायेंगे ? अतः पंचायतों को भी संविधान में स्थान देना चाहिये।

जब देश के प्रशासन को केन्द्र और राज्य के दो स्तरों की बजाय अब केन्द्र, राज्य, जिला और खण्ड समितियों तथा पंचायतों में विभाजित करना है तो संविधान में इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

जो लोग पंचायत राज के विरुद्ध बोलते हैं वे वास्तव में लोकतंत्र के विरुद्ध बोलते हैं क्योंकि आधार के बिना संसद् का ऊपरी ढांचा कैसे टिक सकता है ?

पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने के लिए मैं चार सुझाव देना चाहता हूं। पहले तो पंचायतों के लिए सर्वथा स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरे पंचायतों को निश्चित संसाधन और अधिकार देने चाहियें अन्यथा उनके राजनैतिक दुरुपयोग से हम उन का ह्रास कर रहे हैं। उन्हें धन देने के लिये अलग निगम होना चाहिये। ऐसा करने से स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *In the chair*]

चूंकि भूमि सुधार युक्तियुक्त ढंग से नहीं किया गया, अतः देहात में अभी तक निहित हित है जिन का इन संस्थाओं पर बहुत प्रभाव है। अतः सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से इन हितों को समाप्त करना चाहिये तभी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी।

श्री दे० जी० नायक (पंचमहल) : मैं मंत्रालय की १९६३-६४ की सफलताओं के लिये उसे बधाई देता हूं। श्री कपूर सिंह का यह कथन विचित्र है कि सहकारिता में एकमार्गीकरण को अपनाया गया है। वास्तव में सहकारिता तो समाजवादी पद्धति की स्थापना का अहिंसात्मक ढंग है। संसद् ने जो मार्गनिदेश किया है उस की प्राप्ति के लिए सहकारिता ही एक उपाय है और सामुदायिक विकास और सहकारिता में कोई अन्तर नहीं है।

कुछ राज्यों में विशेषतः पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में सहकारिता का विकास बहुत ही कम हो पाया है। इसे प्रोत्साहन देने और उपाय सुझाने के लिए केन्द्र को एक अध्ययन दल भेजना चाहिये। वहां कुछ कंगल बैंक हैं जो ऋण देने की पुरानी पद्धति अपनाते हैं। उसे समाप्त करने के लिये ऋण सम्बन्धी विधान बनाना चाहिये। सरकार को तीसरी योजना के अन्तर्गत ५१२ करोड़ रुपये के मध्य-कालीन और अल्पकालीन ऋणों का लक्ष्य पूरा करना चाहिये।

समाज के निर्बल वर्ग में खेतीहर श्रमिक और कम भूमि वाले किसान तथा अनुसूचित और आदिमजातियां हैं। उन की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तक उन की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा लोकतंत्रात्मक समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। प्रतिवेदन में बताया गया है कि सहकारी समितियों के वसूल न होने वाले ऋणों के लिये विशेष निधि नियत करने की योजना बनाई गई है ताकि दुर्बल वर्ग को भी ऋण दिये जा सकें। किन्तु यह पैसा उन तक पहुंचा नहीं। मेरा सुझाव है कि यह धन उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये और केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणो के अनुदान में २ प्रतिशत तथा प्राथमिक समितियों के अनुदान में ४ से ५ प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिये।

जिस प्रकार भूतपूर्व बम्बई सरकार ने सहकारी उद्योगों को कुल १५ से २० प्रतिशत गारंटी दे दी थी, उसी प्रकार केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को कुल गारंटी दे देनी चाहिये ताकि वे दुर्बल वर्ग को जो जनसंख्या का ६० प्रतिशत भाग है, सहायता दी जा सके।

श्री भार्गव ने अनुसूचित जातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों के बारे में जो सिफारिशें कीं उन्हें पूरी तरह कार्यान्वित करना चाहिये।

श्री ढेबर ने विभिन्न सहकारी समितियों के बारे में सिफारिशें की थीं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था किन्तु अभी तक किसी भी राज्य ने लागू नहीं किया। अतः निवेदन है कि भागव अध्ययन दल और ढेबर आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाय।

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन और मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि पर बल दिया जाता है किन्तु सत्य यह है कि विस्तार अधिकारियों को कृषि के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं। इस कार्यक्रम को कृषि पर केन्द्रित करना चाहिये।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : सभी ओर से यह स्वीकार किया गया है कि भारत का भविष्य सामुदायिक विकास, सहकार और पंचायत राज पर निर्भर करता है अतः इस आधार को मजबूत बनाना चाहिये ।

माननीय मंत्री इसकी ओर पूरा ध्यान देते रहे हैं किन्तु जब नीचे के स्तर पर कार्यान्विति का समय आता है तो सारा पैसा उपयुक्त कार्यों की बजाय अन्य कार्यों के लिए खर्च कर दिया जाता है । अतः यह प्रयत्न करना चाहिये कि जो पैसा केन्द्र द्वारा दिया जाता है वह सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए ही खर्च हो । अध्ययन दलों और संतानम समिति का भी यह मत है कि लोगों द्वारा स्वयं ५० प्रतिशत संघ को अंशदान भी प्राप्त नहीं होता ।

तहसील के मुख्यालय से भिन्न स्थानों पर खण्ड स्थापित किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप कामों में बहुत विलम्ब हो जाता है । अतः मेरा सुझाव है कि खण्ड कार्यालय तहसील मुख्यालय के स्थान पर स्थापित किया जाये ताकि नित्य प्रति की कागजी कार्यवाही में विलम्ब न हो ।

पंचायतों में गुटबाजी होती है और झगड़े बहुत होते हैं जिसके कारण वे वास्तविक कार्य नहीं कर पातीं । पचायतों को उचित प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे वे वास्तविक कार्य कर सकें और देहाती समुदाय में एकता पैदा हो । उदाहरणतः यदि वे ५० प्रतिशत स्वयं सेवा द्वारा किसी सड़क का निर्माण कर लें तो परिवहन का परमिट किसी को देने की बजाये आस पास के गांव की सहकारी समिति स्थापित करके उसे काम सौंप दिया जाये ।

एक सुझाव दिया गया है कि पंचायतों के साथ विधायकों और संसद् सदस्यों का सम्पर्क रखा जाये । मैं इसका विरोध करता हूं । पंचायतों को राजनीति से स्वतंत्र रूप में कार्य करने देना चाहिए ताकि देहात का वास्तविक उद्धार हो ।

गांव वालों में सामान्य ज्ञान काफी होता है । यदि उन्हें बता दिया जाये कि किसी योजना को कार्यान्वित करें तो उन्हें अमुक अमुक लाभ पहुंचाये जायेंगे तो वे अवश्य कार्यशील होंगे । अब तो ऐसा होता है जब उनके पास समय होता है और वे योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तैयार होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अभी मंजूरी नहीं मिली । ऐसा कई मामलों में हो चुका है ।

विदेशी धारणा की अपेक्षा गांधी जी की धारणा के अनुसार काम करने से सामुदायिक विकास में अधिक सहायता मिल सकती है । मेरे जिले में जिला बोर्डों के लिए अनिवार्य कर देने से कि सभी लोग अपना कूड़ा करकट एक गढ़े में डाला करें, बहुधा अच्छा खाद तैयार हुआ जो कृत्रिम खाद की तुलना में सदा अधिक उपजाऊ होता है ।

गांवों के संसाधनों के उपयोग या परियोजना की समस्याओं को आयोजित ढंग से हल करना चाहिए ।

वनरोपण और शामलात की समस्या के बारे में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भूमि पंचायत को दी जाती है उसे वे ठेके पर न दें बल्कि उसका विकास करें अन्यथा वह भूमि मरुभूमि बनी रहती है ।

खण्ड विकास अधिकारी फसलों आदि के बारे में कुछ नहीं जानते और वे पंचायतों को केवल डराते धमकाते और हिदायतें देते रहते हैं । कृषि, मत्स्य पालन, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य आदि विभागों में उचित तालमेल होना चाहिये । इसके बिना कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता ।

पंचायतों को व्यक्ति न मानना एक कानूनी त्रुटि है जिसे दूर करना चाहिये ताकि २० या ५० पंचायतें मिल कर सहकारी समितियां बना सकें और अधिक बड़े काम कर सकें ।

अन्त में मैं मन्त्रालय के कार्य की सराहना करता हूं और मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Utiya (Shahdol) : I thank you for giving me the opportunity to speak on this ministry.

There are 5100 blocks and which spending rupees 600 on each block officer, the government is wasting 30 lakhs of rupees.

The Community development scheme was introduced in the year 1952 and 11 years of work has shown no result. Had there been earnest efforts in this direction the destiny of villages would have been ameliorated.

The report says that with the setting up of Panchayats, politics has entered in villages. The common man there is still under destitute conditions while the few people having connection with congress leaders have become prosperous. In several blocks the radio sets meant for the Community listening are used by the block officers and jeeps are used by them for sight seeing.

According to the provisions of the article 40 of the constitution the Panchayats should be autonomous bodies but so far those are the puppets in the hands of the officers. They should be given powers to frame laws regarding irrigation, lighting and agriculture, and they should have control on the Accountants. Chaukidars, teachers who work in the villages.

The governing party is responsible for corruption prevalent in the Community development.

Shri Sree Narayan Das (Darbhanga): This ministry is responsible for Community Development, Panchayat Raj and Cooperation. All other ministries are meant for administration whereas this ministry would help malinatise the dream of Gandhi ji according to which the grover of people of the rural areas would participate in the administration of the country whereas at present the administration is run by the central and State legislatures.

I support the suggestion made by Shri Mathur that there should be constitutional provisions for giving some powers to the Panchayats in the light of our experience.

The other defect in the Panchayats is regarding election which is not fair. I suggest that branches of election Commission should be set up in all the states to supervise the elections of Panchayats. Moreover politics should not be allowed to enter the village Panchayats and a high organisation should be set up there so that the rural folk should be able to elect their representatives unanimously.

Panchayat Raj is a movement and not a matter of administration so its workers should be elected persons.

The Santhanam Committee has suggested that sources and finances should be provided for the institutions of Panchayat Raj. It is very essential to strengthen these institutions. There would prove to be basis of our democracy.

The cooperative movement is the spirit of Panchayat Raj and it has shown much progress but still in regard to the vastness of the land much is required to be done. The audit department of the cooperatives should be made autonomous. Such action would help progress in the movement.

The ministry has not be successful in getting the co-operation of the other departments in this movement. There should be coordination among the institutions of Panchayats and the cooperatives and that would stabalise the movement.

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि सामुदायिक विकास आन्दोलन में गतिशीलता का अभाव है और पंचायती राज सामन्तवाद का रूप धारण कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि सहकार आन्दोलन में दफ्तरशाही का बोलबाला है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी स्थिति बिलकुल वैसी ही बनी हुई है। परन्तु संविधान और अपनी योजनाओं के अनुसार हम इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये वचनबद्ध हैं। मैं समझता हूं कि इन कार्यक्रमों की असफलता के लिये मंत्रालय इतना उत्तरदायी नहीं है। वास्तव में कुछ अन्तर्जात कठिनाइयां इसके लिये जिम्मेदार हैं। सब से पहली कठिनाई तो यह है कि हमें सामुदायिक विकास के लिये करोड़ों की संख्या में लोगों में एक नवजागरण लाना है, एक नई स्फूर्ति लानी है, एक नयी प्रेरणा लानी है, और वह करोड़ों लोग शताब्दियों से गुलामी का जीवन व्यतीत करने के कारण निष्क्रियता के शिकार बने हुए हैं। यह काम एक बांध या अस्पताल बनाने के समान नहीं है। इसके लिये जनता में वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता है। परन्तु यदि हम यथार्थवादी ढंग से काम करते तो दुस्साहित होने का कोई कारण नहीं था। आज आवश्यकता इस बात की है कि केवल उन कार्यक्रमों को ही लिया जाय जिन से गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रमों पर अपने साधन व्यर्थ में लगाने से काम नहीं चलेगा।

अब समय आ गया है जब कि इस मंत्रालय को चुने हुए क्षेत्रों में गहन रूप से कार्य किया जाय और कुछ विशेष कार्यक्रमों को ही प्रोत्साहन दिया जाय। अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान उत्पादन के पहलुओं की ओर दिया जाय। यदि जनता समृद्ध और खुशहाल हो जाती है तो अन्य समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी।

पंचायती राज के सिलसिले में भी कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में भी समाज-विरोधी तत्व अपने निहित स्वार्थों को ले कर काम कर रहे हैं। एक सुझाव मेरा यह है कि पंचायती राज में सहकार संस्थाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। यदि सहकार सस्थायें चुनाव क्षेत्र में आईं तो इसके बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि परोक्ष निर्वाचनों की प्रथा समाप्त कर दी जाय। परोक्ष निर्वाचन पद्धति के कारण राजनीतिक सत्ता की होड़ लगी हुई है और सारा वातावरण दूषित हो रहा है। निर्वाचन सीधे होने चाहिए और पंचायतों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

सहकार आन्दोलन देश में स्थायी रूप धारण कर रहा है परन्तु अब हमें उन का और अधिक विस्तार न कर के जो सहकार संस्थायें स्थापित हो चुकी हैं उन्हीं में कार्य-सम्पादन और कुशलता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

अपनी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि सहकार संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध उत्पादन से हो। सहकार आन्दोलन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि माल बेचने का उचित प्रबन्ध इन्हीं के द्वारा किया जाय। लोगों को नकद ऋण देने की बजाय बीज, उर्वरक आदि आवश्यकता की वस्तुएं दी जानी चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा गया तो यह आन्दोलन भ्रष्ट हो जायगा। वर्तमान सस्थाओं को मजबूत

बनाना चाहिए और उचित देख-रेख का प्रबन्ध होना चाहिए। उपलब्ध की गई निधियों का प्रयोग उत्पादन के लिये ही किया जाना चाहिए अन्यथा मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं इस मंत्रालय सम्बन्धी मांगों का समर्थन करता हूं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में तो सफल रहे हैं परन्तु उद्योग के क्षेत्र में नहीं। बहुत से आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित किये जाने की गुंजाइश है। ऐसा करने से वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पंचायती राज की भी औद्योगिक क्षेत्र में अवहेलना की गयी है। दस्तकारी के मामले में भारत के प्राचीन वैभव को पुनर्जीवित करना चाहिए।

प्रशासन पर व्यय बहुत अधिक होता है। इस में भी काफी कमी की गुंजाइश है।

सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना चाहिए चूंकि अब भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग सहकार संस्थाओं से अतिरिक्त अन्य साधनों से ऋण प्राप्त करते हैं। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इतनी मात्रा में ऋण उपलब्ध किया जाय कि जमींदार अपना पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने की ओर लगा सके।

जो ऋण दिये जाते हैं उन दर ब्याज की पर में भी कमी की जानी चाहिये। ऐसा उपाय करना चाहिए जिस से कि कृषक जिला बैंकों के जरिये रक्षित बैंक से ऋण प्राप्त कर सके। रक्षित बैंक ऋण २ प्रतिशत ब्याज की दर पर होता है परन्तु कृषक को वही ऋण ८ प्रतिशत की दर पर दिया जाता है, इसलिये जो बीच के अभिकरण हैं उन की संख्या कम की जानी चाहिए, और ऋण समय पर दिया जाना चाहिए।

कृषकों को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि वह सहकार संस्थाओं के जरिये ही अपनी उपज को बेच सकें।

रुई, फल और कई अन्य वस्तुओं सम्बन्धी उद्योग भी सहकारी क्षेत्र में चालू किये जाने चाहिए ताकि किसान को उस की उपज का उचित मूल्य मिल सके और निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो।

विपणन समितियों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह कुरीतियों की रोकथाम कर सकें। सहकार संस्थाओं के सिलसिले में एक मेरा सुझाव यह भी है कि लेखापरीक्षा निकाय को स्वतंत्र निकाय बनाया जाय ताकि वह ठीक तरह से देख-रेख कर सके।

जो संस्थायें श्रमिक वर्ग, शिल्पकारों आदि के लिये चल रही हैं उन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सभी प्रकार के शिल्पकारों और काश्तकारों के लिये ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्पादन की मात्रा के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए न कि सम्पत्ति के आधार पर। फार्म की सभी प्रकार की उपज के निर्यात को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और यह निर्यात सहकारी संस्थाओं के जरिये किया जाना चाहिए।

Shri Uikey (Mandla) : Elections to new village Panchayats have not been held in my state as yet, but I will refer to one serious anomaly in the existing village Panchayats which must be remedied. All the powers have been centred in the sarpanch, he is the head of the Panchayat court, Sarpanch of the village Panchayat, President of the cooperative as well as Patel of the village. Such centralisation of all powers leads to a number of ills.

Landless labourers have been given houses worth Rs. 1000/- each, for which a labourer has to pay Rs. 5/- as tax at the rate of annas 8 per cent. Due to this tax, most of the labourers prefer leaving the houses. Therefore, this situation should be remedied.

50 percent of the hurdles in the way of agricultural production are due to P.W.D. The Panches and Sarpanhes in the villages are involved in disputes with the P. W. D. Therefore, I propose that the P. W. D. should not be connected in any way with the developmental works.

So far as agriculture is concerned we have failed to give proper know-how to the people. Our agriculturists are ignorant about the methods of increasing producion our Social Service officers should be able to do this job. Our agriculturists spend their income on useless things, like jewellery, rituals etc. They do not know how to improve the breed of their oxen how to get pumps and dig wells for irrigational purposes, how to purchase fertilisers, etc. With the result that they spend money on non-productive purposes. Therefore, they should be made to know all the things, and besides, they should be told that such and such kinds of crops can give them more returns.

It was revealed in the Madhya Pradesh Legislative Assembly that out of 49 lakh farmers, 36 lakhs possess 112 lakh acres of land, and they are unable to improve the methods of their cultivation. If the Government want to improve their lot and if it is serious about the establishment of socialism in this country the only way out is the collective and cooperative farming. Provision of loans, availability of materials required and the sale of produce, all these things should be conducted through cooparatives. Necessary. Know-how can also be given to them through the cooperatives. Collective cooperatives are the *summum bonum* of the agriculturists. Therein lies the salvation of poor and the down-trodden.

Another factor to which I would like to draw the attention of the Government is that there is lack of co-operation in the various departments. This should also be remedied.

Arrangements should also be made for repairing the jeeps which have been provided in every District. In the absence of such an arrangement, a number of jeeps are lying unused. The village level workers in the tribal areas should be given cycles. Arrangements should also be made for repairing the defective pumps which have been provided for irrigation purposes.

Arrangements should also be made for storing the articles of necessity of the farmers in the Blocks concerned. Farmers experience a lot of difficulty in getting articles, such as iron, tin, cement and manures.

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : इस मंत्रालय सम्बन्धी मांगों पर हुई चर्चा को सुनने से मुझे आश्चर्य हुआ है। मैं ने देखा है कि विभिन्न कार्यक्रमों, समस्याओं तथा जो सुझाव दिये गये हैं उन के बारे में मंत्रालय तथा सभा की विचारधारा एक सी ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, ८ अप्रैल, १९६४/चैत्र १९, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday the 8th April, 1964/Chaitra 19, 1886 (Saka).

GMGIPND--LS III--516 (ai) LSD--25-6-64---600.